खण्ड-448, अंक-4
बुधवार, 22 माघ, शक संवत् 1925
(11 फरवरी, 2004 ई0)

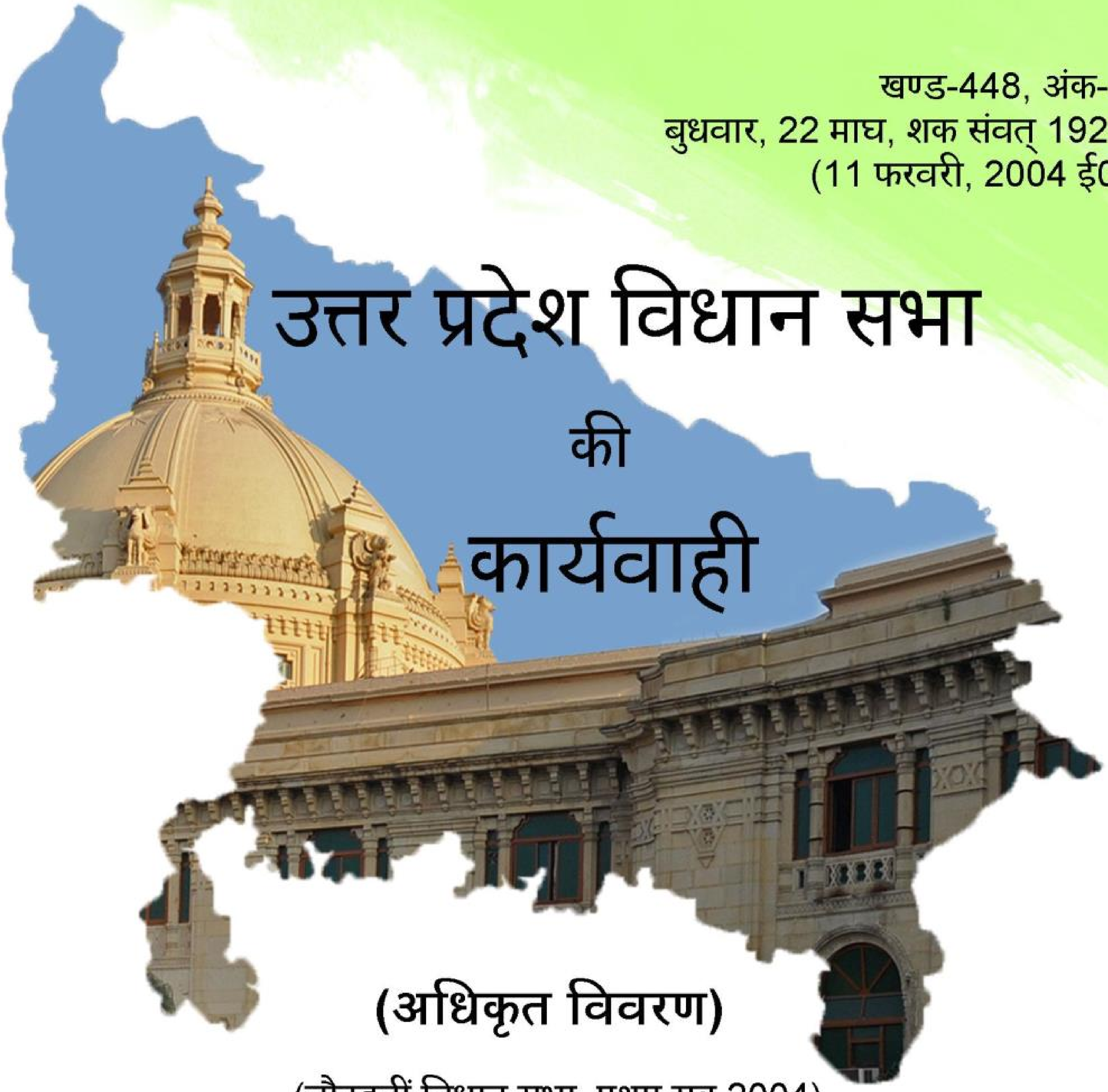

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(चौदहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 2004)

खण्ड 448 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2004

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क-च
आय-व्ययक के प्रस्तुतीकरण के समय सदन में सभी सदस्यों की उपस्थिति तथा उनका योगदान होने के सम्बन्ध में श्री अध्यक्ष का अनुरोध तथा वर्ष 2004-2005 आय-व्ययक सम्बन्धी साहित्य वितरित किये जाने हेतु की गयी व्यवस्था की सूचना	1
वित्तीय वर्ष 2004-2005 के आय-व्ययक का प्रस्तुतीकरण	1-22
प्रदेश में कक्षा 12 तक के छात्र/छात्राओं का शिक्षा शुल्क समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री की घोषणा	22-23
श्री सत्य नारायण एवं श्री मदन सिंह गौतम उर्फ सन्तोष कुमार द्वारा विधान सभा की सदस्यता से दिये गये त्याग-पत्र की स्वीकृति की सूचना ...	23-24
प्रश्नोत्तर	24-54
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं	54-55
मेहनगर जनपद आजमगढ़ में आश्रम पद्धति बालिका इन्टर कालेज खोलने के लिए धन आवंटित करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	55
जनपद जौनपुर की कतिपय ग्राम सभाओं की खाली पड़ी जमीन पर हो रहे अवैध कब्जों को रोकने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	55
लखीमपुर खीरी के पैला क्षेत्रान्तर्गत कैमा बुजुर्ग से ग्राम पैला तथा पेंटेड रोड निर्मित कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	55
जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी क्षेत्रान्तर्गत कतिपय 33/11 विद्युत उपकेन्द्रों का समुचित रख-रखाव किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	55-56
लखीमपुर खीरी के निधासन क्षेत्रान्तर्गत शारदा नदी पर पचपेड़ा घाट पुल एवं ग्राम बैरीगढ़-सिंगाही मार्ग पर एक पुल निर्मित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	56
जनपद आजमगढ़ के जिला चिकित्सालय में कुत्ते के काटने पर लगने वाले इन्जेक्शन के अभाव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	56-57
मेरठ महानगर में विद्युत वितरण कम्पनी के गठन के बाद विकेन्द्रित व्यवस्थान्तर्गत कतिपय कार्य प्राथमिकता के आधार पर कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	57
अविलम्बनीय लोक महत्व विषयक दी गयी सूचनाओं पर सरकार के वक्तव्य के समय विभागीय मंत्रियों के सदन में उपस्थित न रहने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	57-59

अशोधित विधान सभा

विषय	पृष्ठ-संख्या
दिनांक 10-2-2004 को नियम-51 के अन्तर्गत दिये गये मुख्य मंत्री के वक्तव्य में प्रत्येक विधायक के ग्रामीण क्षेत्र के 5 ग्रामों के विद्युतीकरण से शहरी क्षेत्रों के विधायकों के वंचित रह जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ...	59-61
नियम-51 के अन्तर्गत दिये गये वक्तव्य में निहित आश्वासन की पूर्ति न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	61
इलाहाबाद होम्योपैथिक मेडिकल कालेज की भूमि गलत तरीके से अन्य व्यक्तियों के नाम किये जाने विषयक नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	62
उत्तर प्रदेश विनियोग (2003-2004) का अनुपूरक विधेयक, 2004 (विधान परिषद से वापसी की सूचना)	62
उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की सरकारी आश्वासन समिति का 84वाँ (चौरासीवां) प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	62
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम के निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ...	63
विधान सभा में दिनांक 21 अगस्त, 2002 को डा0 विनोद तिवारी द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-26 के उत्तर के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही की सूचना	63-64
विधान सभा में वन विभाग के वार्षिक अनुदानों पर दिनांक 19-8-2002 को तत्कालीन वन मंत्री द्वारा दिये गये भाषण में संशोधन हेतु श्रम एवं सेवायोजन मंत्री का शोधन वक्तव्य	65
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	65-76
राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर चर्चा (जारी)... ...	76-96
हरिजन शब्द के प्रयोग पर आपत्ति राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर चर्चा (क्रमागत)	96-102
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएँ	102-103

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक 11 फरवरी, 2004

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य-344

1-अकीलुर्रहमान खां, श्री — मुरादाबाद
2-अक्षयवर लाल, श्री — बहराइच
3-अजय कपूर, श्री — कानपुर नगर
4-अजय कुमार, डा0 — बागपत
5-अजीम भाई, श्री — फिरोजाबाद
6-अताउल रहमान, श्री — बरेली
7-अनवर महमूद, श्री — बलरामपुर
8-अनार सिंह दिवाकर, श्री — एटा
9-अनिल कुमार पाण्डेय, श्री — सुल्तानपुर
10-अनिल कुमार मौर्य, श्री — मिर्जापुर
11-अनिल कुमार वर्मा, श्री — सीतापुर
12-अनिल कुमार पासवान, श्री — हरदोई
13-अनिल कुमार सिंह यादव, श्री — एटा
14-अनिल सिंह, श्री — सिद्धार्थनगर
15-अनुग्रह नारायण उर्फ खोखा सिंह, श्री — देवरिया
16-अनुराधा चौधरी, श्रीमती — मुजफ्फरनगर
17-अनूप कुमार पाण्डेय, श्री — बस्ती
18-अब्दुल कलाम, श्री — वाराणसी
19-अब्दुल कलाम, श्री — संत कबीर नगर
20-अब्दुल मन्नान, श्री — हरदोई
21-अब्बास अली जैदी उर्फ रुशदी मियां, श्री — बाराबंकी
22-अमरजीत सिंह जनसेवक, श्री — फतेहपुर
23-अमर सिंह यादव पुत्र श्री सुन्दर सिंह, श्री — हाथरस
24-अम्बिका चौधरी, श्री — बलिया
25-अम्बेश कुमारी, श्रीमती — महोबा
26-अयोध्या प्रसाद पाल, श्री — फतेहपुर
27-अरविन्द गिरि, श्री — खीरी
28-अरविन्द कुमार सिंह उर्फ गोप, श्री — बाराबंकी
29-अरुण कुमार मेहरोत्रा, डा0 — जालौन
30-अरुण कुमारी, श्रीमती — कानपुर देहात
31-अरुणवीर सिंह, श्री — बहराइच
32-अरुणा तोमर, श्रीमती — कानपुर नगर
33-अवधेश कुमार वर्मा, श्री — शाहजहांपुर
34-अवधेश प्रसाद, श्री — फैजाबाद
35-अशोक कुमार कटियार, श्री — कानपुर देहात
36-अशोक बाजपेयी, डा0 — हरदोई
37-आदित्य विक्रम सिंह (बोकू सिंह), श्री — सिद्धार्थ नगर
38-आनन्द प्रकाश लोधी, श्री — फतेहपुर
39-आनन्द सेन, श्री — फैजाबाद
40-आर0 एस0 कुशवाहा, श्री — खीरी
41-आर0 के0 चौधरी, श्री — लखनऊ
42-आर0 के0 सिंह पटेल, श्री — चित्रकूट
43-आलम बदी, श्री — आजमगढ़
44-आलोक कुमार शाक्य, श्री — मैनपुरी
45-आशा किशोर, श्रीमती — रायबरेली
46-आशीष यादव, श्री — बदायूं
47-आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री — बदायूं
48-इकबाल महमूद, श्री — मुरादाबाद
49-इन्द्रजीत सरोज, श्री — कौशाम्बी
50-इन्द्रदेव सिंह, डा0 — बिजनौर
51-इलम सिंह, श्री — सहारनपुर
52-उदयभान करवरिया, श्री — इलाहाबाद
53-उदयराज यादव, श्री — उन्नाव
54-उमा किरन, श्रीमती — मुजफ्फरनगर
55-ऊषा वर्मा, श्रीमती — हरदोई
56-ओइमवेश, स्वामी — बिजनौर
57-ओमकार सिंह यादव, श्री — बदायूं
58-ओम प्रकाश, श्री — गाजीपुर
59-ओम प्रकाश, श्री — सीतापुर

60-ओम प्रकाश(ओ0पी0 सिंह), श्री सुल्तानपुर
61-ओम प्रकाश पाण्डेय, श्री सुल्तानपुर
62-ओमवती देवी, श्रीमती बिजनौर
63-कपिल देव यादव, श्री मऊ
64-कमलेश कुमार, श्री गोरखपुर
65-कमाल यूसुफ मलिक, श्री सिद्धार्थनगर
66-कल्यान सिंह दोहरे, श्री कन्नौज
67-कामेश्वर उपाध्याय, श्री देवरिया
68-काशीराम, श्री रामपुर
69-किरण पाल कश्यप, श्री मुजफ्फरनगर
70-किरन पाल सिंह, श्री बुलन्दशहर
71-किशन लाल बघेल, सेठ आगरा
72-कुतुबुद्दीन अन्सारी, श्री बिजनौर
73-कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
74-कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
75-केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री इलाहाबाद
76-कैलाश, श्री गाजीपुर
77-कैलाश चौरसिया, श्री मिर्जापुर
78-कोविद कुमार, श्री शाहजहांपुर
79-कौशल किशोर, श्री खीरी
80-कौशल किशोर, श्री लखनऊ
81-गंगा प्रसाद पुष्कर, श्री आगरा
82-गंगा बक्श सिंह, डा0 उन्नाव
83-गया चरन दिनकर, श्री बांदा
84-गीता सिंह, श्रीमती बलरामपुर
85-गुलाब देवी, श्रीमती मुरादाबाद
86-घनश्याम शुक्ल,श्री गोण्डा
87-घूरा राम, श्री बलिया
88-चन्द्र किशोर, श्री महराजगंज
89-चन्द्रदेव राम यादव, श्री आजमगढ़
90-चन्द्रभद्र सिंह, श्री सुल्तानपुर
91-चितरंजन स्वरूप, श्री मुजफ्फरनगर
92-छेदीराम, श्री गाजीपुर
93-छोटे लाल यादव, श्री बाराबंकी
94-छोटे लाल वर्मा, श्री आगरा
95-जंग बहादुर, श्री सुल्तानपुर
96-जगदीश नारायण (राय), श्री जौनपुर
97-जगदीश मिश्र बाल्टी बाबा, श्री कुशीनगर
98-जगदीश सिंह राणा, श्री सहारनपुर
99-जगदीश सोनकर,श्री जौनपुर
100-जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
101-जटाशंकर सिंह; श्री बहराइच
102-जय प्रकाश यादव, श्री गोरखपुर
103-जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
104-जयराम विमल, श्री अम्बेडकर नगर
105-जयवीर सिंह, श्री मैनपुरी
106-जियाउद्दीन रिजवी, श्री बलिया
107-ज्ञानेन्द्र सिंह, श्री महराजगंज
108-तेजपाल सिंह, श्री मथुरा
109-दयाराम, श्री कौशाम्बी
110-दया शंकर वर्मा, श्री जालौन
111-दिनेश सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
112-दिलीप कुमार वर्मा, श्री बहराइच
113-दीनानाथ कुशवाहा, श्री देवरिया
114-दीनानाथ भाष्कर, श्री सन्त रविदास नगर, भदोही
115-दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री देवरिया
116-दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
117-देवकी नन्दन, श्री हाथरस
118-देव नारायण उर्फ जी0एम0 सिंह, श्री गोरखपुर
119-देवेन्द्र नागपाल, श्री ज्योतिबा फूलेनगर
120-देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रायबरेली
121-द्वारिका प्रसाद, श्री सन्त कबीर नगर
122-धर्मपाल सिंह, श्री गाजियाबाद
123-धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
124-धर्मराज निषाद, श्री अम्बेडकरनगर
125-धर्म सिंह सैनी, डा0 सहारनपुर
126-धू राम लोधी, चौधरी हमीरपुर
127-नत्थू सिंह, श्री उन्नाव
128-नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, डा0 इलाहाबाद
129-नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

130-नरेन्द्र सिहं यादव, श्री — फर्रुखाबाद
131-नरेन्द्र सिंह सिसौदिया, श्री — गाजियाबाद
132-नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री — हरदोई
133-नवाब सिंह नागर, श्री — गौतमबुद्ध नगर
134-नारद राय, श्री — बलिया
135-परमेश्वर दयाल, श्री — सोनभद्र
136-पारस नाथ यादव, श्री — जौनपुर
137-पी0 के0 राय, डा0 — कुशीनगर
138-पीटर फैन्थम, श्री — नाम-निर्देशित
139-पीतम राम, श्री — पीलीभीत
140-पूर्णमासी देहाती, श्री — कुशीनगर
141-प्रताप चौधरी, श्री — हाथरस
142-प्रदीप माथुर, श्री — मथुरा
143-प्रभु दयाल, श्री — मेरठ
144-प्रभु नारायण, श्री — वाराणसी
145-प्रमोद कुमार, श्री — प्रतापगढ़
146-प्रमोद गौड़, श्री — अलीगढ़
147-प्रागी लाल अहिरवार, श्री — झांसी
148-प्रेम पाल सिंह यादव, श्री — बदायूं
149-प्रेमलता कटियार, श्रीमती — कानपुर नगर
150-प्रेम सिंह, श्री — मथुरा
151-फतेह बहादुर, श्री — महराजगंज
152-फर्साहा बर्शीर, चौधरी (गजाला) — देवरिया
153-फागू, श्री — मऊ
154-बंशीधर राज, श्री — खीरी
155-बाबूराम, एम0 काम0, श्री — जालौन
156-बाबूलाल, श्री — गोण्डा
157-बिजय सिंह, श्री — फर्रुखाबाद
158-बीजू पटनायक, श्री — गाजीपुर
159-बीना भारद्वाज, श्रीमती — रामपुर
160-बृजेन्द्र कुमार व्यास (डमडम महराज), श्री — झांसी
161-बृजेन्द्र प्रताप सिंह कुंवर, एडवोकेट — जालौन
162-बैजनाथ पासवान, श्री — मऊ
163-बैजनाथ दुबे, श्री — गोण्डा
164-ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी, श्री — देवरिया
165-भगेलू राम, श्री — सुल्तानपुर
166-भरत सिंह, श्री — बलिया
167-भारतेन्द्र सिंह, कुंवर — बिजनौर
168-भूपेन्द्र सिंह, श्री — बदायूं
169-मतेश चन्द्र सोनकर, श्री — कौशाम्बी
170-मदन गोपाल वर्मा, श्री — फतेहपुर
171-मदन चौहान, श्री — गाजियाबाद
172-मदन भैया, श्री — बागपत
173-मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री — रायबरेली
174-मलिक मसूद, श्री — आजमगढ़
175-मशहूद खां, श्री — बलरामपुर
176-मस्तराम चौ0, एडवोकेट — उन्नाव
177-महबूब अली, श्री — ज्योतिबाफूलेनगर
178-महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीनूबाबू, श्री — सीतापुर
179-महेन्द्र सिंह जाटव, चौधरी — अलीगढ़
180-महेन्द्र सिंह यादव, श्री — बुलन्दशहर
181-महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री — इटावा
182-महेश त्रिवेदी, श्री — कानपुर देहात
183-महेश नारायण सिंह, श्री — इलाहाबाद
184-माता प्रसाद पाण्डेय, श्री — सिद्धार्थनगर
185-मानपाल सिंह, श्री — एटा
186-माया प्रसाद, श्रीमती — खीरी
187-मिथिलेश कुमार, श्री — शाहजहांपुर
188-मुलायम सिंह यादव, श्री — बदायूं
189-मुंशीलाल गौतम, श्री — बुलन्दशहर
190-मुकुट बिहारी वर्मा, श्री — बहराइच
191-मुश्ताक सोलंकी, हाजी — कानपुर नगर
192-मूलचन्द्र चौहान, ठाकुर — बिजनौर
193-मोख्तार अंसारी, श्री — मऊ
194-मोहन देव शंखवार, श्री — फिरोजाबाद
195-मोहम्मद आकिल उर्फ मुन्ना मियां, श्री — मुरादाबाद
196-मोहम्मद आजम खां, श्री — रामपुर
197-मोहम्मद इरशाद खां, श्री — लखनऊ
198-मोहम्मद बर्शीर, चौधरी — आगरा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

199-मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री इलाहाबाद
200-मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
201-मो0 शफीर, श्री फतेहपुर
202-यशपाल चौधरी, श्री खीरी
203-यशवन्त सिंह, डा0 मुजफ्फरनगर
204-योगेन्द्र कुमार, श्री बदायूं
205-योगेश प्रताप सिंह उर्फ योगेश भइया, श्री गोण्डा
206-रणवीर राणा, श्री मेरठ
207-रतन लाल अहिरवार, श्री झांसी
208-रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री कुशीनगर
209-रमेश कान्त लवानिया, श्री आगरा
210-रमेश कुमार शर्मा, श्री झांसी
211-रमेश चन्द्र बिन्द, डा0 मिर्जापुर
212-रविन्द्र पुण्डीर, प्रो0 मेरठ
213-राकेश कुमार वर्मा, श्री बाराबंकी
214-राकेश पाण्डेय, श्री अम्बेडकर नगर
215-राकेश सचान, श्री कानपुर देहात
216-राज किशोर सिंह, श्री बस्ती
217-राजपाल त्यागी, श्री गाजियाबाद
218-राजपाल सिंह बालियान, श्री मुजफ्फरनगर
219-राजपाल सिंह सैनी, श्री मुजफ्फरनगर
220-राजरानी रावत, श्रीमती बाराबंकी
221-राजलक्ष्मी वर्मा, श्रीमती बाराबंकी
222-राजाराम, श्री प्रतापगढ़
223-राजीव कुमार सिंह, श्री बाराबंकी
224-राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री प्रतापगढ़
225-राजेन्द्र प्रसाद यादव, श्री लखनऊ
226-राजेन्द्र सिंह चौहान, श्री एटा
227-राजेन्द्र सिंह राणा, श्री सहारनपुर
228-राजेश कुमार, श्री खीरी
229-राधेश्याम सिंह, श्री कुशीनगर
230-राम इकबाल सिंह, श्री बलिया
231-राम करन आर्य, श्री बस्ती
232-राम किशुन, श्री वाराणसी
233-राम कृपाल, श्री इलाहाबाद
234-राम कृष्ण, श्री सीतापुर
235-राम गोविन्द चौधरी, श्री बलिया
236-रामनाथ, श्री प्रतापगढ़
237-रामपाल यादव,श्री सीतापुर
238-राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री कन्नौज
239-राम प्रताप सिंह, श्री गोण्डा
240-राम प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
241-रामबाबू हरित, डा0 आगरा
242-राम बिशुन आजाद, श्री गोण्डा
243-राम भुआल निषाद, श्री गोरखपुर
244-राम लाल अकेला, श्री रायबरेली
245-रामवीर उपाध्याय, श्री हाथरस
246-रामवीर सिंह, श्री फिरोजाबाद
247-राम सेवक, श्री सुल्तानपुर
248-राम स्वरूप सिंह, श्री कानपुर देहात
249-राम स्वरूप सिंह, श्री बिजनौर
250-रामहेत, श्री सीतापुर
251-रामेश्वर सिंह यादव, श्री एटा
252-रिजवान अहमद खां, श्री ज्योतिबाफूले नगर
253-रियाज अहमद, श्री पीलीभीत
254-रेवती रमण सिंह, कुंवर इलाहाबाद
255-लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0 मेरठ
256-लालजी टण्डन, श्री लखनऊ
257-लालजी वर्मा, श्री अम्बेडकर नगर
258-लाल बहादुर यादव, श्री जौनपुर
259-लुईस खुर्शीद, श्रीमती फर्रुखाबाद
260-वकार अहमद शाह, डा0 बहराइच
261-वसीम अहमद, श्री आजमगढ़
262-विजमा यादव, श्रीमती इलाहाबाद
263-विजय कुमार मिश्रा, श्री सन्त रविदासनगर, भदोही

264-विजय बहादुर पाल, श्री कन्नौज
265-विजय सिंह, श्री सोनभद्र
266-विजेन्द्र सिंह, श्री हाथरस
267-विद्या चौधरी, श्रीमती आजमगढ़
268-विद्या सागर गुप्ता,श्री लखनऊ
269-विनय शाक्य, श्री औरैया
270-विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह, श्री गोण्डा
271-विनोद कुमार यादव उर्फ कक्का, श्री इटावा
272-विनोद कुमार सिंह, श्री जौनपुर
273-विनोद तिवारी, डा0 पीलीभीत
274-विमल कृष्ण अग्रवाल, श्री बदायूं
275-विमला राकेश, श्रीमती सहारनपुर
276-विवेक बंसल, श्री अलीगढ़
277-विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री बांदा
278-विश्राम सिंह यादव, श्री हरदोई
279-वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना",श्री शाहजहांपुर
280-वीरेन्द्र सिंह गंगवार, श्री बरेली
281-वीरेन्द्र सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
282-वीरेन्द्र सिंह, श्री वाराणसी
283-वीरेश्वर, श्री अलीगढ़
284-वेदराम भाटी, श्री बुलन्दशहर
285-शंखलाल मांझी, श्री सन्त कबीरनगर
286-शचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री सन्त रविदासनगर, भदोही
287-शब्बीर, श्री बहराइच
288-शमीमुल हक, श्री मुरादाबाद
289-शरदवीर सिंह, श्री शाहजहांपुर
290-शहजिल इस्लाम, श्री बरेली
291-शाकिर अली, श्री देवरिया
292-शारदा देवी, श्रीमती गोरखपुर
293-शारदा नन्द अंचल, श्री बलिया
294-शारदा प्रसाद, श्री चन्दौली
295-शाहिद मंजूर, श्री मेरठ
296-शिव कुमार बेरिया, श्री कानपुर देहात
297-शिव चरन प्रजापति, श्री हमीरपुर
298-शिव तपस्या पासवान, श्री चन्दौली
299-शिव पाल सिंह यादव, श्री इटावा
300-शिव प्रताप यादव, डा0 बलरामपुर
301-शिवाकान्त ओझा, प्रो0 प्रतापगढ़
302-शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री महराजगंज
303-शिशुपाल सिंह यादव, श्री एटा
304-शैलेन्द्र यादव "ललई", श्री जौनपुर
305-श्याम सिंह अहेरिया, श्री मथुरा
306-श्यामदेव राय चौधरी, श्री वाराणसी
307-श्याम नारायन, श्री महराजगंज
308-श्याम लाल रावत, श्री सीतापुर
309-श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
310-श्याम सूरत उपाध्याय, श्री इलाहाबाद
311-संजय गर्ग, श्री सहारनपुर
312-संजीव दरियाबादी, श्री कानपुर नगर
313-संदीप अग्रवाल, श्री मुरादाबाद
314-सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
315-सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री मेरठ
316-सदल प्रसाद, श्री गोरखपुर
317-सन्ध्या कठेरिया, कु0 मैनपुरी
318-समरपाल सिंह, श्री बागपत
319-सर्वेश कुमार उर्फ राकेश कुमार, कुं0 मुरादाबाद
320-सलिल विशनोई, श्री कानपुर नगर
321-सिद्ध गोपाल साहू, श्री महोबा
322-सियाराम सागर, डा0 बरेली
323-सुखदेव राजभर, श्री आजमगढ़
324-सुखदेवी वर्मा, श्रीमती इटावा
325-सुन्दर लाल, श्री उन्नाव
326-सुन्दर सिंह, श्री बुलन्दशहर
327-सुरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री जौनपुर
328-सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री रायबरेली

329-सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री	वाराणसी	338-हरिओम यादव, श्री	फिरोजाबाद
330-सुरेश कुमार खन्ना,श्री	शाहजहांपुर	339-हरि प्रताप सिंह, श्री	प्रतापगढ़
331-सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री	लखनऊ	340-हरि शंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर
332-सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री	लखनऊ	341-हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी", श्री	वाराणसी
333-सुशील चौधरी, डा0	सहारनपुर		
334-सूरज सिंह शाक्य, श्री	एटा	342-हीरा लाल गौतम, श्री	आजमगढ़
335-सोमारू राम सरोज, श्री	जौनपुर	343-हुकुम सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
336-सोवरन सिंह, श्री	मैनपुरी	344-होशियार सिंह, श्री	बुलन्दशहर
337-स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री	रायबरेली		

नोट :- श्री अहमद हसन (परिवार कल्याण मंत्री)
श्री राम प्यारे सिंह (पर्यावरण मंत्री)
श्री बनवारी सिंह यादव (प्रोटोकाल, नागरिक उड्डयन एवं राज्य सम्पत्ति राज्य मंत्री) तथा
श्री राम आसरे विश्वकर्मा (उच्च शिक्षा राज्य मंत्री) भी सदन में उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, 11 फरवरी, 2004

आय-व्ययक के प्रस्तुतीकरण के समय सदन में सभी सदस्यों की उपस्थिति तथा उनका योगदान होने के सम्बन्ध में श्री अध्यक्ष का अनुरोध तथा वर्ष 2004-2005 आय-व्ययक सम्बन्धी साहित्य वितरित किये जाने हेतु की गयी व्यवस्था की सूचना

श्री अध्यक्ष-

पहले मैं कुछ सूचना देना चाहता हूं सदन को सूचना देने के पहले भी एक अनुरोध करना चाहता हूं। आज माननीय मुख्य मंत्री वर्ष 2004-2005 का आय-व्ययक प्रस्तुत करेंगे। मैं सभी दल के माननीय नेताओं से अनुरोध करूंगा कि कम से कम जिस दिन आय-व्ययक प्रस्तुत होने वाला हो, उस दिन सभी माननीय सदस्यों की उपस्थिति सुनिश्चित कर लें। बहुत कम लोग दिखाई पड़ रहे हैं। यह महत्वपूर्ण दिन होता है, इसलिये सबका योगदान चाहिए। इसलिये सभी माननीय विधायक उपस्थित रहें। एक सूचना मुझे देनी है, आय-व्ययक के सम्बन्ध में।

अब कुछ क्षणों बाद वित्तीय वर्ष 2004-2005 का आय-व्ययक प्रस्तुत होगा। माननीय सदस्यों को वर्ष 2004-2005 के आय-व्ययक सम्बन्धी साहित्य वितरित किये जाने हेतु की गई व्यवस्था इस प्रकार है :--

"हां" सभाकक्ष में समस्त महिला सदस्य तथा बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बदायूं, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, फैजाबाद, बाराबंकी, बहराइच, गोण्डा, बलरामपुर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, महराजगंज, पडरौना, देवरिया, मऊ, चित्रकूट, आजमगढ़ जिलों के समस्त सदस्यगण,

और

"नहीं" सभाकक्ष में नाम-निर्देशित सदस्य तथा शेष अन्य जिलों के समस्त माननीय सदस्यगण अपना साहित्य प्राप्त करने का कष्ट करें।

(बजट भाषण की प्रतियां बांट दी जायं)

वित्तीय वर्ष 2004-2005 के आय-व्ययक का प्रस्तुतीकरण

मा0 मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)-

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं वित्तीय वर्ष 2004-2005 का बजट इस सम्मानित सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। .....

(मेजों की थपथपाहट)

(माननीय मुख्य मंत्री ने बजट भाषण पढ़ना जारी रखा)

मान्यवर,

यह मेरा सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश की महान जनता ने इस आदरणीय सदन के सामने मुझे वित्तीय वर्ष 2004-2005 का बजट प्रस्तुत करने का अवसर दिया है। बहुत लम्बे समय बाद उत्तर प्रदेश में आज एक ऐसी सरकार काम कर रही है, जिसे जनता के सभी वर्गों का समर्थन प्राप्त

है। हमारी नीतियों और कार्यक्रमों पर बड़े पैमाने पर प्रदेश की जनता ने विश्वास व्यक्त किया है। इसलिए हम इसे अपना पुनीत दायित्व मानते हैं कि सरकार के काम और कार्यशैली से प्रदेश के हर वर्ग को यह अहसास हो कि सरकार उनके हितों की रक्षा करने और उन्हें समृद्धिशाली बनाने के लिऐ संकल्पबद्ध है। हमारी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है।

मैं पहले भी कह चुका हूं कि हमारी सरकार उत्तर प्रदेश को एक आदर्श प्रदेश के रूप में विकसित करने के लिये पूर्णतः प्रयासरत है। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर हमने अपना यह बजट तैयार किया है। हम चाहते हैं कि हर वर्ग तक यह संदेश पहुंचे कि यह सरकार उनकी अपनी सरकार है और अत्यन्त सीमित संसाधनों के बावजूद उनके उत्थान का उद्देश्य लेकर चल रही है। इस प्रदेश में रहने वाले हर नागरिक को, चाहे वह शहरों में रहने वाला हो या गांवों में, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, क्षेत्र, वर्ग, लिंग, समुदाय और सम्प्रदाय का हो, हम यह अहसास कराना चाहते हैं कि यह सरकार उनकी तकलीफों के प्रति संवदेनशील है। किसान, मजदूर, व्यापारी, वकील, महिला, कारीगर, नौजवान, उद्यमी, शिक्षक, छात्र, अल्पसंख्यक, असहाय, वृद्ध, विकलांग - हर वर्ग के लोगो के लिए हम लाभकारी योजनायें और कार्यक्रम बनाकर उन्हें पूरी निष्टा के साथ लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

मुझे विश्वास है कि आप भी यह महसूस करेंगे कि यह बजट हमारी इस मंशा को यथार्थ के धरातल पर लाने की एक ईमानदार कोशिश है। हम अपने प्रयास में कितना सफल होते हैं, इसे आँकड़ों के माध्यम से देखने की बजाय हम इस आधार पर इसका परीक्षण करेंगे कि समाज में जो व्यक्ति विकास की अन्तिम सीढ़ी पर खड़ा हुआ है, जो शोषित, पीड़ित और परेशान है, उसे राहत पहुँचाने तथा उसकी शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक उन्नति करने में हम कितने सफल हुए हैं।

मैंने वर्ष 1990-1991 का बजट इसी माननीय सदन के सामने प्रस्तुत करते हुए कहा था कि हम बख्शीश की राजनीति के स्थान पर व्यवस्था परिवर्तन की राजनीति चाहते हैं, जिससे हमेशा के लिये दुःख-दर्द मिटे। मैं आज भी इस प्रतिबद्धता को दोहराता हूं। हम समाज के हर वर्ग को इतना शक्तिशाली और समृद्ध बनाने तथा ऐसी चेतना से सम्पन्न करना चाहते हैं कि उसमें अपने उत्थान के लिय स्वयं सामर्थ्य पैदा हो। इसी उद्देश्य को लेकर हम राजनीति में आये हैं। हमारी राजनीति का आधार सिद्धान्तों और वैचारिक प्रतिबद्धताओं से निर्मित हुआ है। सत्ता हमारे लिए जनता की सेवा का सशक्त माध्यम है, लोगों के हित में मानवीय और जनहितकारी व्यवस्था लागू करने का अवसर है हमारे विचारों, सिद्धान्तों और प्रतिबद्धताओं के बल पर ही हमें प्रदेश की जनता के हर वर्ग का समर्थन मिला है। इसी के बल पर हम प्रदेश में विकास के नये युग की आधारशिला रख रहे हैं इसलिए इस बजट में इसका प्रतिबिम्ब दिखाई देना स्वाभाविक है। जनता का हित करके हम किसी पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं।

राज्य के बजट का विधान मण्डल द्वारा समय से पारित हो जाना अत्यन्त आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है ताकि पूरे वर्ष के लिए नियोजित तरीके से विकास कार्यों को सम्पन्न करने हेतु आवश्यकतानुसार धनराशि उपलब्ध हो सके। बजट को आज 11 फरवरी को प्रस्तुत करना बजट प्रक्रिया को सही दिशा में लाने का प्रयास है।

मैंने वर्ष 2003-2004 के अपने बजट भाषण में यह उल्लेख किया था कि राज्य सरकार द्वारा कृषि, उद्योग, व्यापार, विद्युत, सड़क, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सेवाओं को प्राथमिकता दी जायेगी। रोजगार के अवसर सुलभ कराये जायेंगे। समाज के सभी वर्गों, विशेषकर पिछड़े और निर्बल

वर्ग के उत्थान का प्रयास किया जायेगा कठोर वित्तीय अनुशासन एवं वित्तीय सुधार कार्यक्रम लागू किया जायेगा। ग्रामीण क्षेत्रों को वरीयता दी जायेगी। महिलाओं एवं अल्पसंख्यक समुदाय सहित समाज के दुर्बल वर्गों की शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सेवाओं पर विशेष बल दिया जायेगा।

अपने सीमित संसाधनों के दायरे में हम पूरी निष्ठा के साथ इन प्राथमिकताओं पर अधिक से अधिक बल देते हुए प्रदेश को एक आदर्श, आधुनिक एवं समतामूलक राज्य के रूप में विकसित करने के लिए पूर्णतया प्रतिबद्ध हैं।

सम्मानित सदन को यह विदित है कि नब्बे के दशक में आर्थिक सुधारों की जो प्रक्रिया शुरू की गई उससे यह बात उभर कर आई है कि सामाजिक व आर्थिक चुनौतियों का सामना करने के लिये निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के सहयोगी और सहभागी के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। निजी क्षेत्र की मौजूदगी बहुत विस्तृत है। जहां एक ओर निगमित क्षेत्र हैं, वहीं दूसरी ओर उससे अधिक बड़ा असंगठित क्षेत्र है, जिसमें छोटी-छोटी इकाइयां और उद्यम हैं।

मान्यवर, हमारी सरकार की विकास की रणनीति के दो मुख्य पहलू हैं। एक तो हमारा यह प्रयास होगा कि सार्वजनिक पूंजी का उपयोग सर्वाधिक आवश्यकता वाले सामाजिक क्षेत्रों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य के विकास में किया जाय। साथ ही विकास के लिये महत्वपूर्ण अवस्थापना जैसे बिजली, सड़क एवं सिंचाई सुविधाओं का सृजन भी करना होगा। लेकिन हमारी सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि समाज के सबसे कमजोर एवं जरूरतमंद वर्ग के लोगों के हितों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाती रहे।

हमारी सरकार की रणनीति का दूसरा पहलू यह होगा कि प्रदेश में आर्थिक विकास का एक ऐसा अनुकूल वातावरण विकसित हो जिससे पूंजी निवेशकों का सरकार की नीतियों में विश्वास बढ़े इससे हम प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा गैर सरकारी पूँजी निवेशकों को आकर्षित कर सकेंगे।

हमारा यह मानना है कि कृषि, उद्योग तथा सेवा के क्षेत्रों में निजी क्षेत्र के बढ़ते हुए फैलाव के कारण रोजगार के पर्याप्त अवसर सृजित हो सकते हैं। हम प्रदेश में बेरोजगारी दूर करने के लिये इसका पूरा-पूरा लाभ उठाना चाहेंगे।

राज्य सरकार के वर्ष 2004-2005 के बजट की रणनीति तथा उसके अन्तर्गत ली गई योजनाएं व कार्यक्रम इसी के अनुरूप हैं, जिनका मैं संक्षेप में उल्लेख करना चाहूंगा।

प्राथमिकताएँ, उपलब्धियाँ तथा नए कार्यक्रम

ग्रामीण विकास की गति को अबाध व अविरल बनाये रखने के उद्देश्य से वार्षिक योजना का लगभग 71 प्रतिशत अंश ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वित की जाने वाली योजनाओं व कार्यक्रमों के लिए है। इन्हें और गति देने के लिए व्यय की नई मदों का 80 प्रतिशत अंश ग्रामीण क्षेत्रों के लिये रखा गया है।

कुछ समय पूर्व गठित उत्तर प्रदेश विकास परिषद् द्वारा प्रदेश के आर्थिक एवं औद्योगिक विकास के दूरगामी लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए महत्वपूर्ण संस्तुतियाँ सरकार को उपलब्ध करायी गई हैं। परिषद् की संस्तुतियों में नई ऊर्जा नीति और उच्च तकनीक टाउनशिप योजनाएं प्रमुख हैं। हमें विश्वास है कि आर्थिक सुधारों की दिशा में इन अभिनव प्रयासों से हम निजी क्षेत्र की अधिकाधिक पूँजी को आकर्षित कर सकेंगे।

किसानों के हितों की सुरक्षा

- स्वाधीनता के बाद पहली बार प्रदेश के लगभग ढाई करोड़ सभी खातेदार किसानों को आकस्मिक दुर्घटना में मृत्यु अथवा उससे पैदा होने वाली शारीरिक विकलांगता की स्थिति में बीमा का लाभ दिलाने के लिए हमारी सरकार द्वारा शीघ्र ही एक नई बीमा योजना शुरू की जाएगी। यह किसानों के हितों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को प्रतिबिम्बित करता है।

- गन्ना किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान पेराई सत्र में अब तक 300 लाख टन गन्ने की पेराई की गई जबकि पिछले सत्र में इसी अवधि में केवल 220 लाख टन गन्ने की पेराई हो सकी थी। वर्तमान सत्र में लगभग 1100 करोड़ रुपये गन्ना मूल्य का भुगतान किया जा चुका है, जबकि पिछले पेराई सत्र में 650 करोड़ रुपये का भुगतान हुआ था। गन्ना किसानों की कठिनाइयों के निवारण हेतु राज्य सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में 532 करोड़ रुपये गन्ना मूल्य के भुगतान हेतु दिये गये हैं।

- प्रदेश में आलू उत्पादकों के व्यापक हित में सरकार द्वारा आलू के निर्यात को प्रोत्साहित किये जाने हेतु भण्डारण सहायता तथा देश के भीतर 500 किलोमीटर से अधिक दूरी के केन्द्रों पर विपणन हेतु आलू भेजने के लिये परिवहन भाड़ा सहायता दिये जाने का निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से भी अनुरोध किया है कि केन्द्रीय संस्था, नाफेड द्वारा बाजार हस्तक्षेप योजना के अन्तर्गत आलू की खरीद की जाए।

- धान से चावल के निकासी की दर के मानकों को शिथिल कर दिया गया है जिससे ज्यादा से ज्यादा किसानों का धान क्रय किया जा सके और किसानों को अधिक आय हो सके।

- किसानों को उनकी उपज के सुविधाजनक विपणन हेतु प्रदेश में ग्राम पंचायतों की भूमि पर लगने वाले 900 *किसान बाजारों एवं* 100 *पशु हाटों* में अवस्थापना सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण एवं निर्माण की नई योजना बनाई गई है। इस हेतु 42.75 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है।

ग्रामीण क्षेत्र का चहुंमुखी विकास

- प्रदेश के 25 जनपदों को आदर्श जनपदों में विकसित करने के लिये "आदर्श जनपद योजना" के लिये प्रथम चरण में 195 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। मुख्यतः यह धनराशि चयनित जनपदों के ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास तथा रोजगार के नए अवसर सृजित करने पर व्यय की जायेगी। हमारा उद्देश्य प्रदेश के सभी जनपदों को चरणों में इस योजना से आच्छादित करने का है।

- कम कृषि उत्पादकता तथा बेरोजगारी की समस्या वाले 20 पिछड़े हुए जनपदों में भौतिक व सामाजिक अवस्थापनाओं में क्रिटिकल गैप्स को पूरा करने हेतु राष्ट्रीय सम विकास योजना के क्रियान्वयन हेतु 225 करोड़ रुपये का बजट प्राविधान किया गया है।

- विधान मण्डल के माननीय [illegible] द्वारा चयनित 6000 ग्रामों में समग्र विकास योजना क्रियान्वित की जाएगी। इन ग्रामों में अवस्थापना विकास, रोजगार सृजन, शिक्षा व स्वास्थ्य आदि महत्वपूर्ण क्षेत्रों से सम्बन्धित विभिन्न विभागों की क्रियान्वित की जा रही 16 योजनाओं को सघन रूप से केन्द्रित किया जायेगा।
- *त्वरित आर्थिक विकास योजना* के अन्तर्गत 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है, जिससे मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाओं का विकास किया जायेगा।
- ग्रामीण क्षेत्रों में *स्वच्छता प्रवर्तन कार्यक्रम* को एक अभियान के रूप में चलाकर वर्ष 2004-2005 में 6 लाख शौचालयों का निर्माण कराया जायेगा, जिसका सर्वाधिक लाभ महिलाओं को मिलेगा। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु लगभग 56 करोड़ रुपये की अतिरिक्त व्यवस्था की गयी है।
- विधायक निधि में [illegible] धायक धनराशि 75.00 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.00 करोड़ रुपये की जायेगी, जिसके [illegible] 126 करोड़ रुपये की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है।
- प्रदेश के पूर्वी तथा बुन्देलखण्ड क्षेत्रों के त्वरित विकास हेतु गठित विकास निधियों के लिये 200 करोड़ का प्राविधान किया गया है।

अवस्थापना सुविधाओं का विकास

- ऊर्जा की नई नीति के अन्तर्गत वर्ष 2009 तक लगभग 40 हजार गाँवों के विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्ष 2004-2005 में 6000 गाँवों में बिजली पहुँचाई जायेगी।
- गैस पर आधारित 3500 मेगावाट क्षमता वाले दुनिया के सबसे बड़े बिजली घर की निजी क्षेत्र में स्थापना की पहल प्रदेश में की गई है। इसके लिए 10,000 करोड़ रुपये का निवेश सम्भावित है।
- विद्युत वितरण के क्षेत्र में एक नई ट्रेडिंग कम्पनी का गठन किया जा रहा है।
- आनपारा "सी" थर्मल प्रोजेक्ट को निजी क्षेत्र के सहयोग से पूर्ण कराया जायेगा।
- वर्ष 2004-2005 में सभी एजेन्सियों द्वारा कुल मिलाकर 10,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का जाल बिछाया जाएगा, जिसमें लगभग 2000 करोड़ रुपये का निवेश होगा। इसमें *प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना* के अन्तर्गत बनायी जाने वाली सड़कें भी शामिल हैं।
- उत्तर प्रदेश राज्य मार्ग प्राधिकरण का एक स्वायत्तशासी संस्था के रूप में गठन किया गया है। इस प्राधिकरण के द्वारा 9100 किलोमीटर लम्बे राज्य मार्गों के सुदृढ़ीकरण व अनुरक्षण का कार्य किया जाएगा। निजी पूँजी निवेश को भी इस कार्य हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा।
- ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के व्यवस्थित निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क अभिकरण का भी गठन किया गया है। इस अभिकरण द्वारा विभिन्न एजेन्सियों द्वारा किये जाने वाले सड़क निर्माण कार्यों का समन्वय, अनुश्रवण एवं नियंत्रण डा0 राम मनोहर लोहिया ग्रामीण सम्पर्क मार्ग (छतरी) योजना के अन्तर्गत किया जायेगा।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

- निजी स्रोतों के माध्यम से एक नए प्रयोग के रूप में बिल्ड, ऑपरेट एण्ड ट्रान्सफर आधार पर रेलवे उपरगामी सेतुओं के निर्माण के लिए अध्ययन तथा तकनीकी सहायता प्राप्त किये जाने हेतु 2.50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

- चौधरी चरण सिंह नलकूप परियोजना नामक नई योजना के अन्तर्गत पंचायतों की भागीदारी से 1000 नए नलकूपों का निर्माण कराया जाएगा। प्रथम चरण में वर्ष 2004-2005 में 300 नलकूपों का निर्माण कराया जाएगा। इस हेतु 26.98 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

- चौधरी चरण सिंह सिंचाई विकास योजना के अन्तर्गत नहर प्रणालियों से बेहतर सिंचाई सुविधा हेतु नहर पटरियों पर सड़कों के निर्माण हेतु 36.52 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

मानव संसाधनों का विकास

- सभी के लिए शिक्षा के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सर्व शिक्षा अभियान का वृहत् कार्यक्रम संचालित किया गया है। विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिये शिक्षकों की भर्ती करने तथा शिक्षा मित्रों को रखने का अभूतपूर्व निर्णय हमारी सरकार ने लिया है।

- सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र में लगभग 1,200 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है। 46,189 बी.एड/एल. टी. योग्यताधारी अभ्यर्थियों की सहायक अध्यापक पद पर नियुक्तियाँ की जाएंगी। साथ ही लगभग 67,000 शिक्षा मित्रों की नियुक्ति की जायेगी।

- बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए कन्या विद्या धन योजनान्तर्गत कक्षा-8 उत्तीर्ण गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों की 90,000 छात्राओं का चयन कर कक्षा-12 उत्तीर्ण होने पर प्रोत्साहन स्वरूप 20,000 रुपये प्रति छात्रा भुगतान किया जायेगा।

- समाजवादी विचारक स्व0 श्री मधु लिमये के विचारों पर उत्कृष्ट शोध ग्रन्थ और उल्लेखनीय साहित्यिक योगदान के लिए उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान के माध्यम से एक लाख रुपये का मधु-लिमये स्मृति पुरस्कार प्रतिवर्ष दिये जाने का निर्णय लिया गया है।

- प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेषकर दूरवर्ती तथा दुर्गम स्थानों के निवासियों को स्थल पर चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने के लिये प्रथम चरण में 17 मोबाइल अस्पतालों का गठन किया जायेगा।

- 30 जनपदों में विशिष्ट चिकित्सा सुविधा हेतु जिला अस्पतालों में चिकित्सा संयंत्र उपलब्ध कराने हेतु 28.28 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

- डा0 राम मनोहर लोहिया अस्पताल, लखनऊ को अस्थि रोग विज्ञान एवं फिजियोथेरेपी विज्ञान के सेन्टर आफ एक्सीलेन्स के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके [illegible] 8 करोड़ रुपये का प्राविधान है।

- अप्रवासी भारतीयों एवं प्रदेश के अन्य प्रान्तों में रहने वाले नागरिकों के सहयोग से *स्वास्थ्य* फाउन्डेशन का गठन किया गया है।
- किंग जार्ज दन्त विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना प्रस्तावित है, जिसके लिए 15 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। इसमें चार नये संकाय ओरल मेडिसिन एण्ड रेडियोलॉजी, कम्यूनिटी डेन्टिस्ट्री, डेण्टल एनाटोमी तथा डेण्टल मैटेरियल्स स्थापित किये जाने हैं।

नगरीय सुविधाओं का विकास

- प्रदेश में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के नगरों के विकास हेतु एक विशेष निवेश पैकेज तैयार किया गया है।
- यमुना एक्शन प्लान के अन्तर्गत प्रथम चरण में नगरों में नगरीय सुधार योजना लागू की गयी है।
- स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के अन्तर्गत बजट वर्ष में 32 करोड़ रुपये का व्यय होने का अनुमान है।
- वाल्मिकी अम्बेडकर मलिन बस्ती आवास योजना के अन्तर्गत 12,500 आवासों का निर्माण प्रस्तावित है।
- निजी पूँजी निवेश के माध्यम से इन्ट्रीग्रेटेड टाउनशिप विकसित करने हेतु नई नीति प्रस्तावित है।
- भारत सरकार द्वारा गठित अरबन रिफार्म इन्सेन्टिव फण्ड से धनराशि की अनुमन्यता हेतु राज्य सरकार द्वारा सुधार कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

विभिन्न वर्गों हेतु सुविधाएं

शिक्षक

- प्रदेश के राज्य सहायता प्राप्त प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालयों तथा डिग्री कालेजों के अध्यापकों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ा कर 62 वर्ष की गयी है।
- राज्य विश्वविद्यालयों के शिक्षकों की भाँति 01 जनवरी, 1996 के पूर्व अवकाश प्राप्त डिग्री शिक्षकों की पेंशन के पुनरीक्षण का निर्णय लिया गया है।
- राज्य विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के पी0 एच0 डी0 उपाधि धारक शिक्षकों को कतिपय शर्तों के अधीन दो अग्रिम वेतन वृद्धियां दिये जाने का निर्णय लिया गया है।
- उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिये सामूहिक जीवन बीमा योजना लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है।
- अशासकीय सहायता-प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों से सम्बद्ध प्राइमरी प्रभाग के शिक्षकों को पेंशन सुविधा अनुमन्य कराये जाने का प्रस्ताव है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

व्यापारी

- व्यापार कर पंजीकरण के लिए छूट की वर्तमान सीमा व्यापारियों के लिए डेढ़ लाख रुपये एवं उद्यमियों के लिए एक लाख रुपये है। इसे बढ़ाकर दोगुना किया जायेगा।
- व्यापारियों की सामूहिक बीमा राशि को दो लाख रुपये से दोगुना कर चार लाख रुपये कर दिया गया है।
- दलहन व्यापार के लिए लाइसेंस एवं स्टाक सीमा का प्रतिबन्ध समाप्त किया गया है।
- व्यापार कर पंजीकरण बिना जमानत किये जाने की नीति लागू की गई है।
- उद्यमियों एवं व्यापारियों की सुरक्षा और सुदृढ़ बनाने के लिए जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में "औद्योगिक/व्यापारिक सुरक्षा फोरम" के गठन की कार्यवाही शीघ्रता से की जायेगी। उद्यमी एवं व्यापारी प्रदेश में अपने को पूर्णतः भयमुक्त एवं सुरक्षित महसूस करें इसके लिये जो भी आवश्यक कार्यवाही है उसे किये जाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।

अधिवक्ता

- चालू वित्तीय वर्ष में उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि को अनुदान दिये जाने के लिए 1.50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। साथ ही, अवध बार एसोसियेशन के अधिवक्ताओं के चेम्बर निर्माण तथा पुस्तकालय के लिये पुस्तकों के क्रय हेतु 1.10 करोड़ रुपये तथा उत्तर प्रदेश राज्य विधिज्ञ परिषद् के भवन के निर्माण हेतु 60 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है।
- बजट वर्ष में अधिवक्ताओं के लिए चेम्बर निर्माण के लिए 15 करोड़ रुपये की व्यवस्था है।

होमगार्ड्स

- होमगार्ड्स स्वयं सेवकों को परेड भत्ते की राशि 28 रुपये प्रति दिवस से बढ़ा कर 50 रुपये प्रति दिवस किये जाने का निर्णय लिया गया है।

रिक्शा चालक

- स्थानीय निकायों में स्वयंचालित रिक्शा और आरोपित लाइसेंस शुल्क को समाप्त कर दिया गया है।
- अल्पसंख्यक समुदाय, पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति के ऐसे रिक्शा चालकों जिनके पास अपना स्वयं का रिक्शा नहीं है, को 4 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराकर उन्हें रिक्शा मालिक बनाने की योजना लागू करने का भी निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। योजनान्तर्गत प्रथम चरण में 10,000 रिक्शा चालकों को आच्छादित किया जायेगा।

बुनकर

- प्रदेश के बुनकरों के विद्युत बिलों में अधिकतम 5,000 रुपये की सीमा के अधीन 50 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।
- प्रदेश में लगभग 7.10 लाख बुनकर और 2.33 लाख हथकरघे लगे हुए हैं। 25,000 बुनकरों को रोजगार सुलभ कराते हुए 51 करोड़ मीटर हथकरघा वस्त्र के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है।

अल्पसंख्यक

- एक वैधानिक संस्था के रूप में उत्तर प्रदेश अरबी-फारसी मदरसा बोर्ड का गठन प्रस्तावित है। इसके लिए एक विधेयक सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।
- रामपुर में उर्दू/फारसी विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। इसके लिए एक विधेयक सदन में प्रस्तुत किया जायेगा।
- उर्दू भाषा के 3000 से अधिक सहायक अध्यापकों की नियुक्तियां की जाएंगी।
- मौलाना मुहम्मद अली जौहर के स्वतंत्रता संग्राम में किये गये योगदान को ध्यान में रखते हुए उनके पैतृक स्थान रामपुर में मौलाना मुहम्मद अली जौहर शोध संस्थान की स्थापना की जाएगी।
- अल्पसंख्यक मार्जिन मनी ऋण योजना ब्याज की दर 6 प्रतिशत से घटाकर 3 प्रतिशत कर दी गई है।
- आलिया स्तर तक के समस्त बालिका अनुदानित मदरसों को निःशुल्क कम्प्यूटर उपलब्ध कराये जायेंगे।
- मदरसा मिनी आई0 टी0 आई0 स्कीम के अन्तर्गत 140 मदरसों में व्यवसायिक शिक्षा दी जाएगी।

महिलाएं

प्रदेश की आधे से अधिक महिलाएं लिख पढ़ नहीं सकतीं। महिला साक्षरता में कमी का प्रतिकुल प्रभाव शिशु मृत्यु दर पर भी पड़ा है। प्रदेश में यह दर राष्ट्रीय औसत से कहीं अधिक, 83 प्रति हजार है।

महिलाओं की आर्थिक व सामाजिक स्थिति, प्रदेश के विकास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए अभी उस स्तर की नहीं है, जितना उनका हक है। प्रदेश की लगभग आधी आबादी की ओर हमारी सरकार की विशेष संवेदना है।

- महिलाओं के व्यक्तित्व को गरिमा प्रदान करने के लिए उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधारने के कार्यक्रम प्रारम्भ किये जा रहे हैं जिनमें से कतिपय कार्यक्रमों का उल्लेख यथा स्थान किया गया है।

बेरोजगार नौजवान

हमारी सरकार का संकल्प है कि प्रदेश में अधिक से अधिक रोजगार के साधन उपलब्ध करायें और सार्वजनिक तथा निजी पूँजी निवेश में वृद्धि द्वारा विकास के माध्यम से बेरोजगारी की समस्या दूर करें। यद्यपि हम इस दिशा में प्रयासरत हैं परन्तु बेरोजगारी की गम्भीर समस्या के दृष्टिगत बहुत कम समय में सबको रोजगार दिया जाना सम्भव नहीं है। इसके लिये राज्य सरकार बेरोजगारी भत्ते के प्रश्न पर गम्भीरता पूर्वक विचार कर रही है। परन्तु राज्य सरकार के सीमित

संसाधनों को देखते हुए हम इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार के सहयोग एवं भागीदारी की आकांक्षा करते हैं तथा अपेक्षा करते हैं कि केन्द्र सरकार राज्य सरकार को इस सम्बन्ध में आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराये। हमने इस विषय में माननीय प्रधानमंत्री जी को एक पत्र भी भेजा है। भारत सरकार से उत्तर प्राप्त होने पर इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

मान्यवर,

सम्मानित सदस्य सहमत होंगे कि राज्य सरकार द्वारा समग्र एवं सन्तुलित विकास को लक्ष्य मानते हुए ही बजट के माध्यम से सभी कार्यक्रमों को एक निश्चित दिशा दिये जाने का प्रयास किया गया है।

आर्थिक परिदृश्य

दसवीं योजना अवधि में 8 प्रतिशत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य रखा गया है जबकि योजना के प्रथम वर्ष 2002-2003 के त्वरित अनुमानों के अनुसार प्रदेश की विकास दर 0.3 प्रतिशत रही एवं देश की विकास दर 4.2 प्रतिशत रही। यद्यपि उक्त वर्ष में अभूतपूर्व सूखे की स्थिति रही तथापि इससे यह तो स्पष्ट होता ही है कि प्रदेश में आर्थिक विकास की दर अभी भी सम्पूर्ण देश की तुलना में काफी कम है।

वर्ष 2002-2003 के अनन्तिम अनुमानों के अनुसार राज्य की कुल आय में कृषि का योगदान लगभग 34 प्रतिशत है जबकि प्रदेश के कुल कर्मकारों में से 66 प्रतिशत कर्मकार कृषि क्षेत्र में लगे हुए हैं। यह कृषि क्षेत्र में अधिक श्रम शक्ति के लगे होने का द्योतक है।

इस स्थिति को ध्यान में रखकर ही प्रदेश के भावी विकास की रणनीति तय की है। आशा है हमारे इस प्रयास में विधान मण्डल के सभी माननीय सदस्यों का सहयोग हमें प्राप्त होगा।

वार्षिक योजना (2004-2005)

प्रदेश की वार्षिक योजना 2004-2005 के लिए 8,500 करोड़ रुपये का अनन्तिम परिव्यय प्रस्तावित है। केन्द्रीय योजना आयोग के साथ विचार विमर्श के उपरान्त वार्षिक योजना के आकार को अन्तिम रूप से निर्धारण किया जायेगा। अनन्तिम परिव्यय का लगभग 21 प्रतिशत अंश अनुसूचित जाति/जनजाति के विकास हेतु स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान/ट्राइबल सब प्लान हेतु रखा गया है।

शान्ति व्यवस्था

शान्ति व्यवस्था और अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण प्रदेश में विकास हेतु अनुकूल वातावरण तैयार किये जाने की पहली आवश्यकता है। शान्ति व्यवस्था की गम्भीर चुनौतियों का सामना करने के लिये पुलिस प्रशासन को नया रूप देने, अधिक सतर्क, सक्षम और प्रभावी बनाने के लिये अत्याधुनिक संसाधन, दूर संचार व तीव्र गति के वाहनों से लैस किये जाने के लिए बजट में 250 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। साम्प्रदायिक घटनाओं से त्वरित गति से निपटने के लिये दंगा निरोधक उपकरणों के लिए भी व्यवस्था की गई है।

राजकोषीय सेवायें

राज्य के राजस्व प्राप्तियों में राजकोषीय सेवाओं का अत्यन्त महत्वपूर्ण योगदान होता है जो कि कुल प्राप्ति का लगभग 50 प्रतिशत होता है। इनमें व्यापार कर, आबकारी एवं स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन शुल्क प्रमुख स्रोत हैं।

राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2004-2005 में राज्य के स्वयं के कर राजस्व प्राप्ति के अन्तर्गत 16,031.25 करोड़ रुपये के अनुमान लिए गए हैं।

राज्य सरकार द्वारा इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक प्रभावी कार्ययोजना तैयार की गयी है, जिसमें राजस्व प्राप्तियों का नियमित एवं प्रभावी अनुश्रवण, बकाया राजस्व की वसूली, करापवंचन पर अंकुश लगाने के लिए प्रवर्तन एवं पूर्व गठित अनुसंधान शाखा का सुदृढ़ीकरण विभागीय अधिकारियों एवं जिला प्रशासन तंत्र के मध्य प्रभावोत्पादक सहयोग लिया जायेगा।

करेतर राजस्व के अन्तर्गत वर्ष 2004-2005 हेतु 1,852.57 करोड़ रुपये के प्राप्तियों के अनुमान लिए गए हैं।

कृषि एवं अन्य सम्बद्ध सेवायें

इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए तथा यह देखते हुए कि अभी भी प्रदेश के विकास में कृषि क्षेत्र की भूमिका सर्वाधिक है, आर्थिक विकास कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई है।

वर्ष 2004-2005 में कृषि उत्पादन में विकास दर 5.1 प्रतिशत प्रतिवर्ष शाश्वत बनाये रखते हुए 502 लाख मी0 टन खाद्यान्न उत्पादन तथा 16 लाख मी0 टन तिलहनी उत्पादन के लक्ष्य प्रस्तावित हैं।

किसानों को खेती की बेहतर तकनीकें उपलब्ध कराने तथा उनकी आय में वृद्धि करने की दृष्टि से विश्व बैंक की सहायता से *"कृषि विविधिकरण योजना"* चलाई जा रही है। इसके प्रथम चरण की सफलता को देखते हुए इसे द्वितीय चरण और अधिक विस्तार देते हुए चलाया जाना प्रस्तावित है।

उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम द्वारा द्वितीय चरण में ऊसर सुधार का कार्य विश्व बैंक की सहायता से प्रदेश के 17 ऊसर बाहुल्य जनपदों में चलाया जा रहा है। इस परियोजना से मुख्यतः सीमान्त एवं लघु अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्ग के कृषक लाभान्वित होते हैं।

कृषकों के जीवन गुणवत्ता में सुधार लाये जाने हेतु बीहड़ स्थिरीकरण परियोजना यूरोपियन कमीशन व उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से संचालित की जा रही है।

गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग

गन्ना पेराई सत्र 2002-2003 का कुल गन्ना मूल्य 4994 करोड़ रुपये में से 4983 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम तथा सहकारी चीनी मिल संघ द्वारा सम्पूर्ण गन्ना मूल्य का भुगतान कर दिया गया है।

ग्राम्य विकास एवं ग्रामीण रोजगार

सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2004-2005 में 17 करोड़ से अधिक मानव दिवस सृजित करने का लक्ष्य है। *अम्बेडकर विशेष रोजगार* योजनान्तर्गत विभिन्न योजनाओं के माध्यम से 1.20 लाख लोगों को *स्वरोजगार तथा रोजगार संकल्प (रोजगार छतरी योजना)* के अन्तर्गत

12.50 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजन किया जाना प्रस्तावित है। *स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना* में 2.5 लाख परिवारों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।

ग्रामीण अंचलों में आवासों की कमी के निराकरण हेतु इन्दिरा आवास योजना एवं *प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (ग्रामीण आवास)* के अन्तर्गत 2.25 लाख परिवारों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य है।

ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमों के लिए 372.17 करोड़ रुपये का प्राविधान है जिसमें *स्वजल धारा परियोजना* के अन्तर्गत हैण्डपम्पों के अधिष्टापन पर 149.90 करोड़ रुपये का प्राविधान सम्मिलित है।

सड़क एवं यातायात

अभी भी 45 प्रतिशत से अधिक ग्रामीण आबादियाँ लेपित सम्पर्क मार्गों से नहीं जुड़ी हैं। *प्रधान मंत्री ग्राम योजना के अतिरिक्त समग्र विकास योजना* के अन्तर्गत ग्रामीण सम्पर्क मार्गों का निर्माण कराया जायेगा। ग्रामीण सड़कों की मरम्मत तथा रख-रखाव पर विशेष ध्यान दिया जायेगा, जिससे किसान को अपनी उपज मण्डियों तक पहुँचाने में सुविधा हो।

ग्रामीण सम्पर्क मार्गों एवं सेतुओं के निर्माण के लिए 476.30 करोड़ रुपये के परिव्यय से 2,765 कि0मी0 मार्गों का निर्माण कराया जायगा। चालू वर्ष के दौरान विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत 1,844 गाँव/मजरों को लेपित मार्गों से जोड़ा जायेगा।

विश्व बैंक की सहायता से लगभग 3,000 करोड़ रुपये की महत्वाकाँक्षी योजना *स्टेट रोड प्रोजेक्ट-II* के अन्तर्गत वर्ष 2003-2008 की अवधि में लगभग 2,574 कि0मी0 मार्गों के वृहद् रख-रखाव एवं लगभग 953 कि0मी0 मार्गों के उच्चीकरण का कार्य तथा 4 बाईपास एवं 5 बड़े पुलों का निर्माण किया जाना है। वर्ष 2004-2005 में इस योजना के अन्तर्गत 432.29 करोड़ रुपये का प्राविधान है।

सड़कों के नवनिर्माण के साथ-साथ उनकी समुचित मरम्मत एवं रख-रखाव के उद्देश्य से इस बजट में *राज्य सड़क निधि* के अन्तर्गत 300 करोड़ रुपये का प्राविधान है साथ ही *केन्द्रीय सड़क निधि* के अन्तर्गत 85.23 करोड़ रुपये की धनराशि से महत्वपूर्ण मार्गों की मरम्मत कराई जायेगी।

सिंचाई

नहरों की सफाई कराकर उनकी टेल तक पानी पहुँचाने को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2003-2004 में लगभग 34 करोड़ रुपये के प्राविधान से 25,000 कि0मी0 लम्बाई में सिल्ट सफाई का कार्य किया गया है। वर्ष 2004-2005 में इस अभियान को और गति दी जायेगी।

सिंचाई व्यवस्था में क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने के उद्देश्य से बुन्देलखण्ड क्षेत्र में क्रियान्वित की जा रही रसिन, सिजार, कुरार एवं लखेरी बाँध परियोजनाओं से लगभग 6.50 हजार हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का सृजन होगा।

विश्व बैंक की सहायता से चलाई जा रही *वाटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग परियोजना* के लिए 222.80 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है।

ऊर्जा

उपभोक्ताओं को प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर गुणवत्ता वाली बिजली उपलब्ध कराने, ऊर्जा क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा देने तथा गांवों में शत-प्रतिशत विद्युतीकरण सुनिश्चित करने के लिए *नई ऊर्जा नीति* के अन्तर्गत उत्पादन, वितरण एवं पारेषण के क्षेत्र में 100 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करने वाले उद्यमियों को अवस्थापना सुविधायें तथा कर संबंधी विभिन्न रियायतें दिये जाने की व्यवस्था की गई है।

पिछले कई वर्षों से लम्बित 1,000 मेगावाट क्षमता की अनपरा "सी" परियोजना को निजी क्षेत्र के सहयोग से पूर्ण करने का निर्णय लिया गया है।

मान्यवर, प्रदेश में विद्युत तथा वित्तीय संसाधनों की कमी को देखते हुए यह आवश्यक था कि इस विकल्प पर गम्भीरता से विचार किया जाय कि यह परियोजना 2011 के स्थान पर 2008 तक पूर्ण हो जाय और प्रदेश सरकार को कोई वित्तीय भार भी वहन न करना पड़े। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए ही निजी क्षेत्र की भागीदारी का निर्णय लिया गया। मैं इस माननीय सदन को विश्वास दिलाता हूं कि निजी क्षेत्र के निवेशक का चुनाव खुली निविदा द्वारा सार्वजनिक आमंत्रण के माध्यम से लेवलाइज्ड टैरिफ पर आधारित बिडिंग व्यवस्था से किया जाएगा और निजी क्षेत्र के उपक्रम/उपकर्मी से यह वचनबद्धता प्राप्त की जायेगी की अनपरा "सी" से उत्पादित ऊर्जा को शत प्रतिशत उत्तर प्रदेश राज्य को ही उपलब्ध कराया जाये। प्रदेश सरकार उपरोक्त निर्णय भारत सरकार की नीति तथा नए इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 की अवधारणा एवं प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में घोषित नयी ऊर्जा नीति के अनुरूप है।

पारीछा में 420 मेगावाट क्षमता की नई उत्पादन इकाई स्थापित करने का कार्य प्रगति पर है तथा अगले 3 वर्षों में यह परियोजना पूर्ण होने की आशा है। ओबरा रिफरबिशमेण्ट परियोजना में 50 मेगावाट की 5 मशीनों के जीर्णोद्धार का कार्य प्रारम्भ हो गया है। यह कार्य भी अगले 3 वर्षों में पूर्ण होने की सम्भावना है।

औद्योगिक विकास

प्रदेश को 'उद्योग प्रदेश' के रूप में स्थापित करने के लिए सरकार संकल्पबद्ध है। औद्योगिक क्षेत्र में अधिक से अधिक पूँजी निवेश आकर्षित करने तथा विद्यमान निवेशों को पुनः उत्पादक बनाने हेतु प्रदेश सरकार *नई औद्योगिक नीति* लागू करने पर विचार कर रही है। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य की असीमित औद्योगिक संभावनाओं को साकार करते हुए औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि तथा रोजगार के अवसर सृजित करना है, जिससे प्रदेश को आर्थिक प्रगति के पथ पर तेजी से अग्रसर किया जा सके।

व्यापार एवं वाणिज्य

प्रदेश सरकार का लक्ष्य जहां एक ओर राजस्व की वसूली को सुनिश्चित करना है वहीं दूसरी ओर यह भी सुनिश्चित करना है कि व्यापारियों का उत्पीड़न न होने पाये। व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए व्यापार कर से सम्बन्धित कई निर्णय पूर्व में ही लिये जा चुके हैं। मैं उन्हें यहां दोहराना नहीं चाहूंगा। वर्तमान में स्वीकृत कर पर ब्याज दर 24% वार्षिक तथा स्वीकृत कर से अधिक निर्धारित कर पर ब्याज दर 18 प्रतिशत वार्षिक है। व्यापारियों की प्रबल मांग का संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश

सरकार ने यह महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिया है कि उक्त 24 प्रतिशत तथा 18 प्रतिशत ब्याज वार्षिक दर को घटाकर क्रमशः 14 प्रतिशत तथा 12 प्रतिशत वार्षिक किया जायेगा। *औद्योगिक/व्यापारिक सुरक्षा फोरम* के गठन तथा व्यापार कर पंजीकरण के लिए छूट की सीमा को बढ़ाकर दोगुना किये जाने का उल्लेख मैं पूर्व ही कर चुका हूं।

मुझे पूरा विश्वास है कि व्यापारियों के व्यापक हित में लिए गये हमारे उक्त निर्णय हमारे व्यापारी भाइयों को देय कर स्वेच्छा से जमा करने के लिए प्रेरित करेंगे।

प्रदेश के अन्दर से प्रदेश के बाहर जाने वाले वाहनों की सहायता केन्द्रों पर सामान्य चेकिंग नहीं की जायेगी तथा किसी भी वाहन को जांच के लिए 24 घण्टे से अधिक नहीं रोका जायेगा। जांच हेतु रोके गये वाहनों के कारणों का उल्लेख करते हुए एक घण्टे के अन्दर डीटेन्शन मेमो जारी किया जायेगा।

दिनांक 31 मार्च, 2002 तक सृजित मूल बकायों में से अवशेष मामलों में बकाया कर की मूल धनराशि जमा करने पर देय ब्याज की 60 से 90 प्रतिशत धनराशि तथा आरोपित अर्थदण्ड की माफी की सुविधा अनुमन्य की गई है।

नगर विकास एवं नगरीय रोजगार

वर्ष 2004-2005 में 40 नगरों को मानक के अनुसार जलापूर्ति उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य है।

राष्ट्रीय मलिन बस्ती सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत लगभग 29 लाख व्यक्तियों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है।

आवास

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों द्वारा 2,500 करोड़ रुपये आय अर्जित करने, 3,000 हेक्टेयर भूमि अर्जित करने तथा विभिन्न श्रेणी के 90 हजार आवासीय भवन/भूखण्ड विकसित करने के लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं।

दसवीं पंचवर्षीय योजनावधि में नगरीय क्षेत्र की 16 लाख आवासीय इकाइयों की मांग के दृष्टिगत प्रदेश की राजधानी तथा अन्य विकासशील महानगरों एवं उनके समीपवर्ती क्षेत्रों में 1,500 एकड़ या अधिक भूमि पर न्यूनतम 750 करोड़ रुपये के निजी पूंजी निवेश से अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त हाई-टेक टाउनशिप के विकास हेतु नई नीति घोषित की गयी है।

निजी पूंजी निवेश के माध्यम से इन्टीग्रेटेड टाउनशिप विकसित होने से जहां एक ओर नगरीय क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली आबादियों का विकास हो सकेगा, वहीं दूसरी ओर योजनाओं के क्रियान्वयन में किसानों की सहभागिता तथा उनके लिए आवास एवं रोजगार के पर्याप्त अवसर भी सुलभ हो सकेंगे।

बेसिक शिक्षा

सभी के लिए शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए शिक्षा की पहुंच में विस्तार, विद्यालयों में [illegible]

अन्तर्गत 1,855 जर्जर प्राथमिक विद्यालय, 655 जर्जर उच्च प्राथमिक विद्यालय, 30,000 अतिरिक्त कक्षा कक्ष एवं 20,226 शौचालयों का निर्माण कराया जायेगा तथा 5,551 हैण्डपम्प विद्यालयों में लगाये जायेगें।

शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए व्यापक स्तर पर शिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जायेगा।

माध्यमिक शिक्षा

निजी प्रबन्ध तंत्र द्वारा कन्या विद्यालयों की स्थापना नामक योजनान्तर्गत अवशेष सभी 321 विकास खण्डों की दूसरी न्याय पंचायत में विद्यालयों की स्थापना हेतु 32.10 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गई है।

राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के भवनों के निर्माण एवं विस्तार के लिए *त्वरित आर्थिक* विकास योजना तथा आदर्श जनपद योजना के अन्तर्गत 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था है।

उच्च शिक्षा

राजकीय महाविद्यालयों के भवनों के निर्माण एवं विस्तार के लिए *त्वरित आर्थिक विकास* योजना तथा आदर्श जनपद योजना के अन्तर्गत 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

प्राविधिक शिक्षा

डिप्लोमा स्तरीय प्राविधिक शिक्षा के अतिरिक्त अवसर सुलभ कराने के लिए बलिया, मेजा (इलाहाबाद), दौराला (मेरठ) एवं फिरोजाबाद में स्थापनाधीन राजकीय महिला पॉलीटेक्निक को एक-एक पाठ्यक्रम सहित क्रियाशील किया जाना प्रस्तावित है। गोरखपुर, फैजाबाद के राजकीय महिला पॉलीटेक्निक तथा बिजनौर एवं सहारनपुर के राजकीय पॉलीटेक्निक में नये पाठ्यक्रमों का संचालन प्रास्तावित है।

राजकीय महिला पॉलीटेक्निक, वाराणसी में एक छात्रावास एवं राजकीय पॉलीटेक्निक, झांसी में एक महिला छात्रावास के निर्माण से 150 छात्राओं को अतिरिक्त छात्रावासीय सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

खेलकूद

वर्ष 2007 अथवा वर्ष 2009 के राष्ट्रीय खेलों के प्रदेश में आयोजन के लिए हम प्रयासरत हैं।

विभिन्न जनपदों में नये बहुउद्देशीय क्रीड़ाहाल बनाये जाने के लिए 2.50 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

जिलास्तर पर प्रथम चरण में चिकित्सालयों को सुपर स्पेशिलिटी, विशेष कर हृदयरोग, गुर्दे का [illegible]

चिकित्सालयों में उपलब्ध सुविधाओं को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर तक ले जाया जायेगा। इससे नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र के रोगियों को निकटतम स्थान पर उच्च स्तर की गुणवत्तापरक चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध हो सकेंगी।

जिला महिला चिकित्सालयों में विशिष्ट चिकित्सा सुविधाओं हेतु इस बजट में लगभग 6.45 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

औषधि की मद में लगभग 130 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है।

रोगों के अर्ली डिटेक्शन (त्वरित पहचान) के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों के स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। कैंसर जैसे रोग की त्वरित पहचान/निदान हेतु कैंसर के उपचार के लिए कोबाल्ट थेरेपी यूनिट एवं मेमोग्राफी मशीन के लिए बजट प्राविधान किया गया है।

शहरी तथा ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए त्वरित आर्थिक विकास योजना तथा *आदर्श जनपद योजना* के अनतर्गत 40 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

चिकित्सा शिक्षा

किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ को *सेन्टर आफ एक्सीलेंस* के रूप में विकसित किये जाने हेतु सरकार प्रतिबद्ध है। इस हेतु आकस्मिक एवं अपेक्स ट्रामा सेन्टर की शुरूआत 24 दिसम्बर, 2003 से कर दी गयी है तथा टेली कोबाल्ट यूनिट की स्थापना की जा रही है। नवीन कैथलैब की स्थापना यथाशीघ्र सुनिश्चित की जायेगी।

संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ की स्थापना के प्रथम चरण में 6 अति विशिष्टताओं को स्थापित किया जा चुका है तथा स्थापना टेली-मेडिसिन एवं यकृत प्रत्यारोपण की स्थापना हेतु प्राथमिकता के आधार पर कार्य किया जा रहा है। संस्थान के लिए आवर्तक अनुदान में 20 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई है।

समाज कल्याण

दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना में उच्चतर कक्षाओं में छात्र/छात्राओं की बढ़ी संख्या के दृष्टिगत बजट में 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। हमारी सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विद्यार्थियों से इंजीनियरिंग कालेज/एम0बी0ए0/मेडिकल कालेज एवं विश्वविद्यालय में प्रवेश के समय शुल्क न लेकर उनके विद्यालयों/संस्थाओं को सीधे विभाग द्वारा शुल्क दिये जाने का निर्णय लिया गया है।

जैसा कि मैंने अपने पिछले बजट भाषण में उल्लेख किया था, 60 वर्ष के ऊपर के वृद्धों/किसानों को वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजना के अन्तर्गत पेंशन की राशि को बढ़ाकर 150 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है।

पारिवारिक लाभ योजना में 22 करोड़ रुपये की व्यवस्था 22,000 परिवारों को लाभान्वित कराने हेतु की गई है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के परिवारों की पुत्रियों की शादी हेतु 10,000 रुपये तथा उसके परिजनों की बीमारी के इलाज हेतु 2,000 रुपये की धनराशि की आर्थिक सहायता हेतु लगभग 2586 करोड़ रुपये का प्राविधान प्रस्तावित है।

अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा संचालित योजनाओं के लिए 168.76 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

जनजातियों के कल्याणार्थ विभिन्न योजनाओं के संचालन के लिए 9.90 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

पूर्व सैनिकों, शहीद सैनिकों की पत्नियों तथा उनके आश्रितों के कल्याण के लिए योजनायें चलाई जा रही हैं।

अल्पसंख्यक कल्याण

प्रदेश सरकार अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। मुझे आपको यह अवगत कराते हुए हर्ष हो रहा है कि राज्य सरकार द्वारा अरबी-फारसी शिक्षा के बेहतर संचालन के लिए "उत्तर प्रदेश अरबी-फारसी मदरसा बोर्ड" के गठन हेतु एक विधेयक सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। इस बोर्ड में मुस्लिम धर्मशास्त्र के ख्याति प्राप्त विद्वानों को सदस्य के रूप में रखा जायेगा और मदरसा बोर्ड के पास ऐसे अधिकार होंगे जो प्रदेश में मदरसा शिक्षा के आधुनिकीकरण एवं लाभप्रद बनाये जाने के लिए आवश्यक हों।

अल्पसंख्यक समुदाय के रिक्शा चालकों को रिक्शा क्रय करने के लिए रियायती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने संबंधी सुविधा का उल्लेख पूर्व ही किया जा चुका है।

मुझे माननीय सदन को सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि आर्थिक दृष्टि से दुर्बल एवं अल्प आय वर्ग के परिवारों को आवासीय सुविधायें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अल्पसंख्यक बाहुल्य नगरीय क्षेत्र यथा-मेरठ, मुरादाबाद, अलीगढ़, रामपुर, बरेली, सहारनपुर आदि में विकास प्राधिकरणों तथा आवास एवं विकास परिषद द्वारा अपने सामान्य आवासीय कार्यक्रम के अतिरिक्त 30,000 आवासीय भवन एवं भूखण्ड विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत बनाये जायेंगे, जिससे अल्पसंख्यक वर्ग के आर्थिक दृष्टि से कमजोर परिवारों को एक स्वस्थ रिहायसी वातावरण में समस्त अवस्थापना सुविधाओं से सम्पन्न आवासीय सुविधा उपलब्ध हो सकें।

पिछली बार जब हमारी सरकार 1994-1995 में बनी थी तब हमने विशेष प्रयास कर उर्दू भाषा के अध्यापन हेतु अध्यापकों की भर्ती करने की कार्यवाही की थी। हम किसी पर आक्षेप नहीं लगाना चाहते, परन्तु हमारे उक्त प्रयासों के बाद इस दिशा में कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। सरकार द्वारा विशेष अभियान चलाकर उर्दू भाषा के अध्यापन हेतु 3000 से भी अधिक सहायक अध्यापकों की नियुक्ति करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

प्रदेश के अल्पसंख्यक समुदायों के आर्थिक एवं शैक्षिक विकास हेतु हमारी सरकार ने विगत कुछ माह के दौरान अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं। प्रदेश के मदरसों में *कौशल प्रशिक्षण योजना* लागू की गयी है। नोयडा में 100 प्रवेश क्षमता वाला एक कोचिंग प्रशिक्षण केन्द्र भी स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, जहाँ अल्पसंख्यक समुदाय के मेधावी युवकों-युवतियों को राष्ट्रीय तथा प्रदेश स्तर की प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं में अधिकाधिक सफलता के लिए *निःशुल्क कोचिंग* की सुविधा प्रदान की जायेगी।

मदरसा आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत मदरसों में आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु 2,300 से अधिक विज्ञान शिक्षकों की नियुक्ति का भी प्रस्ताव है।

महिला एवं बाल विकास

महिलाओं को मुख्य धारा से जोड़ने तथा उन्हें विकास के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा अनेक योजनाएं व कार्यक्रम चलाने का निर्णय लिया गया है। पूर्व से चल रहे कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी में वृद्धि की जा रही है।

स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत लगभग 50 हजार महिला समूहों के माध्यम से 5 लाख महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे।

महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से 423 विकास खण्डों में *किशोरी शक्ति योजना* चलायी जा रही है।

पर्यटन

पर्यटन को प्रमुख व्यवसाय के रूप में विकसित करने, विभिन्न श्रेणी के पर्यटकों व यात्रियों के लिए आवश्यक मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराने तथा संगठनात्मक व रणनीतिपरक दिशा प्रदान करते हुए दर्शनीय स्थलों को और अधिक आकर्षक बनाने हेतु उन्हें विकसित करके प्रदेश के लिए रोजगार सृजन, आर्थिक पर्यावरणीय सुरक्षा, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित एवं अक्षुण्य रखने का प्रयास किया जा रहा है।

बौद्ध पर्यटन परिपथ के अन्तर्गत प्रमुख बौद्ध केन्द्रों के विकास की 1062.00 करोड़ रुपये की एक वृहत् योजना भारत सरकार को भेजी गई है।

विश्व प्रसिद्ध ताजमहल के 350 वर्ष पूर्ण होने पर वर्ष 2004-2005 को अन्तर्राष्ट्रीय ताज वर्ष घोषित किया गया है। इस अवसर पर राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भव्य आयोजन भी प्रस्तावित है।

वन

वर्तमान में भौगोलिक क्षेत्र के 8.8 प्रतिशत भाग में वनावरण एवं वृक्षावरण है। जनसंख्या, कृषि तथा औद्योगिकीकरण के बढ़ते दबाव के कारण वनों पर जैविक दबाव पड़ रहा है। आरक्षित वनों की सघनता एवं उत्पादकता वृद्धि हेतु वृक्षारोपण के साथ ही शहरी क्षेत्रों में खाली पड़ी उपलब्ध भूमि पर वृक्षारोपण कार्य किया जा रहा है। निजी भूमि पर वृक्षारोपण करने के लिए कृषकों को उच्च गुणवत्ता की पौध उपलब्ध कराई जा रही है।

पर्यावरण

पर्यावरणीय शिक्षा, प्रशिक्षण व जन जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन तथा पर्यावरणीय शोध एवं क्रियान्वयन कार्यक्रमों हेतु 1.77 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। पर्यावरण के क्षेत्र में प्रदेश के सर्वोत्तम कार्य करने वाली ग्राम पंचायत, शैक्षिक संस्था और स्वयंसेवी संस्था को पुरस्कृत करने हेतु *'उत्तर प्रदेश पर्यावरण पुरस्कार'* प्रदान किये जाने की योजना है।

न्याय

विभिन्न जनपदों में न्यायालय भवनों के निर्माण के लिए 15 करोड़ रुपये तथा न्यायिक अधिकारियों के लिये आवास के निर्माण हेतु 15 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। न्यायालयों के

कम्प्यूटरीकरण हेतु सूचना एवं प्रौद्योगिकी की स्थापना की दिशा में माननीय उच्च न्यायालय के लिये 53 लाख रुपये तथा अधीनस्थ न्यायालयों के लिये लगभग 77.52 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

खाद्य एवं रसद

नई सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत ए0पी0एल0 योजना, बी0पी0एल0 योजना, अन्त्योदय अन्न योजना तथा अन्नपूर्णा योजना का संचालन किया जा रहा है। ए0पी0एल0, बी0पी0एल0 तथा अन्त्योदय अन्न योजना में पूर्वान्चल के मण्डलों को छोड़कर प्रतिमाह 23 किलोग्राम गेहूं व 12 किलोग्राम चावल इस प्रकार कुल 35 किलोग्राम खाद्यान्न अनुमन्य है। पूर्वांचल के मण्डलों में प्रतिमाह 20 किलोग्राम चावल तथा 15 किलोग्राम गेहूं वितरित किया जा रहा है।

अन्त्योदय परिवारों को 2 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूं तथा 3 रुपये प्रति किलोग्राम चावल उपलब्ध कराया जाता है जबकि अन्नपूर्णा योजनान्तर्गत 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के निराश्रित एवं आयविहीन वृद्धों को निःशुल्क 10 किलोग्राम खाद्यान्न प्रतिमाह उपलब्ध कराया जा रहा है।

वर्ष 2004-2005 के बजट अनुमान

मान्यवर,

अब मैं वित्तीय वर्ष 2004-2005 के बजट अनुमानों के बारे में प्रमुख बिन्दुओं का उल्लेख करना चाहूंगा।

प्राप्तियाँ

वर्ष 2004-2005 में 61264.92 करोड़ रुपये की कुल प्राप्तियाँ अनुमानित हैं।

कुल प्राप्तियों में 37258.62 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्तियाँ तथा 24006.30 करोड़ रुपये की पूँजीगत प्राप्तियाँ सम्मिलित हैं।

वर्ष 2004-2005 में राजस्व प्राप्तियों में कर एवं करेत्तर राजस्व का अंश 32933.85 करोड़ रुपये है। इसमें केन्द्रीय करों में राज्य का अंश 15050.03 करोड़ रुपये सम्मिलित है।

व्यय

वर्ष 2004-2005 में कुल व्यय 63983.63 करोड़ रुपये अनुमानित है।

कुल व्यय में 42785.71 करोड़ रुपये राजस्व लेखे का व्यय है तथा 21197.92 करोड़ रुपये पूंजी लेखे का व्यय है।

वर्ष 2004-2005 के बजट में 9651.46 करोड़ रुपये आयोजनागत व्यय अनुमानित है।

समेकित निधि

समेकित निधि की प्राप्तियों से कुल व्यय घटाने के पश्चात् वर्ष 2004-2005 में घाटा 2718.71 करोड़ रुपये है।

लोक-लेखा से समायोजन

वर्ष 2004-2005 में समेकित निधि का घाटा पूरा करने के लिए 3175.30 करोड़ रुपये लोक-लेखा से समायोजित किये जायेंगे।

समस्त लेन देन का शुद्ध परिणाम

वर्ष 2004-2005 में समस्त लेन-देन का शुद्ध परिणाम 456.59 करोड़ रुपये अनुमानित है।

अन्तिम शेष

वर्ष 2004-2005 में प्रारम्भिक ऋणात्मक शेष 1074.79 करोड़ रुपये को हिसाब में लेते हुए अन्तिम ऋणात्मक शेष 618.20 करोड़ रुपये होना अनुमानित है। इस ऋणात्मक शेष को व्यय में कमी लाकर तथा आय के स्रोतों में वृद्धि कर कम किये जाने का प्रयास किया जायेगा।

मान्यवर, मैंने इस सम्मानित सदन में 14 नवम्बर, 2003 को वर्ष 2003-2004 का बजट प्रस्तुत करते समय अपने बजट भाषण में राज्य की असंतुलित वित्तीय स्थिति का सविस्तार उल्लेख किया था। तीन माह के इस अल्प अन्तराल मे राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार ला पाना सम्भव नहीं है परन्तु राज्य सरकार द्वारा इस दिशा में दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास किया जा रहा है।

अब जो वर्ष 2004-05 का बजट प्रस्तुत किया गया है उसमें वर्ष के समस्त लेन-देन का शुद्ध धनात्मक परिणाम इस बात का द्योतक है कि राज्य सरकार अपने कुल व्यय को कुल आय के अन्तर्गत रखने के लिए प्रयासरत है।

यहां मैं बजट के वित्तीय पहलुओं की कुछ मुख्य विशेषताओं का भी उल्लेख कर रहा हूं-

वर्ष 2003-2004 के बजट अनुमानों में राजस्व घाटा राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 3.4 प्रतिशत तथा जो वर्ष 2004-2005 में 2.4 प्रतिशत अनुमानित है।

वर्ष 2003-2004 के बजट अनुमानों में राजकोषीय घाटा राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 9.1 प्रतिशत अनुमानित है तथा वर्ष 2004-2005 में 4.4 प्रतिशत अनुमानित है।

वेतन, पेंशन तथा ब्याज का सम्मिलित व्यय वर्ष 2003-2004 के बजट अनुमानों में कुल राजस्व प्राप्ति का 86.6 प्रतिशत तथा वर्ष 2004-2005 के बजट अनुमानों के अनुसार 80.3 प्रतिशत है।

वर्ष 2003-2004 के बजट अनुमानों के आधार पर कुल राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में वेतन, पेंशन एवं ब्याज पर व्यय 71 प्रतिशत है जो 2004-2005 के बजट अनुमानों के अनुसार 70 प्रतिशत है।

2003-2004 के बजट अनुमानों के आधार पर राजस्व घाटा राजस्व प्राप्ति के प्रतिशत के रूप में 22.1 प्रतिशत है जो वर्ष 2004-2005 में 14.8 प्रतिशत अनुमानित है।

उपर्युक्त आँकड़ों से इस बात का संकेत मिलता है कि राज्य सरकार ने वर्ष 2004-2005 के बजट के माध्यम से अनुत्पादक व्यय पर नियंत्रण एवं उनमें कमी करने का प्रयास किया है ताकि सामाजिक क्षेत्र एवं अवस्थापना क्षेत्र की योजनाओं के लिए संसाधनों की उपलब्धता बढ़ सके।

शासकीय व्यय में कमी लाने के उद्देश्य से हमारी सरकार द्वारा नवसृजित 9 जनपदों और 4 मण्डलों को समाप्त किया गया है।

इसके अतिरिक्त विधान मण्डल के वर्तमान सत्र में *उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं* बजट प्रबन्ध विधेयक सदन के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की प्रक्रिया में है।

जिन क्षेत्रों में अभी हमें अपने प्रयासों को और अधिक बढ़ाना है उनमें राज्य की ऋणग्रस्तता में कमी लाना प्रमुख है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत की रूप में राज्य की ऋणग्रस्तता वर्ष 2002-2003 में 41.6 प्रतिशत थी जो 2003-2004 में बढ़कर 49.5 प्रतिशत हो गई। 2004-2005 में इसके 49.1 प्रतिशत होने का अनुमान है। राज्य सरकार द्वारा ऋण पर निर्भरता कम कर स्वयं के संसाधनों को बढ़ाने का प्रयास किया जायेगा जिसके लिए मंत्रि-परिषद् की संसाधन समिति तथा संसाधन एवं व्यय आयोग द्वारा विचार किया जा रहा है।

मान्यवर, आजकल चारों ओर "फील गुड फैक्टर" का प्रचार मीडिया के माध्यम से किया जा रहा है। हमारा यह मानना है कि जब तक उत्तर प्रदेश, जहां देश का प्रत्येक छठा नागरिक निवास करता है, की जनता के आर्थिक सामाजिक जीवन में सुधार नहीं होता है, उसके लिए प्रगति की नई सम्भावनाएँ और आशाएँ विकसित नहीं होती हैं, तब तक ये शब्द मृग-मरीचिका की भांति, यथार्थ से परे, व अर्थहीन ही रहेंगे। हमारा प्रदेश कर्मभूमि है जहाँ कर्म और आचरण की प्रतिष्ठा किसी भी शास्त्रीय वचन से अधिक है।

मुझे श्रद्धेय श्री राम मनोहर लोहिया जी के अमर वाक्य इस सन्दर्भ में याद आते हैं। श्री लोहिया जी कहते थे, बाकी सरकारें बोली से काम चलाती हैं, हमारी सरकार काम से बोलेगी। हमारी सरकार तरक्की के अन्तिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की वहजूदी में विश्वास करती है, हमारी नीति और कार्यक्रम का अभीष्ट समाज का अन्तिम व्यक्ति है। वर्ष 2004-2005 का बजट इसी दिशा में एक ठोस कदम है।

मंत्रि-परिषद् के अपने सभी माननीय सदस्यों का मैं अत्यन्त आभारी हूं कि उनके सहयोग एवं परामर्श से तथा सभी विभागों में कार्यरत् अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सहायता से बजट प्रस्तुत करने में सक्षम हो सका हूँ। मैं प्रमुख सचिव, वित्त, श्रीमती रीता शर्मा और वित्त विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने इस बजट को तैयार करने में बहुमूल्य सहायता प्रदान की है। मैं राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ के अधिकारियों/कर्मचारियो के प्रति भी इस हेतु आभार प्रकट करता हूँ। राजकीय मुद्रणालय के अधिकारियों एवं कमचारियों को भी मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि उन्होंने बजट साहित्य का मुद्रण समय से किया। महालेखाकार, उत्तर प्रदेश एवं उनके अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति भी मैं उनके द्वारा दिये गये सहयोग के लिए अपना आभार प्रकट करता हूँ।

मान्यवर, मैं जानता हूँ कि सिर्फ बजट पेश करने और लोकहित के कार्यक्रम प्रस्तावित कर देने से हर समस्या हल नहीं हो जायेगी। हमने प्रयास किया है कि उत्तर प्रदेश की लगभग 17 करोड़ से अधिक जनता के लिए अत्यन्त सीमित संसाधनों के बावजूद समृद्धि के एक नये युग का सूत्रपात करें।

हमारी सरकार गांधी, लोहिया, जयप्रकाश, चौधरी चरण सिंह के सादगी, समता विकास के सिद्धान्तों को ही अपना आदर्श मानती है। एक बार पंचगनी में सरोजनी नायडू ने जयपुर के महाराजा का परिचय कराया था। महात्मा जी ने जयपुर नरेश की उदारता के लिए धन्यवाद दिया कि उन्होंने एक मुसलमान को अपना दीवान बनाया और उन्हें सलाह दी, "राजा साहब आप अपने को राज्य का मालिक समझकर नहीं बल्कि ट्रस्टी समझकर राज्य का संचालन कीजिए"। हमारी सरकार गांधी जी के इन वाक्यों को अपना संकल्प समझती है। जनता द्वारा दिए धन के हम ट्रस्टी मात्र हैं इसलिए राजकोष

अधिकतम जनकल्याणार्थ खर्च करना ही हमारा अभीष्ट है। सार्वजनिक जीवन की सादगी, पारदर्शिता व जनसेवा ही हमारा मुख्य लक्ष्य है। उस लक्ष्य को हम सभी दलों के सहयोग और आम जनता के आशीर्वाद से प्राप्त करना चाहते हैं। आम जनता का भरपूर सहयोग इस बात का संकेत है कि सरकार की स्थिरता पूरी तरह मजबूत है। इस व्यवस्था परिवर्तन के अपने लक्ष्य को सभी वर्गों, समुदायों के सहयोग से प्राप्त करना चाहते हैं। हम सभी वर्गों से आग्रह करते हैं कि आम तौर पर शान्ति के बिना विकास के कार्य पूरे नहीं किये जा सकते। इसलिए सत्याग्रह और जनसंघर्ष के महानायक महात्मा गांधी ने कहा था, "शासन के खिलाफ विवेक रहित विरोध चलाया जाय तो उससे अराजकता और अनियंत्रित स्वच्छन्दता की स्थिति पैदा होगी और समाज अपने ही हाथों अपना विनाश कर डालेगा"। हमारा पूरा विश्वास है कि माननीय सदन के सभी पक्ष गांधी जी के इस संदेश को स्वीकार करेंगे और प्रदेश के विकास के महान कार्य में सरकार का पूरा सहयोग करेंगे।

सरकार की तरफ से मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हम प्रदेश की जनता के साथ कदम से कदम मिलाकर विकास की इस यात्रा में उनके साथ चलते रहेंगे। मैं यह भी चाहूँगा कि इस सम्मानित सदन के माननीय विद्वान सदस्य, चाहे वे किसी भी दल से सम्बन्ध क्यों न रखते हों, प्रदेश का समग्र विकास करने के लिए शुरू की गई व्यवस्था परिवर्तन की इस पहल में हमारा सहयोग करें। अंततः हम सभी प्रदेश की जनता का हित साधन करने के लिए ही यहाँ चुनकर भेजे गये हैं। मुझे आशा है कि हमारे सभी माननीय सदस्यगण जनता के उस विश्वास की रक्षा करेंगे, जो उसने हमारे ऊपर व्यक्त किया है।

इन शब्दों के साथ, मान्यवर, मैं विनम्रतापूर्वक, वित्तीय वर्ष 2004-2005 का प्रदेश का बजट प्रस्तुत करता हूँ।

प्रदेश में कक्षा-12 तक के छात्र/छात्राओं का शिक्षा शुल्क समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री की घोषणा

(मुख्यमंत्री द्वारा बजट भाषण पढ़े जाने के उपरान्त)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, ... ।

(घोर व्यवधान)

मा0 मुख्यमंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)-

एक बात छपने से रह गयी है और उसे इसमें जोड़ लिया जाय कि कक्षा-12 तक की पूरी फीस समाप्त की जाती है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ....

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

जब बजट पर सामान्य चर्चा होगी, उस समय आप अपनी बात कह सकते हैं।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

कृपया आप लोग शान्त रहें।

(घोर व्यवधान)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, मुख्य मंत्री महोदय आर्थिक तंगी का रोना रोते हैं और आर्थिक तंगी का बहाना लेकर जनपदों को समाप्त करने का बहाना करते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि जो बचत होगी वह उन्हीं जिलों पर खर्च करेंगे। इसी प्रकार....।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

यह बात आप सामान्य चर्चा में कह लीजियेगा।

नेता विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन)-

मान्यवर, आज प्रदेश परिषद् की बैठक है, मैं राज्यपाल के अभिभाषण पर कल बोल रहा था, मैं अपने बजट भाषण में उसे सम्मिलित कर लूंगा और बाकी लोगों को बोलने का अवसर मिल जायेगा।

श्री सत्य नारायण एवं मदन सिंह गौतम उर्फ सन्तोष कुमार द्वारा विधान सभा की सदस्यता से दिये गये त्याग-पत्र की स्वीकृति की सूचना

श्री अध्यक्ष-

ठीक है मैं सदन को एक सूचना देना चाहता हूं :-

श्री सत्य नारायण, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या-67-बेनीगंज (अ0जा0), जिला-हरदोई तथा श्री मदन सिंह गौतम उर्फ सन्तोष कुमार, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या-286-अजीतमल (अ0जा0), (औरैया) जिला इटावा से विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे ने अपने-अपने उक्त निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश विधान सभा की सदस्यता से दिनांक 10 फरवरी, 2004 के अपराह्न से त्याग-पत्र दे दिया है जिसे 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 190 के खण्ड (3) के उपखण्ड (ख) के अन्तर्गत स्वीकार कर लिया गया है।

श्री अध्यक्ष-

इसमें मेजें थपथपाने की क्या बात है ?

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने सही फरमाया कि इस पर मेजें थपथपाने की क्या जरूरत है ? जाहिर है कि सदन का कोई साथी त्याग-पत्र देता है तो यह विषय दुःख का होता है। मेजें इसलिए नहीं थपथपाई गयी कि उस दुःख की पुष्टि की जा रही है बल्कि इसलिए थपथपाई गयी कि बिगड़ी हुई और जर्जर व्यवस्था में जहां लोकतंत्र और हमारी व्यवस्था बहुत ही बदनाम हुई है उस व्यवस्था में दो

ऐसे व्यक्ति भी हैं कि उस व्यवस्था से जिसमें उन्हें घुटन थी, उस दल की सदस्यता से त्याग-पत्र देकर एक बड़ा काम किया है इसलिए मेजें थपथपाई गयीं।

(शोर/व्यवधान)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, सत्तापक्ष ने दोनों सदस्यों को इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, वह जिस दल में थे, उस पर इल्जाम लगाकर इस्तीफा दिया है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

अध्यक्ष जी, गुण्डागर्दी से दोनों सदस्यों को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया है।

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, [x x x]

श्री अध्यक्ष-

कृपया बैठें, यह लिखा नहीं जायेगा।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में फर्जी स्टाम्प पेपर घोटाले की जांच

**1-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि महाराष्ट्र प्रदेश में फर्जी स्टाम्प एवं स्टाम्प पेपर घोटाला काण्ड के प्रकाश में आने एवं उक्त का सभी प्रदेशों में बिक्री होने के बावत क्या राज्य सरकार के संज्ञान में प्रदेश में फर्जी स्टाम्प पेपर प्रयोग किये जाने की घटनायें प्रकाश में आयी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा उक्त के सम्बन्ध में जांच कराये जाने हेतु कोई निर्देश जारी किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क, मनोरंजन कर मंत्री (श्री हरि शंकर तिवारी)-

जी हां।

जी हां।

प्रदेश में अब तक 192 प्रकरण प्रकाश में आये हैं, जिनमें प्रथम सूचना रिपोर्ट दाखिल कर पुलिस विभाग द्वारा जांच करायी जा रही है। फर्जी स्टाम्पों के विक्रय में संलिप्त तत्वों का पता लगाने के लिए 8 प्रकरणों में पुलिस विभाग के अधीन एस0टी0एफ0 को जांच हेतु प्रकरण सन्दर्भित किया गया

नोट :- [x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

है। इस पूरे प्रकरण की सी0बी0आई0 से जांच कराने हेतु गृह विभाग को भी पत्र लिखकर अनुरोध किया गया है।

इसके अतिरिक्त प्रदेश में जाली/फर्जी स्टाम्पों के प्रचलन पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु जनपद में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जो सभी कार्यालयों में प्रयुक्त स्टाम्पों की सूक्ष्म एवं गहन जांच करके आवश्यक कार्यवाही करती है। तत्पश्चात् आयुक्त स्टाम्प, उत्तर प्रदेश एवं शासन को कृत कार्यवाही से अवगत कराती है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

माननीय अध्यक्ष महोदय, फर्जी स्टैम्प के प्रकरण ने पूरे देश को आन्दोलित कर रखा है। जाहिर है कि हमारे प्रदेश में भी इसका व्यापक असर हुआ है। इसी उद्देश्य से मैंने इस प्रश्न को उपस्थित किया था। माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि 192 प्रकरण प्रकाश में आये हैं। जिनमें 8 प्रकरण को उन्होंने एस0टी0एफ0 को दिया कि कौन से तत्व इसमें सक्रिय हैं इसका पता लगाने के लिए सुपुर्द किया है। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि जब से यह प्रकरण उद्घाटित हुआ है तब से इस में बड़े-बड़े अधिकारी यहां तक मुख्य मंत्री और उप मुख्य मंत्री के नाम भी सामने आए हैं। जाहिर है कि जिस भी प्रदेश में फर्जी स्टैम्प की बिक्री हुई है, विभागों द्वारा खरीदा गया है, वहां प्रयोग हुआ है उस प्रदेश के भी बड़े-बड़े अधिकारियों का नाम इसमें सामने आ सकते हैं। मंत्रियों का भी हाथ हो सकता है। क्या सरकार यह बतायेगी कि जिन प्रकरणों 8 प्रकरणों को इन्होंने एस0टी0एफ0 के लोगों को सुपुर्द किया है और मामले की गम्भीरता को देखते हुए सी0बी0आई0 जांच कराने के लिए गृह विभाग को निर्देशित किया है। प्रथम दृष्टया क्या सरकार यह बतायेगी कि इसमें किस स्तर के लोगों की संलिप्तता पाई गई है ? दूसरे अभी तक जितने भी प्रकरण सरकार के संज्ञान में आए हैं उसमें कितने रुपये के फर्जी स्टैम्प प्रयोग किए जाने का मामला प्रकाश में आया है ?

श्री हरिशंकर तिवारी-

इस प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए सरकार ने इसके लिए एस0टी0एफ0 का गठन किया है और 192 प्रकरणों के बारे में माननीय सदस्य और विधान सभा के अन्य सदस्यों के संज्ञान में लाया गया है। इसमें से 8 प्रकरण ऐसे हैं जिनके खिलाफ जांच प्रारम्भ की गई है। इसमें जनपदों के भी मामले हैं और विभागों के भी। महाराष्ट्र के बारे में जब जानकारी मिली, उसके बाद सबसे पहले हमारी सरकार ने सबसे पहले सी0बी0आई0 जांच की संस्तुति की। आठ प्रकरणों में जोनल मैनेजर स्तर के अधिकारी एल0आई0सी0 के बारे में संलिप्तता की जानकारी मिली।

(व्यवधान होने पर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी मेरे और माननीय मंत्री जी के बीच व्यवधान हो रहा है। मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं। माननीय सदस्य बीच में आ गए हैं।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मुझे खेद है। मैं भी यही चाहता हूं कि आपके आदेशों का पालन हो। सदन व्यवस्थित रहे।

श्री हरिशंकर तिवारी-

इसके लिए सरकार सचेष्ट है। इसमें सरकार की तरफ से कोई कोताही नहीं बरती गई है। जो भी दोषी व्यक्ति पाए गए हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की संस्तुति की गई है।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

मेरे दो प्रश्न हैं। प्रथम 192 में से 8 प्रकरणों को एस0टी0एफ0 के सुपुर्द किया गया है। इसमें किस स्तर के अधिकारियों की संलिप्तता पाई गई है दूसरे कितनी रकम का घोटाला इस प्रकरण में आया है ?

श्री हरिशंकर तिवारी

संलिप्ता की धनराशि पाई गई है 97,61,845 रुपये इसमें 1,91,172 रुपये की राशि जाली धनराशि की है। इस प्रकार असली धनराशि 220.645 लाख रुपये है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि किस स्तर के अधिकारियों की संलिप्तता पाई गई ? दूसरा कितने का घोटाला पाया गया ?

श्री हरिशंकर तिवारी-

एल0आई0सी0 के जोनल मैनेजर स्तर के अधिकारी दोषी पाए गए और जिलों में वेंडर के खिलाफ दोष का मामला पाया गया।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

मान्यवर, जैसा मैंने पूर्व में कहा कि इस प्रकरण में जहां पहली बार उद्घाटित हुए उन बड़े-बड़े अधिकारियों को जेल भेजा जा रहा है। मुख्य मंत्री और उप मुख्य मंत्री का नाम भी इसमें आ रहा है तो यह कैसे मान लिया जाय ? जनता यह कैसे विश्वास करे कि उत्तर प्रदेश के अन्दर जब यह बेचे व खरीदे गये तो सिर्फ वेण्डर ही दोषी हैं ? इसलिये मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस मामले के रहस्योद्घाटन में गम्भीर है और इसकी गम्भीरता से जांच करायेगी ? जैसा इन्होंने अपने उत्तर में कहा है कि मामले को सरकार गम्भीर मान रही है, लेकिन सही नहीं बताना चाहती हैं नहीं तो यह सी0बी0आई0 को सुपुर्द करने की बात कहे। मैं यह जानना चाहता हूं कि इसमें संलिप्तता की बात माननीय मंत्री जी कह रहे हैं तो निश्चित रूप से मामला कहीं ज्यादा गम्भीर है तब ही सी0बी0आई0 को सुपुर्द करने की बात कही जा रही है ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी ने बता दिया कि इस स्तर के अधिकारी का इनमें लिप्त होना पाया गया है। लेकिन उसके बाद की कार्यवाही प्रथम दृष्टया जब प्रमाण मिलेंगे तब ही तो होगी।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

सी0बी0आई0 से अनुरोध किया है ...

श्री अध्यक्ष-

आपने लिखा है कि पत्र लिखकर अनुरोध किया है। अब इसमें केन्द्र सरकार निर्णय ले कि सी0बी0आई0 से जांच करायेगी कि नहीं।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह स्टैम्प घोटाले का प्रकरण किन वर्षों में हुआ और किन जनपदों में हुआ ? जैसा अभी चौधरी साहब ने कहा कि इसमें चीफ ट्रेजरी आफिसर का भी इन्वाल्वमेन्ट होगा, क्या इसमें कार्यवाही की जा रही है ?

श्री हरिशंकर तिवारी-

इसमें सबसे बड़ी ...

(माननीय सदस्यों के सदन में आपस में बोलते रहने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, अगर इस तरह से बात होती रहेगी तो मैं तो सदन को 1 बजे तक के लिये स्थगित कर रहा हूं। यह ठीक नहीं है कि इस प्रकार से सदन के अन्दर लोग खड़े होकर बात कर रहे हैं।

(व्यवधान के कारण 12 बजकर 28 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 1 बजे श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री अध्यक्ष-

माननीय गौर जी प्रश्न पूछ रहे थे।

श्री नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मैंने मंत्री जी से जानना चाहा था कि स्टैम्प घोटाला गम्भीर विषय है मंत्री जी ने बताया कि 192 प्रकरण संज्ञान में आए हैं मैं जानना चाहता हूं यह प्रकरण कितने वर्षों के हैं और कितने जनपद के हैं ?

श्री हरिशंकर तिवारी-

माननीय अध्यक्ष जी सारे प्रकरण 45 जनपदों के हैं और विभिन्न स्तर के हैं जो प्रकरण की चर्चा की गई उसमें बताना चाहूंगा कि जांच नासिक में जाती है नासिक में जब क्लीयर हो जाता है कि फर्जी स्टैम्प है तब उसके ऊपर मुकदमा निर्धारण किया जाता है, एजेन्सी आएगी विशेष राय के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। सरकार सचेष्ट है जैसे ही सरकार के संज्ञान में बात आएगी कार्यवाही की जाएगी टास्क फोर्स स्तर पर कार्यवाही की जाएगी।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि प्रथम बार यह प्रकरण सरकार के संज्ञान में कब आया है ? आपने कहा है कि सी0 बी0 आई0 जांच के लिए केन्द्र सरकार को लिखा है। सरकार ने कहा कि टास्क फोर्स को प्रकरण दिया है सी0 बी0 आई0 इस प्रकरण में जांच करने जा रही है।

श्री अध्यक्ष-

पहले सी0 बी0 आई0 को प्रकरण लेने तो दीजिए।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, सीनियर ट्रेजरी आफीसर लोरिक यादव यह प्रकरण मई, 2001 में लाए। सरकार ने जांच प्रारम्भ कराई। स्टैम्प एक्ट में व्यवस्था है कोई बीमा कम्पनी चाहे एल0 आई0 सी0 हो या अन्य कोई हो स्टैम्प ट्रेजरी से खरीदेगी, तो ट्रेजरी से स्टैम्प खरीदने के बजाय बम्बई से स्टैम्प खरीदे गए,

आई0जी0 स्टैम्प अब एल0 आई0 सी0 पर जंगल राज्य का आरोप लगा रहे हैं मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं उन्होंने अधिकारियों का उत्पीड़न किया है जिस आई0 जी0 ने जंगली राज्य की बात कही उसके खिलाफ कार्यवाही करने पर सरकार विचार करेगी ?

श्री हरिशंकर तिवारी-

जब प्रकरण संज्ञान में आया तभी यह प्रक्रिया निर्धारित हो गई। तत्कालीन आई0 जी0 ने क्या कहा, जांच की प्रक्रिया प्रारम्भ होने के बाद एल0 आई0 सी0 विभाग ने ट्रेजरी से न खरीदकर सीधे बम्बई से खरीद लिये यह संज्ञान में आया तो उनके खिलाफ कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई आई0जी0 ने जो कहा इसमें बिना विशेषाधिकार हनन के मामला दर्ज नहीं किया जा सकता है।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

कानपुर की एल0 आई0 सी0 ने बम्बई से स्टैम्प खरीदे स्टैम्प ऐक्ट का उल्लघंन करके उन्होंने बम्बई से खरीदे।

जब कानपुर की डिस्ट्रिक ट्रेजरी से स्टाम्प नहीं खरीदे गये तो क्या इसके बाद सरकार द्वारा कोई ऐसा आदेश जारी किया गया है कि भविष्य में प्रदेश के भीतर जो भी स्टाम्प क्रय किए जायेंगे वह बाहर से नहीं क्रय किए जायेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

क्या इस प्रकार का कोई आदेश जारी किया गया जब ऐसा प्रकरण संज्ञान में आया ?

श्री हरिशंकर तिवारी-

मान्यवर, कई बार इस तरह के आदेश हुए हैं कि स्टाम्प पेपर ट्रेजरी से लिए जायें।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, लोरिक यादव द्वारा इस घटना क्रम को उठाये जाने के बाद जो सरकार ने जांच बैठायी थी, वह बन्द कर दी गयी। मान्यवर, मैं आपका कृपापूर्वक संरक्षण चाहता हूं कि इस घटना क्रम के बाद सरकार ने तत्काल आदेश जारी किये थे या नहीं ?

श्री हरिशंकर तिवारी-

मान्यवर, माननीय सदस्य के मन में यदि कोई शंका है तो मैं जांच करा लूंगा।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, इस प्रकरण को मैं नियम-51 में भी उठा चुका हूं।

श्री अध्यक्ष-

यह अल्पसूचित तारांकित प्रश्न है। मंत्री जी के पास इतने ब्योरे यहां नहीं है, जो आप पूछ रहे हैं।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, अल्पसूचित प्रश्न के माध्यम से यह प्रकरण उठाया गया है, सरकार फिर भी तैयार होकर नहीं आयी है। इतने महत्वपूर्ण मसले पर जिससे सारा राष्ट्र जल रहा है, अरबों रुपये की चपेट पहुंचायी गयी है। कृपापूर्वक इस सम्बन्ध में नियम-49 में आधे घण्टे की चर्चा स्वीकार कर लें।

श्री अध्यक्ष-

आप लिखकर दे दें।

जनपद गोरखपुर में वाईरल रिसर्च सेन्टर खोले जाने की मांग

**2-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल (अनुपस्थित)-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में मस्तिष्क ज्वर की रोकथाम हेतु क्या सरकार गोरखपुर में वाईरल रिसर्च सेन्टर खोलने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश में नकली दवाओं के उत्पादन एवं विक्रय पर नियंत्रण हेतु योजना

*1-डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा तथा श्री श्याम देव राय चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में क्या नकली दवाओं के उत्पादन एवं विक्रय पर प्रभावी नियंत्रण हेतु शासन द्वारा कोई कार्य योजना बनायी गयी है ? क्या सरकार इस पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु कोई नया कानून बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पर्यटन मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)-

नकली दवाओं के उत्पादन एवं विक्रय पर प्रभावी नियंत्रण हेतु औषधि नियंत्रण संगठन के अधिकारियों/निरीक्षकों द्वारा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 एवं तत्सम्बन्धी नियमावली, 1945 के प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री श्याम देव राय चौधरी-

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न बहुत गम्भीर है और आम जनता के जीवन से जुड़ा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार यह पाया गया है कि विश्व भर में तकरीबन चार हजार करोड़ रुपये की नकली दवाइयां प्रतिवर्ष बाजार में बिक रही हैं और उन चार हजार करोड़ रुपये की दवाइयों में से लगभग 35 प्रतिशत दवाइयां भारतवर्ष के अन्दर बिक रही हैं तो मैं आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहता हूं कि इतना गम्भीर विषय है, एक तरफ आदमी दवाई खरीदता है, स्वस्थ होने के लिए और दूसरी ओर ऐसे लोग जो नकली दवाइयां बेचकर लोगों को मौत के मुंह में धकेल रहे हैं। इस सम्बन्ध में सरकार कितनी संवदेनशील है और क्या कर रही है ? मात्र इतना कह देना कि 'अधिनियम, 1940 एवं तत्सम्बन्धी नियमावली, 1945 के प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है', यह पर्याप्त नहीं है तो मैं जानना चाहता हूं कि इतने गम्भीर विषय पर सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है, कितने उत्पादकों और कितने दवा बेचने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की है और जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की सर्वे रिपोर्ट है कि 35 प्रतिशत दवाइयां भारतवर्ष में नकली बिक रही हैं, इसको रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, माननीय सदस्य जो पूछ रहे हैं कि क्या कानून प्रभावी नहीं है ? उनका कहना है कि कानून प्रभावी नहीं है, इसको प्रभावी बनाने के लिए क्या सरकार कोई नया कानून बना रही है ? जो कानून बना हुआ है वह प्रभावी है और उसमें ऐसे लोगों को पनिश्मेन्ट देने का प्राविजन है। श्रीमन् जब से ऐसी शिकायतें मिली हैं हमारी सरकार बनते ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा कार्यवाही की गयी है, सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में छापे मारे गये और दिसम्बर तक 54 जनपदों में 10 फैक्ट्रियों पर 413 प्रतिष्ठानों से 1000 नमूने लिए गए और 12 लोगों की गिरफ्तारी की गयी।

मान्यवर, डिप्टी एस0पी0 और परगना अधिकारी के साथ छापे मारने के आदेश दिये गये हैं। कार्यवाही हो रही है।

श्री अरुण कुमार मेहरोत्रा-

मान्यवर, पिछली कार्रवाई का संज्ञान लें तो उसमें कार्रवाई का प्रश्न था और साथ ही साथ यह था कि इस पर प्रभावी कार्रवाई के लिए क्या कार्ययोजना बनायी जा रही है। इस विषय से पूरा सदन सहमत होगा कि नकली औषधि का वितरण बहुत ही गंभीर समस्या है और विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक 10-30 प्रतिशत नकली औषधियों का वितरण होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन को एक और रिपोर्ट है जिसमें उत्तर प्रदेश के 2 शहरों के नाम भी हैं। एक तो यहां कानून पर्याप्त नहीं है, दूसरा इन कानूनों का कार्यान्वयन पर्याप्त नहीं है। तीसरा दण्ड देने की प्रक्रिया त्वरित नहीं है और दण्ड पर्याप्त नहीं है और भारतवर्ष के 4 शहरों के नाम लिये गये हैं। इनमें दिल्ली में भागीरथ पैलेस, पटना आगरा और कानपुर के नाम हैं। 1945 के कानून की बात कही गयी है तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या नीति है प्रभावी नियंत्रण के लिये। यह मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

आपका प्रश्न था कि क्या कार्ययोजना बनायी गयी है और आप नियमों में जा रहे हैं।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, हमने पहले भी कहा है कि सरकार ने आदेश देकर विशेष रूप से चेकिंग अभियान चलाया। कानपुर में 7 लोग अरेस्ट हुए हैं और 6 लोग एनएसए में बन्द किये गये हैं। हमने दिसम्बर तक की सूचना दी है और अभी भी कार्यवाही जारी है। आगरा में कोई पकड़ा नहीं गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो रिपोर्ट आप बता रहे हैं उसको भी देखना होगा और सरकार इस ऐक्ट के तहत जितनी प्रभावी कार्यवाही कर सकती है वह करेगी। नकली दवायें [illegible]

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि नकली दवाओं के परीक्षण के लिए प्रदेश में प्रयोगशाला कहां स्थापित है और कितने परीक्षण इसमें अभी तक हुए हैं और कितने अभी पेंडिंग है। अगर यह सूचना मिलेगी तो जाहिर होगा कि सरकार अधोमानक नकली दवायें रखने के मामले में कितनी गंभीर है। जब से यह सरकार आयी है कुल कितने लम्बित नमूनों का परीक्षण किया गया है और जो लम्बित हैं उनका परीक्षण कब तक कर लिया जायेगा ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, जो माननीय सदस्य, डा0 लक्ष्मीकन्त बाजपेयी जी ने पूछा उसके सम्बन्ध में जो तथ्य आये हैं वह चौकाने वाले थे और इस सरकार ने उसे बहुत गम्भीरता से लिया है। हमारे पास इस समय लखनऊ में एक लैब है जिसकी क्षमता 600 टेस्टिंग की है और हम लोग मैक्जीमम एक हजार कर देते है। इस समय दस हजार मामले पेन्डिंग पड़े हैं। इसलिए शासन ने निर्णय लिया है कि उसे अपग्रेड किया जाय। इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार ने 57 लाख रुपये स्वीकार किये थे लेकिन पिछली सरकार ने इसमें कुछ नहीं किया। हमारी सरकार ने 26 लाख रुपया दे दिया है और इसके जल्द ही अपग्रेड कराने की कार्यवाही की जा रही है बाकी की भी धनराशि जल्दी रिलीज की जायेगी और यदि जरूरत पड़ी तो एक और लैब की स्थापना की जायेगी।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो भारत सरकार से सत्तावन लाख रुपया प्राप्त हुआ है उस पैसे से यह सरकार उस लैब का उच्चीकरण कर लेगी ? दूसरा यह है कि जो दस हजार नमूने हैं उसका परीक्षण कितने दिनों में हो जायेगा और इस बीच कुछ नमूने और लिये जायेंगे तो उनकी क्या स्थिति बनेगी ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी यदि संभव हो तो इस प्रश्न का उत्तर दे दें।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, मैंने यह स्वीकार किया है कि जो लैब थी उसमें कमी हो रही है और इसे सरकार ने गम्भीरता से लिया है। 6 महीने हमारी सरकार को बने हुए हैं और 26 लाख रुपया हमने रिलीज कर दिया है। सत्तावन लाख रुपया हमें अपग्रेड करने के लिए केन्द्र सरकार से मिला हुआ है। हम चाहेंगे कि जल्द ही उन सबका परीक्षण हो जाय। इसमें कृत कार्यवाही हो रही है।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

यह तो पेंडिंग नमूने हैं। जब वह नमूने एक्सपायरी हो जायेंगे तो फिर क्या लाभ होगा।

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरीवाले)-

मान्यवर, जो नमूने पेन्डिंग है जैसे ब्लक टेस्टिंग वगैरह यह 90 दिनों में हो जाने चाहिए। अगर नहीं होंगे तो वह एक्सपायरी हो जायेंगे। इस तरह से लाभ नहीं हो पायेगा। इस पर गम्भीरता से विचार किया जाय और कार्यवाही की जाय।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

मान्यवर, यह कहा गया कि सरकार संवेदनशील है और दोषियों को कठोरतम दण्ड देना चाहती है। मान्यवर, मेरे दो प्रश्न है एक तो यह है कि जो अधोमानक और नकली दवाएं बेच रहे हैं और यह साबित होने पर कठोरतम दण्ड क्या है और अब तक कितने लोगों को दण्ड दिया जा चुका है ?

श्री अध्यक्ष-

कठोरतम दण्ड तो अधिनियम में देखकर जाना जा सकता है। इस प्रश्न की कोई जरूरत नहीं है।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

कितने लोगों को अब तक दण्ड दिया जा चुका है ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

यदि यह प्रश्न में ही पूछ लेते तो हम उसमें जवाब दे देते। हम माननीय सदस्य को मालूम करके बता देंगे।

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में विद्युत उत्पादन बढ़ाने की योजना

*1-श्री सुरेश कुमार खन्ना (अनुपस्थित)-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में मांग के अनुरूप विद्युत उत्पादन बढ़ाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

दसवीं पंचवर्षीय योजना में लगभग 4802 मेगावाट की विद्युत ऊर्जा क्षमता में वृद्धि प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त प्रदेश की नई ऊर्जा नीति 2003 में यह व्यवस्था की जा रही है कि निजी उद्यमी अपने विद्युत उत्पादन गृह लगा सकते हैं जिनके लिए राज्य सरकार हर सभव मदद करेगी।

प्रदेश में बिजली के करेण्ट से होने वाली दुर्घटना हेतु क्षतिपूर्ति

*2-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि बिजली के तार टूटने, बिजली के पोल में करेन्ट उतरने तथा पोल पर चढ़कर कार्य करते समय करेन्ट लगने से होने वाली मृत्यु/क्षति के लिये क्षतिपूर्ति देने का कोई प्राविधान है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खाद्य एवं रसद मंत्री (डा0 अशोक बाजपेयी)-

जी हां।

(अ) कारपोरेशन के अन्तर्गत विभागीय कार्मिकों की कार्य करते हुए दुर्घटना घटित होने पर निम्न प्राविधान हैं :-

घातक दुर्घटना के घटित होने के फलस्वरूप कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के प्राविधानों के अनुसार मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता अब महाप्रबन्धक द्वारा क्षतिपूर्ति स्वीकृत किये जाने का प्राविधान है।

(ब) बाहरी व्यक्तियों की विद्युत सम्पर्क में आकर घटित दुर्घटना के संबंध में :-

1-मृत्यु होने की दशा में रु0 20,000/- (रुपये बीस हजार) अधिकतम अनुग्रह धनराशि।

2-अपंगता की स्थिति में-अर्जन क्षमता में हुए प्रतिशत ह्रास के समानुपातिक।

(स) पशुओं की घातक दुर्घटना होने की स्थिति में रु0 3,000/-(तीन हजार) अधिकतम धनराशि।

(द) फसलों/सम्पत्ति की क्षति होने की दशा में तहसीलदार/जिलाधिकारी के आंकलन एवं संस्तुति तथा निदेशक, विद्युत सुरक्षा की संस्तुति के आधार पर।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

माननीय अध्यक्ष महोदय, पावर कारपोरेशन की लापरवाही के कारण बिजली के तार टूटने, बिजली के पोल में करेन्ट उतरने के कारण या अन्य किसी कारण से जो पशु मर जाय, उसकी क्षति हो जाये या व्यक्ति की मृत्यु हो जाय, यह बहुत ही दुखद घटना है। जहां एक तरफ इसके लिए जो जिम्मेदार कर्मचारी/अधिकारी हैं वह दण्ड के पात्र होते हैं वहीं दूसरी तरफ मान्यवर, जो अनुग्रह राशि देने की बात कही गयी है, आप स्वयं पता लगा सकते हैं कि एक पशु की कीमत कितनी हो सकती है आजकल और यह 3000 रुपये अधिकतम है, मान्यवर, वह भी अधिकारियों की कृपा पर है कि वह आंकलन करेंगे कि कितना इसमें विद्युत विभाग का दोष है, क्या है क्या नहीं है। यदि व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी जान की कीमत सिर्फ 20 हजार रुपये है। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि आजकल माननीय मुख्य मंत्री जी के स्तर पर अगर किसी की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो कम से कम एक लाख रुपये दिया जाता है, दो लाख रुपये दिया जाता है, तो क्यों न सरकार इस धनराशि को बढ़ाने की योजना पर विचार करे या इसको किसी बीमा कम्पनी से आच्छादित/बीमित कराने की योजना पर विचार करेंगे। क्या माननीय मंत्री जी ऐसी किसी योजना पर विचार करेंगे।

डा0 अशोक बाजपेयी-

मान्यवर, माननीय सदस्य के सुझावों पर विचार कर लिया जायेगा।

प्रदेश में धनवन्तरी चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना पर विचार

*3-डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में स्थापित धनवन्तरी चिकित्सा विश्वविद्यालय भारतीय चिकित्सा पद्धति का विश्वविद्यालय है या सभी चिकित्सा पद्धतियों का ? यह विश्वविद्यालय किस शिक्षा सत्र से चिकित्सा महाविद्यालयों का सम्बद्धीकरण प्रारम्भ कर देगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

(क) चिकित्सा पद्धतियों के विभिन्न संकायों से युक्त धन्वन्तरि आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, लखनऊ की स्थापना हेतु पूर्व में निर्णय लिया गया था। यह विश्वविद्यालय क्रियाशील नहीं हो सका तथा इस संबंध में पुनर्विचार हो रहा है।

(ख) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

(ग) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि धन्वन्तरि आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, लखनऊ में क्रियाशील नहीं हो सकता है। मान्यवर, मेरे हाथ में एक शासनादेश है, जिसमें 22 पदों का सृजन किया गया था, जिसमें ओ0एस0डी0 का एक पद, कुल सचिव का एक पद, वित्त अधिकारी का एक पद, पुस्तकालयाध्यक्ष का एक पद, निजी सचिव (कुलपति के लिए) का एक पद, वरिष्ठ आशुलिपिक का एक पद, (कुलसचिव के

लिए), कम्प्यूटर प्रोग्रामर का एक पद, आशुलिपिक का एक पद, वरिष्ठ सहायक के दो पद, वरिष्ठ आशुलिपिक के पांच पद, कनिष्ठ लिपिक/टंकक के दो पद, चालक एक पद, चपरासी/अर्दली, चौकीदार/माली के दो-दो पद हैं. इस तरह से मान्यवर, कुल 22 पदों का सृजन हुआ था। मान्यवर, शासनादेश संख्या-2701/इकहत्तर-3-99 के तहत 10 लाख रुपये की धन राशि अवमुक्त की गयी थी। 12 मई, 1998 को इस विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गयी जिसमें मुख्य सचिव वित्त, मुख्य सचिव न्याय और मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा थे, उस कमेटी ने दक्षिण भारत के इस प्रकार के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों का निरीक्षण करने के बाद धन्वन्तरि आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थपना की संस्तुति की थी और उसके आधार पर मंत्रिमण्डल ने निर्णय किया था और इसकी स्थापना लखनऊ में की गयी थी। मान्यवर, इसके लिए जो धनराशि निर्धारित की गयी थी, वह अभी तक अवमुक्त नहीं हुयी। मान्यवर, हमें ध्यान है जब छत्रपति शाहू जी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय का जिक्र आया था और सरकार ने अपने उत्तर में कहा था कि छत्रपति शाहू जी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय एक आवासीय विश्वविद्यालय होगा। मान्यवर, इस सदन में दो बार आश्वासन दिया जा चुका है, तत्कालीन सरकार द्वारा इसकी स्थापना का निर्णय लिया गया, अब आज बताया जा रहा है कि वह विश्वविद्यालय अभी क्रियाशील नहीं हो सका है। तो मान्यवर, उस स्थापित विश्व विद्यालय को क्रियाशील नहीं किया जा सका और अब सरकार उसे समाप्त करने पर विचार कर रही है।

मान्यवर, आप देखें उसको क्रियाशील करने के लिए 25 लाख रुपये का बजट प्राविधान कर, उसके अवमुक्त करने की कार्यवाही की गयी, 22 पदों का सृजन हुआ और उस विश्वविद्यालय को अन्य चिकित्सा महाविद्यालयों से सम्बन्धीकरण की व्यवस्था की गयी। तो मेरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार पूर्ववर्ती व्यवस्थाओं को जारी रखने पर विचार करेगी ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, पूरा प्रकरण जो हम लोगों के सामने है उसमें यह है कि जिस सरकार के समय में यह निर्णय लिया गया था उसमें भी इस पर काम नहीं हो सका। 22 पद जो सृजित किए गये थे उसमें मात्र 10 लाख रुपये का प्राविधान किया गया था, यह सब बातें मजाक उड़ाते हुए नजर आती हैं। उसकी बुनियाद ही नहीं रखी गयी थी और यह पद भी अमलीतौर पर सृजित नहीं हुये, मात्र मंत्रि-परिषद् से पास होने के बाद वहां से ज्यादा काम नहीं हो सका।

मान्यवर, एक ऐसे विश्वविद्यालय की आवश्यकता शायद कम है क्योंकि यहां पर पहले से ही काफी इस सिलसिले में काम हो रहा है, मेडिकल कालेज हैं, संजय गांधी संस्थान है और जो दूसरे भी संस्थान हैं। मान्यवर जो हमने बातें सुनी हैं अपने साथियों से, लोग यह भी चाहते हैं कि एक धरती पर ज्यादा बोझ न पड़े। हमारा प्रदेश बड़ा है, दूसरी जगहों पर भी ऐसी चीजे बनाई जाएं। यह तो आगे की बात है। अभी इस पर काम होने का निर्णय नहीं हो सका है जो पुराने वर्षों में इस सन्दर्भ में उदासीनता बरती गयी है उसी पर नजर डाली गयी है। इसे देखा जा रहा है कि इस विश्वविद्यालय की क्या जरूरत है ? मान्यवर, आप देखे कि डेन्टल की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए इस सरकार ने एक अलग से व्यवस्था की है ताकि आपके दांत अच्छे से अच्छे बने रहें। अभी इस पर माननीय बाजपेयी जी पुराना हिसाब ले ले, नये हिसाब के लिए कोई तैयारी नहीं है।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, इस विश्वविद्यालय की मूल भावना यही थी कि जो हमारे भारतीय चिकित्सा पद्धति हैं और उनके जो महाविद्यालय हैं, उनके साथ सम्बद्धीकरण की दृष्टि से इसकी व्यवस्था की गयी थी। मंत्री जी ने जो एक धरती पर मोड की बात कही है तो मैं तो खुद चाहता हूं कि इसे लखनऊ में न बना कर प्रदेश के अन्य किसी जिले में बना दिया जाए मैंने तो यह प्रस्ताव भी किया था कि इसे मेरठ में बना दिया जाय वहां इसके लिए निःशुल्क जमीन भी मिल जायेगी और मैंने विधायक निधि से भवन देने की बात भी की और उस विषय को माननीय मंत्री जी ने स्वीकार भी किया है।

मान्यवर, मेरा कहना यह है कि क्या माननीय मंत्री जी पूर्व की उदासीनता को खत्म करके और इसकी महत्व को स्वीकार करते हुए इस विश्वविद्यालय को लखनऊ के अतिरिक्त कहीं अन्यत्र स्थापित करने पर विचार कर लेंगे।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, भारतीय चिकित्सा पद्धतियों पर यहां पहले से ही काफी काम हो रहा है और जो यह संस्थाएं पहले से ही स्थापित हैं तो उनको भी प्रमोट करने की आवश्यकता है। यह जाहिर है कि यह उस जमाने की योजना थी और उस जमाने में ही इसे ठण्डे बस्ते में डाल दिया गया था। अब वह ठण्डे बस्ते में पड़ा हुआ है। अब उस पर देख सकते हैं कि क्या हो सकता है ?

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, पूर्ववर्ती सरकार ने इसको स्थापित करने का निर्णय लिया था, आज वह उदासीनता के कारण ठण्डे बस्ते में मामला पड़ा हुआ है। आज के बजट भाषण में माननीय मुख्य मंत्री जी ने रामपुर में अरबी-फारसी विश्वविद्यालय की स्थापना करने की घोषणा की जिसका मैं स्वागत करता हूं। मान्यवर, एक तरफ तो एक नया विश्वविद्यालय स्थापित हो रहा है और दूसरी तरफ स्थापित किए गये विश्वविद्यालय को समाप्त मान्यवर, जहां तक माननीय मंत्री जी ने कहा भारतीय चिकित्सा पद्धति के महाविद्यालय की प्रोन्नति करेंगे और उनको बेहतर करने पर विचार कर रहे हैं तो विश्वविद्यालय उससे अलग बनेगा और उससे सम्बद्ध होगा। अगर यह बात थी तो डेन्टल विश्वविद्यालय बनाने की क्या जरूरत हो गयी। प्रदेश में इतने डेन्टल महाविद्यालय खुल गये जितने प्रदेश में दांत नहीं हैं। जब डेन्टल विश्वविद्यालय बनाया जा सकता है तो भारतीय चिकित्सा पद्धति का जो विश्वविद्यालय था सरकार उसको समाप्त करने पर क्यों विचार कर रही है। भारतीय चिकित्सा पद्धति के विश्वविद्यालय को गतिशील करने पर सरकार विचार क्यों नहीं कर रही है जबकि मैं खुद कह रहा हूं कि रामपुर में पहला अरबी-फरसी विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा का मैं स्वागत कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

समय समाप्त हो गया है। मंत्री जी चाहें तो कुछ कह लें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

जिस तरह से अरबी फारसी विश्वविद्यालय की बात कही तो इस तरह का कोई विश्वविद्यालय नहीं है लेकिन जहां तक डेन्टल विश्वविद्यालय का मामला है बाजपेयी जी को यह अन्दाजा होगा कि दातों की कितनी जरूरत है।

(इस समय 1 बजकर 28 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए।)

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

दांत से ज्यादा पेट को स्वस्थ रखने की जरूरत है।

श्री उपाध्यक्ष-

मंत्री जी के देख लीजिए कि दांत असली हैं या नकली।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। मैं खुद स्वागत करता रहा हूं जो घोषणा की गयी है। जब देश में प्रदेश में कोई नया विश्वविद्यालय नहीं स्थापित हो रहा है देश में ऐसा विश्वविद्यालय कहीं भी नहीं है जैसा यह आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था तो सरकार उसको यथावत रखते हुए गतिशील बनाने पर विचार कर लें न कि समाप्त करने पर।

श्री उपाध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी ने उत्तर दे दिया है।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, इसमें नियम 49 में आधे घण्टे की चर्चा स्वीकार कर लें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

इस पर मान्यवर, चर्चा की कोई आवश्यकता नहीं है। इस पर पहले से ही विचार हो रहा है, कई वर्षों से विचार हो रहा है और यह विचार का ही नतीजा है।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, कोई विचार नहीं हो रहा है। मेरे पास वह कागज है, कहीं कोई विचार नहीं हुआ है। आपका विचार एकतरफा है इस आधार पर कि इसे पूर्व सरकार ने बनाया था जबकि यह जनता से जुड़ा हुआ विश्वविद्यालय है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैं इस आरोप का खण्डन करना चाहता हूं। इसकी नवम्बर, 1999 में बैठक हुई थी तब से लेकर 4 वर्षों तक कुछ नहीं हुआ।

अतारांकित प्रश्न

लखनऊ के चर्च रोड, इन्दिरानगर के ग्राम गाजीपुर सैदुन्निशां में विद्युत कनेक्शनों की जांच

1-श्री रमापति उर्फ रमाकान्त-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि चर्च रोड, इन्दिरानगर, लखनऊ के मध्य स्थित ग्राम गाजीपुर सैदुन्निशां में कटिया लगाकर बिजली की चोरी की जा रही है और निर्धारित भार से अधिक बिजली का प्रयोग किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नोट :-नत्थी ग के तारांकित प्रश्न संख्या-3 के उपरान्त प्रश्नोत्तर समाप्त हुआ।

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं। चर्च रोड, इन्दिरानगर के मध्य स्थित ग्राम-गाजीपुर सैदुन्निशां में विद्युत कनेक्शनों की जांच कराई गई तथा जांच के समय कोई भी कटिया लगाकर बिजली की चोरी का मामला नहीं पाया गया। निर्धारित भार से अधिक बिजली प्रयोग का मामला भी नहीं पाया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के बुनकरों को पावरलूम चलाने हेतु विद्युत दरों का निर्धारण

2-श्री मोख्तार अन्सारी-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में गरीब बुनकरों द्वारा पावरलूम चलाये जाने हेतु विद्युत मूल्य फिक्स दर पर लेने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो उक्त फिक्स दर कब तक लागू कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

विद्युत दरों का निर्धारण उ0 प्र0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा किया जाता है, जो स्वतंत्र संगठन है।

लखनऊ के आयुर्वेद यूनानी निदेशालय के दैनिक वेतन भोगी लिपिकों को समायोजन की मांग

3-श्री आनन्द सेन-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि आयुर्वेद यूनानी निदेशालय, लखनऊ में तैनात दैनिक वेतन भोगी लिपिकों को समायोजित करने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 8-1-04 को मा0 मुख्य मंत्री जी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं। प्रश्नकर्ता का पत्र दि0 8-1-04 मा0 मुख्य मंत्री जी को प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मल्लावां के स्वास्थ्य पर्यवेक्षक श्री राम स्वरूप वर्मा द्वारा की गई अनियमितताओं की जांच

4-श्री अब्दुल मन्नान-

विधान सभा के तृतीय सत्र, 2003 के प्रथम बुधवार हेतु निर्धारित अता0 प्रश्न संख्या 76 के उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री राम स्वरूप वर्मा, आई0 ओ0 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मल्लावां, जनपद हरदोई के विरुद्ध की गई जांच आख्या क्या जिलाधिकारी, हरदोई के पत्रांक 140/शि0लि0-जांच-मु0 अ0-3, दिनांक 3 जनवरी, 2004 द्वारा निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश को प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो जांच में लगाये गये आरोपों के आधार पर उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

परिवार कल्याण मंत्री (श्री अहमद हसन)-

जी हां।

जी हां।

श्री राम स्वरूप वर्मा, स्वास्थ्य पर्यवेक्षक का स्थानान्तरण कर दिया गया है। जांच रिपोर्ट पर आगे कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रदेश के राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालयों में कार्यरत हाई स्कूल उत्तीर्ण चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को प्रोन्नति का लाभ दिये जाने की मांग

5-श्री अब्दुल मन्नान-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालयों में कार्यरत हाई स्कूल उत्तीर्ण चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को डार्करूम सहायक के पद पर प्रोन्नति का लाभ वर्ष 1998 के पूर्व दिया गया है ? क्या यह सही है कि वर्ष 1998 में सेवा नियमावली में संशोधन कर दिये जाने से हाई स्कूल उत्तीर्ण चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी प्रोन्नति के लाभ से वंचित हो गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार वर्ष 1998 के पूर्व से कार्यरत हाईस्कूल उत्तीर्ण चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को प्रोन्नति का लाभ दिये जाने हेतु नियमों में कोई व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं। पद सीधी भर्ती का है, पदोन्नति से भरने का प्राविधान नहीं है। डार्करूम सहायक सेवा नियमावली, 1998 प्रख्यापित होने के पूर्व कुछ जनपदों में वैकल्पिक व्यवस्था हुई।

जी नहीं। डार्करूम सहायक सेवा नियमावली, 1998 में प्रख्यापित हुई, जिसमें डार्करूम सहायक के पद हेतु आर्हता इण्टरमीडिएट (विज्ञान) के साथ दो वर्ष की राजकीय सेवा पूर्ण करने वाले कर्मचारियों को नियुक्ति के चयन में वरीयता दिये जाने का प्राविधान विद्यमान है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के ड्रग वेयर हाउस के भवन के निर्माण की जांच

6-श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल-

क्या परिवार कल्याण मंत्री को जानकारी है कि परिवार कल्याण विभाग द्वारा ड्रग वेयर हाउस आजमगढ़ का निर्माण कराया गया है ? क्या यह सही है कि सहायक अभियन्ता (श्री यू0 पी0 राय) परिवार कल्याण द्वारा दिनांक 15-8-2003 ने अपनी निरीक्षण आख्या में कमियां दर्शायी हैं ? यदि हां, तो खामियों के होते हुये भी उक्त ड्रग वेयर हाउस को विभाग द्वारा अप्रैल, 2003 को हस्तगत कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी हां।

जी हां।

ड्रग वेयर हाउस, आजमगढ़ के भवन को दिनांक 4 अप्रैल, 2002 को विभाग द्वारा हस्तगत किया गया था। ड्रग वेयर हाउस भवन के हस्तगत के समय कमियां दृष्टिगत नहीं हो पायी थीं। उक्त

भवन के हस्तगत के उपरान्त विभाग द्वारा उपयोग के समय फार्कलिफ्ट मशीन के चलाने पर फर्श धंसने एवं बारिश के उपरान्त एप्रन एवं सड़क का धंसना तथा सीलन आदि की कमियां प्रकाश में आयी, जिन्हें कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम (कन्सलटेन्ट) द्वारा ठीक करा दिया गया है। पूरे प्रकरण में जांच कराई जा रही है।

लखनऊ के रानी लक्ष्मीबाई राजकीय संयुक्त चिकित्सालय, राजाजीपुरम् में कार्डियोलाजिस्ट तथा ओर्थोपैडिक सर्जन के पद सृजित करने की मांग

7-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ में लगभग 2 लाख की आबादी वाले क्षेत्र राजाजीपुरम् में स्थित रानी लक्ष्मीबाई राजकीय संयुक्त चिकित्सालयों में कोई कार्डियोलाजिस्ट तथा ओर्थोपैडिक सर्जन तैनात न होने के कारण जनता को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त चिकित्सालय में उक्त चिकित्सकों की तैनाती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व मंत्री (अम्बिका चौधरी)-

प्रश्नगत चिकित्सालय में कार्डियोलाजिस्ट तथा आर्थोपैडिक सर्जन का पद सृजित/स्वीकृत न होने के कारण उक्त विशेषज्ञ तैनात नहीं हैं।

पद सृजित न होने के कारण उक्त चिकित्सकों की तैनाती संभव नहीं हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ नगर में रजिस्टर्ड एवं अनरजिस्टर्ड नर्सिंग होम

8- श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर में कितने रजिस्टर्ड एवं कितने अनरजिस्टर्ड नर्सिंग होम हैं ? क्या यह सत्य है कि अधिकतर नर्सिंग होम आवासीय भवनों में चल रहे हैं तथा निर्धारित मानकों का पालन नहीं कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इनका सर्वेक्षण कर उन पर प्रतिबन्ध लगायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

स्वास्थ्य विभाग में नर्सिंग होम के पंजीकरण का प्राविधान नहीं है।

वर्तमान में कोई मानक निर्धारित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के अस्पतालों में इनसिनरेटर लगाये जाने की मांग

9-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अस्पताल से निकला हुआ कचड़ा स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है ? क्या उसके निस्तारण के लिये लखनऊ के अस्पतालों में इनसिनरेटर लगाये गये हैं ? यदि हां, तो यह सुविधा किन-किन अस्पतालों में प्रदान की गयी है तथा उनकी निस्तारण क्षमता क्या है ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

जी हां। कामन सुविधा के रूप में बलरामपुर चिकित्सालय, लखनऊ के परिसर में 75 के0जी0 प्रति घण्टा क्षमता वाला इन्सीनरेटर स्थापित है।

कामन सुविधा के रूप में बलरामपुर चिकित्सालय, लखनऊ में स्थापित इन्सीनरेटर से लखनऊ नगर के बलरामपुर चिकित्सालय तथा निम्नलिखित 18 अन्य चिकित्सालयों को यह सुविधा प्रदान की गयी है :-

1-डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय, लखनऊ।

2-वीरांगना अवन्ती बाई महिला चिकित्सालय, लखनऊ।

3-वीरांगना झलकारी बाई महिला चिकित्सालय, लखनऊ।

4-भाऊरांव देवरस चिकित्सालय, महानगर, लखनऊ।

5-रानी लक्ष्मीबाई, चिकित्सालय, राजाजीपुरम्, लखनऊ।

6-टी0बी0 चिकित्सालय, ठाकुरगंज, लखनऊ।

7-प्रसूतिगृह रेडक्रास, कैसरबाग, लखनऊ।

8-प्रसूतिगृह, एन0के0 रोड, लखनऊ।

9-प्रसूतिगृह, अलीगंज, लखनऊ।

10-प्रसूतिगृह, सिल्वर जुबली, जगत नारायण रोड, लखनऊ।

11-प्रसूतिगृह, फैजाबाद रोड, लखनऊ।

12-प्रसूतिगृह, चन्दरनगर, आलमबाग, लखनऊ।

13-प्रसूतिगृह, टूड़ियागंज, लखनऊ।

14-प्रसूतिगृह, ऐशबाग, लखनऊ।

15-राम मनोहर लोहिया चिकित्सालय, गोमतीनगर, लखनऊ।

16-के0ई0 चिकित्सालय, टूड़ियागंज, लखनऊ।

17-यूनानी कालेज, लखनऊ।

18-राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय, टूड़ियागंज, लखनऊ।

कुल 19 चिकित्सालयों से निकलने वाले संक्रमित कचरे के निस्तारण हेतु बलरामपुर चिकित्सालय, लखनऊ में स्थापित इन्सीनरेटर, जिसकी निस्तारण क्षमता 75 के0वी0 प्रतिघण्टा है, जो पूर्ण रूप से पर्याप्त है।

जनपद आगरा की पचोखरा में 33 के0वी0 विद्युत सब स्टेशन के निर्माण का प्रस्ताव

10-डा0 यशवन्त सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पचोखरा जनपद आगरा में 33 के0 वी0 विद्युत सब स्टेशन के निर्माण का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसका निर्माण कार्य कब से शुरू कर दिया जायेगा ?

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

निर्माण कार्य संसाधन की उपलब्धता तथा कार्यों की वरीयता को दृष्टिगत रखते हुए शुरू किया जायेगा।

जनपद आगरा के ताज ट्रिपोजियम की परिधि में विद्युतीकरण कार्य पूर्ण कराने की मांग

11-डा0 यशवन्त सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ताज ट्रिपोजियम योजना, जनपद आगरा के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में 20 कि0 मी0 की परिधि में विद्युतीकरण का कार्य अधूरा पड़ा है और सरकारी सामग्री का दुरुपयोग हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र के विद्युतीकरण कार्य को पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

सूचना एकत्र की जा रही है।

प्रदेश में पी0एम0एस0 डाक्टरों की भर्ती किये जाने की मांग

12-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पी0 एम0 एस0 डाक्टरों की कमी को दृष्टिगत रखते हुये डाक्टरों की भर्ती किये जाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

राजकीय चिकित्सालयों में चिकित्सा अधिकारियों के पद राजपत्रित हैं तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत आते हैं। वर्तमान में 886 रिक्त पदों को भरने हेतु शासन के पत्र दिनांक 22-11-2002 द्वारा लोक सेवा आयोग, उ0 प्र0 को अधियाचन भेजा जा चुका है, जिस पर लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 27 जून, 2003 को विज्ञापन/चयन के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में डा0 चन्द्र प्रकाश पाण्डेय द्वारा रिट याचिका संख्या-40656/2003 दायर की गयी है जिसमें मा0 उच्च न्यायालय द्वारा चयन प्रक्रिया पर रोक लगायी गई है।

लखनऊ के राजाजीपुरम् में रानी लक्ष्मीबाई राजकीय संयुक्त चिकित्सालय में एम्बुलेन्स चालक की नियुक्ति की मांग

13-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ मध्य विधान सभा क्षेत्र स्थित राजाजीपुरम् के रानी लक्ष्मीबाई राजकीय संयुक्त चिकित्सालय में एम्बुलेन्स चालक का पद सृजित है ? यदि नहीं, तो एम्बुलेन्स चालक की नियुक्ति न होने के कारण एम्बुलेन्स का प्रयोग किस प्रकार हो रहा है ? क्या सरकार चालक का पद सृजित कर एम्बुलेन्स चालक की नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं।

एम्बुलेन्स चालक की वैकल्पिक व्यवस्था से एम्बुलेन्स का प्रयोग किया जा रहा है।

रोगी वाहन चालक के पद की स्वीकृति जिला योजना से उपलब्ध परिव्यय एवं जिला अनुश्रवण समिति के अनुमोदनोपरान्त की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं का निराकरण एवं हितों की रक्षा विषयक प्राप्त पत्र

14-श्री पूर्णमासी देहाती-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं का निराकरण एवं हितों की रक्षा के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता एवं मा0 उद्यान राज्य मंत्री का पत्र दिनांक 10 दिसम्बर, 2003 तथा विधायकगण श्री अक्षयवर लाल, श्री आदित्य विक्रम सिंह, श्री अनिल सिंह व अन्य का पत्र माह दिसम्बर, 2003 में मुख्य मंत्री के माध्यम से उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)-

जी हां, प्रश्नकर्ता का पत्र दि0 सितम्बर, 03 एवं मा0 राज्य मंत्री उद्यान विभाग का पत्र दि0 10 दिसम्बर, 2003 ही प्राप्त हुआ है।

प्रश्नकर्ता के पत्र सितम्बर, 03 द्वारा शासनादेश दि0 3-7-03 में कतिपय संशोधन किये जाने का अनुरोध किया गया था, इस शासनादेश दि0 3-7-03 को विचारोपरान्त शासनादेश दि0 30-9-03 द्वारा निरस्त करते हुए भारत सरकार द्वारा जारी अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियां (संशोधन) अधिनियम, 2002 के अनुसार कार्यवाही करने के निर्देश प्रसारित किये गये हैं तथा भारत सरकार के पत्र दि0 15-12-03 द्वारा धुरिया, नायक, ओझा, पटारी, राजगोंड, खरवार, खैरवार, सहरिया, पहरिया, बेगा, पेंखा, पनिका, अगरिया, पटारी, चेरो, भुइया, भुनिया को गोंड जाति की उपजाति परिभाषित किया है, तद्नुसार शासनादेश दि0 6-2-04 द्वारा संबंधित जिलाधिकारियों को निर्देश भेज दिये गये हैं। मा0 राज्य मंत्री उद्यान के पत्र दि0 10-12-03 में उठाये गये कतिपय बिन्दुओं पर निदेशक, जनजाति विकास उ0 प्र0 लखनऊ एवं निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ0 प्र0 लखनऊ से आख्या प्राप्त की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के कतिपय जिलाधिकारियों को अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षिक विकास के कार्यक्रमों के संचालन हेतु सर्वेक्षण करने के आदेश

15-श्री पूर्णमासी देहाती-

क्या समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि निदेशक जनजाति विकास उ0 प्र0 के पत्रांक 330/ज0 जा0 वि0/2003-04 दिनांक 2 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदेश के 13 जिलों के जिलाधिकारियों की अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक सामाजिक एवं शैक्षिक विकास के कार्यक्रमों के संचालन हेतु सर्वेक्षण कराने का आदेश दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सर्वेक्षण कार्य अनुसूचित

जनजातियों के विधायकों एवं जातीय संगठनों के पदाधिकारियों को साथ लेकर कराने का आदेश करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद-

जी हां।

अनुसूचित जनजाति के विधायकगण एवं संगठनों के पदाधिकारियों से यथावश्यकता सर्वेक्षण में सहयोग प्राप्त किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में नये शासनादेश के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को जाति प्रमाण-पत्र जारी करने की मांग

16-श्री पूर्णमासी देहाती-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में जिन अनुसूचित जाति के सदस्यों को अनुसूचित जनजाति में शासनादेश संख्या 111भा0प0/26-3-03-3 (7)/2003 दिनांक 3 जुलाई, 2003 द्वारा शामिल किया गया है, उन जातियों के सदस्यों को पूर्व में जारी अ0 जा0 के जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर ही अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण-पत्र जारी करने का आदेश जारी करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने हेतु प्रक्रिया पहले से निर्धारित है।

जनपद मऊ के अधिशासी अभियन्ता विद्युत खण्ड प्रथम के श्री एस0एन0 सिंह अवर अभियन्ता द्वारा राजनैतिक दबाव डलवाने विषयक शिकायती-पत्र

17-श्री समरपाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि अधिशासी अभियन्ता विद्युत खण्ड प्रथम मऊ ने अपने पत्रांक 704 दिनांक 6-3-03 द्वारा उपमहाप्रबन्धक विद्युत मण्डल आजमगढ़ को श्री एस0 एन0 सिंह अवर अभियन्ता द्वारा अपने ऊपर राजनैतिक दबाव डलवाने एवं धमकियां देने का आरोप लगाया था ? यदि हां, तो एक उच्चाधिकारी को धमकाने वाले अवर अभियन्ता के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

प्रकरण की जांच अधिशासी अभियन्ता स्तर के अधिकारी से कराई जा रही है। जांच रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। जांचोपरान्त दोषी पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में अन्त्योदय योजना तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों के जिए खाद्यान्न आपूर्ति

18-श्री श्याम देव राय चौधरी-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य में अंत्योदय योजना तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों के लिये खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत 30 जून, 2003 तक

कितने कार्ड धारक थे ? उनके लिये कितनी मात्रा में खाद्यान्न की आवश्यकता पड़ती है ? क्या केन्द्र सरकार द्वारा पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न की आपूर्ति की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह)-

प्रदेश में 30 जून, 2003 तक अन्त्योदय अन्न योजना के अन्तर्गत 16.37 लाख एवं बी0पी0एल0 योजना के अन्तर्गत 90.42 लाख परिवारों को चिन्हित कर उन्हें राशन कार्ड उपलब्ध कराये गये है। अन्त्योदय अन्न योजना एवं बी0पी0एल0 योजना के अन्तर्गत प्रत्येक कार्डधारकों को 35 कि0 ग्रा0 खाद्यान्न (23 कि0 ग्रा0 गेहूं एवं 12 कि0 ग्रा0 चावल) प्रति माह दिया जाता है। उल्लिखित वितरण स्केल के अनुरूप अन्त्योदय अन्न योजना में 16.37 लाख कार्डधारकों के सापेक्ष 57,295 मी0 टन खानान्न (37,651 मी0 टन गेहूं एवं 19,644 मी0 टन चावल) तथा बी0पी0एल0 योजना में 90.42 लाख कार्डधारकों के सापेक्ष 3,16,470 मी0 टन खाद्यान्न (2,07,966 मी0 टन गेहूं एवं 1,08,504 मी0 टन चावल) की आवश्यकता प्रतिमाह पड़ती है।

केन्द्र सरकार द्वारा अन्त्योदय अन्न योजना एवं बी0पी0एल0 योजना में निर्दिष्ट खाद्यान्न के आवंटन के अनुरूप खाद्यान्न का आवंटन किया गया है एवं उक्त आपूर्ति स्टेट पूल/भारतीय खाद्य निगम के द्वारा सेन्ट्रल पूल से करायी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

अध्यक्ष विद्युत नियामक आयोग एवं तत्कालीन अधिशासी निदेशक (वाणिज्य) यू0 पी0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा अरबों रुपये की क्षति पहुंचाने विषयक पत्र

19-श्री राधेश्याम जायसवाल-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि अध्यक्ष विद्युत नियामक आयोग एवं तत्कालीन अधिशासी निदेशक (वाणिज्य) यू0 पी0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा अरबों रुपये की क्षति पहुंचाने सम्बन्धी मा0 विजय सिंह राणा, एम0 एल0 सी0 का पत्र दिनांक 2-8-2003 जोकि मा0 मुख्य मंत्री/मुख्य सचिव, उ0 प्र0 एवं अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, यू0 पी0 पावर कारपोरेशन लि0 को सम्बोधित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन से प्राप्त सूचनानुसार प्रकरण में जांचोपरान्त श्री एम0एस0 रिजवी तत्कालीन अधिशासी निदेशक (वाणिज्य) के विरुद्ध कोई अनियमितता नहीं पाई गई। अध्यक्ष विद्युत नियामक आयोग के संबंध में परीक्षण किया जा रहा है।

जनपद आजमगढ़ के कुम्भ कोहरौली, पिछौरा आदि ग्रामों के किसानों/उपभोक्ताओं को पर्याप्त विद्युत न मिलने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

20-श्री राधेश्याम जायसवाल-

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद के 33/11 के0 वी0 बरदह उप विद्युत केन्द्र से किसानों को अनियमित विद्युत आपूर्ति की जा रही है ? क्या यह भी सही है कि ग्राम-पसिका व राजेपुर से ग्राम कुम्भ के बीच 11 के0 वी0 विद्युत लाइन के पास आने वाले विद्युत व्यवधानों के कारण ग्राम-कुम्भ कोहरौली, पिछौरा आदि ग्रामों के किसानों/उपभोक्ताओं को पर्याप्त बिजली नहीं मिल पा रही है ? यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में भारतीय मजदूर संघ उ0 प्र0 के प्रदेश

मंत्री का पत्रांक-669/भा0 म0 संघ/दिनांक 22-6-2001, पत्रांक 652/दि0 17-6-99 व पत्रांक 786/दि0 28-7-99 तथा पत्रांक 836/दि0 12-8-99, पत्रांक 412/दि0 4-4-2000, पत्रांक 666/दि0 22-6-2000 मा0 ऊर्जा मंत्री महाप्रबन्धक (वितरण) वाराणसी, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ को एवं उप महाप्रबन्धक, विद्युत वितरण मण्डल आजमगढ़ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं।

जी हां।

संदर्भित ग्रामों की 11 के0वी0 लाइन वाटर लागिंग एरिया में होने से अनुरक्षण में विलम्ब होता है। फलस्वरूप विद्युत आपूर्ति प्रभावित होती है।

जी हां।

संदर्भित पत्रों में से निम्न पत्र अभिलेखों में उपलब्ध है :-

652/भा0म0सं0 दि0 17-6-99,

पत्रांक 786/भा0म0सं0 दि0 28-7-99

पत्रांक 836/भा0म0सं0 दि0 12-8-99

412/भा0म0सं0 दि0 4-4-2000 एवं एक अन्य पत्रांक 951 दिनांक 17-8-1999।

ग्राम-कुम्भ कोहरौली, बिछौरा एवं अन्य ग्रामों के विद्युत उपभोक्ताओं की विद्युत आपूर्ति चौकी ग्राम से 11 के0वी0 लाइन बनाकर कुम्भग्राम की लाइन से जोड़ने हेतु प्राक्कलन स्वीकृत हो चुका है। अग्रिम कार्यवाही शीघ्र पूर्ण करा दी जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मऊ में वर्ष 2002-2003 में धान खरीद की जांच

21-श्री समर पाल सिंह-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री को यह जानकारी है कि जिलाधिकारी, मऊ के आदेश पत्रांक-सी 1595/एस0टी0डी0एम0 दिनांक 7-3-2003 द्वारा धान खरीद वर्ष 2002-03 की जांच का आदेश दिया गया था ? यदि हां, क्या जांच पूर्ण हो गयी है और जांच में कितने कर्मचारी अधिकारी दोषी पाये गये ? उनके विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 अशोक बाजपेयी-

जी हां।

जांच पूर्ण होने के पश्चात् चार कार्मिक दोषी पाये गये।

दोषी पाये गये कार्मिकों में से श्री कामेश चन्द्र गुप्ता, विपणन निरीक्षक, हाट शाखा को कोपागंज क्रय केन्द्र से स्थानान्तरित करते हुये दो पृथक-पृथक प्रतिकूल प्रविष्टियां दी गयी। श्री सूर्यनाथ यादव, सचिव, साधन सहकारी समिति, अलीनगर एवं श्री बैजनाथ त्रिपाठी, सचिव, साधन सहकारी समिति, इन्दारा को चेतावनी दी गयी। श्री फूल चन्द्र यादव, सचिव, सहकारी क्रय-विक्रय समिति लि0 कोपागंज को निलम्बित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

22-श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल-

[दूसरे मंगल के अता0 प्र0 सं0-51 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

23, 24, 25-श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल-

[दूसरे मंगल के अता0 प्र0 सं0-52-53 व 54 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

बाल विकास पुष्टाहार विभाग, उ0 प्र0 को ऊंचे रेट पर पुष्टाहार सामग्री सप्लाई करने विषयक-पत्र

26-श्री अनुग्रह नारायण सिंह उर्फ खोखा सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 15-1-04 जो बाल विकास पुष्टाहार विभाग, उ0 प्र0 को तमिलनाडु की इकाई क्रिस्टी फ्राइडग्राम द्वारा ऊंचे रेट पर पुष्टाहार सामग्री सप्लाई किये जाने के सम्बन्ध में था, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

जी हां।

संदर्भगत प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

27-श्री सत्य नारायण

[मा0 सदस्य द्वारा विधान सभा की सदस्यता से त्याग-पत्र देने के कारण हटाया गया]

लखनऊ के टिकैतराय सचिवालय कालोनी में विद्युत की चोरी

28-श्री अशोक सिंह चौहान-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि टिकैत राय सचिवालय कालोनी में कितने ऐसे आवास हैं जिनमें आवंटन की तिथि से आज तक विद्युत का कनेक्शन नहीं लिया गया तथा विद्युत का उपभोग किया जा रहा है ? क्या सरकार ऐसे आवंटियों के विरुद्ध आवंटन की तिथि से ही विद्युत का बिल लिये जाने के आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि टिकैतराय सचिवालय कालोनी में विद्युत की चोरी को रोकने हेतु सर्विस लाइन को हटाने पर विचार करेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

टिकैतराय सचिवालय कालोनी में कुल 864 आवास हैं जिनमें से 763 आवासों में अध्यासी निवास कर रहे हैं तथा सभी अध्यासियों द्वारा वैध विद्युत संयोजन लिया गया है एवं उनके द्वारा वैध विद्युत संयोजन लेकर विद्युत का उपभोग किया जा रहा है।

सभी वैध संयोजित उपभोक्ताओं द्वारा विद्युत बिलों का भुगतान किया जा रहा है। इसलिये आवंटन की तिथि से विद्युत बिल लिये जाने के आदेश देने का प्रश्न नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

संज्ञान में आने पर विगत माह दिनांक 13-01-04, 14-01-04 एवं 15-01-04 को एक विशेष शिविर का आयोजन कर विद्युत चोरी रोकने हेतु सर्विस लाइनों को हटा दिया गया है।

जनपद बलरामपुर के गैडास बुजुर्ग के बी0एच0डब्लू0 श्री राम लोटन के चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान

29-श्री पूर्णमासी देहाती-

विधान सभा के तृतीय सत्र, 2003 के पहले बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-83 के उत्तर के संदर्भ में क्या परिवार कल्याण मंत्री को जानकारी है कि प्रश्नगत चिकित्सा-पूर्ति की स्वीकृति निदेशालय स्तर से वर्ष 1998 में होकर शासन को धन आवंटित करने हेतु प्राप्त हो गया था जिस पर शासन स्तर से निर्णय वर्ष 2001 में हो जाने के बाद भुगतान नवम्बर, 2003 में हो पाया था ? यदि हां, तो क्या सरकार वर्ष 2001 के स्वीकृत दिनांक से स्वीकृत धनराशि पर भुगतान की दिनांक से ब्याज का भुगतान करने पर विचार करेगी ? क्योंकि भुक्तभोगी को इस प्रयोजन हेतु लिए गये ऋण पर ब्याज देना पड़ा है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी हां।

श्री रामलोटन को कोषागार के चेक संख्या-981397 दिनांक 1-12-2003 द्वारा भुगतान कर दिया गया है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

ब्याज दिये जाने का कोई प्राविधान नहीं है।

पल्स पोलियो कार्यक्रम का लक्ष्य

30-श्री विजेन्द्र सिंह-

क्या सरकार पल्स पोलियो कार्यक्रम के अन्तर्गत ऐसे गांवों को चिन्हित कराकर सामूहिक जुर्माना करने पर विचार करेगी जिनमें पोलियो ड्राप पिलाने का लक्ष्य अभी पचास प्रतिशत भी पूरा नहीं हो सका है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

पल्स पोलियो कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश में ऐसा कोई गांव नहीं है जहां 5 वर्ष तक के बच्चों जिन्हें पोलियो की खुराक पिलाई गई हो, का प्रतिशत 50 से कम रहा हो। इस कार्यक्रम में सामूहिक जुर्माना का प्राविधान नहीं है।

31-श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया-

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लि0 के कर्मचारियों को भविष्य निधि लेखा पर्ची प्राप्त न कराने विषयक-पत्र

32-श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 जल विद्युत निगम लि0 के अन्तर्गत कर्मचारियों को भविष्य निधि लेखा पर्ची प्राप्त न कराये जाने के सम्बन्ध में मा0 ब्रजभूषण सिंह कुशवाहा, एम0एल0सी0 एवं मा0 मिथिलेश नारायण एम0एल0सी0 का पत्र दिनांक 10-9-2002, 12-1-2004 जोकि मुख्य मंत्री/अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 जल विद्युत निगम लि0 यू0पी0 पावर कार्पोरेशन लि0 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं।

पत्र अप्राप्त होने के कारण उस पर कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता तथापि जी0 पी0 एफ0 पर्ची निर्गमन की स्थिति निम्नवत् प्रस्तुत है :-

1-उ0 प्र0 जल विद्युत निगम (मुख्यालय) लखनऊ के अधिकारियों/कर्मचारियों की 2001-02 की जी0 पी0 एफ0 पर्ची निर्गत।

2-महाप्रबन्धक सिविल (पारेषण के अधिकारियों/कर्मचारियों की वर्ष 2001-02 की जी0 पी0 एफ0 लेखा पर्ची निर्गत।

3-महाप्रबन्धक (सिविल) पारेषण के अधिष्ठान एवं परिचालकीय वर्ग की वर्ष 2001-02 की जी0 पी0 एफ0 पर्चियां उप-मुख्यलेखाधिकारी (पा0 म0) लखनऊ कार्यालय से जारी कर दी गई हैं।

यू0 पी0 पावर कारपोरेशन लि0 के अन्तर्गत विद्युत चोरी विषयक प्राप्त पत्र की जांच

33-श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि यू0पी0 पावर कारपोरेशन लि0 के अन्तर्गत मा0 ब्रजभूषण सिंह कुशवाहा एम0एल0सी0 का पत्र दिनांक 27-7-2002 जो मुख्य सचिव एवं अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशक, यू0 पी0 पावर कारपोरेशन लि0 को सम्बोधित है और जिसमें अरबों रुपये की विद्युत चोरी से सम्बन्धित मा0 मुख्य मंत्री को सम्बोधित तत्कालीन राज्य मंत्री (ऊर्जा) श्री रंगनाथ मिश्र के पत्र दिनांक 1-6-98 को गायब करने की सी0बी0आई0 जांच कराने सम्बन्धी है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

मा0 ब्रजभूषण सिंह कुशवाहा एम0 एल0 सी0 के पत्र दिनांक 27-7-2002 तथा तत्कालीन राज्य मंत्री (ऊर्जा) श्री रंगनाथ मिश्र के पत्र दिनांक 1-6-98 की प्रति उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 से प्राप्त हो गयी है।

प्रकरण परीक्षणाधीन है।

यू0 पी0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं उ0 प्र0 जल विद्युत निगम लि0 में भ्रष्टाचार निवारण संगठन की जांच पर कृत कार्यवाही

34-श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि यू0पी0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं उ0 प्र0 जल विद्युत निगम लि0 के अन्तर्गत मा0 ब्रजभूषण सिंह कुशवाहा एम0एल0सी0 का पत्र दिनांक 27-1-03 जो मुख्य सचिव, उ0 प्र0 एवं अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, यू0 पी0 पावर कारपोरेशन लि0 को सम्बोधित है जिसमें भ्रष्टाचार निवारण संगठन की जांच संख्या-4185/लखनऊ/2001 में दोषी पाये लोगों की सी0बी0आई0 जांच से सम्बन्धित है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

भ्रष्टाचार निवारण संगठन की जांच आख्या सं0-4185/लखनऊ 2001 में की गयी संस्तुति के अनुसार संबंधित कर्मचारियों श्री पी0 एन0 तिवारी, कार्यालय सहायक, वर्ग द्वितीय को निन्दा प्रविष्टि एवं श्री नन्द लाल जायसवाल को कड़ी चेतावनी दी गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के पावर कारपोरेशन/जल विद्युत एवं विद्युत उत्पादन निगम लि0 के अधिकारियों/कर्मचारियों की स्थानान्तरण नीति

35-श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/ उ0 प्र0 जल विद्युत निगम लि0/उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 में अधिकारियों/कर्मचारियों की कोई स्थानान्तरण नीति निर्धारित की गयी है ? यदि हां, तो वह क्या है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि मार्च, 2001 से दिसम्बर, 2003 के मध्य यू0 पी0 पावर कारपोरेशन लि0 के कितने अधिशासी अभियन्ता/उप महाप्रबन्धक एवं महाप्रबन्धक/मुख्य महाप्रबन्धक स्तर के अधिकारियों के स्थानान्तरण किये गये हैं ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि किये गये स्थानान्तरण में से कितने स्थानान्तरण शिकायतों के आधार पर किये गये हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां। उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड में स्थानान्तरण नीति निर्धारित की गई है।

स्थानान्तरण नीति की प्रति संलग्न है।*

मार्च, 2001 से दिसम्बर, 2003 के मध्य यू0 पी0 पावर कारपोरेशन लि0 में निम्नांकित अधिकारियों के सम्मुख अंकित संख्या में प्रोन्नति/सामान्य स्थानान्तरण किये गये है :-

मुख्य महाप्रबन्धक	29
महाप्रबन्धक	109
उप महाप्रबन्धक	360
अधिशासी अभियन्ता	1066

उपरोक्त स्थानान्तरण शिकायतों के आधार पर न होकर कारपोरेशन की स्थानान्तरण नीति अथवा प्रशासनिक आधार पर किये गये हैं।

जनपद जौनपुर के 132 के0 वी0 विद्युत केन्द्र की आवासीय कालोनी में निर्मित शिरोपरि जलाशय के नये पम्प एवं बल्बों की व्यवस्था विषयक प्राप्त पत्रों पर कार्यवाही की मांग

36-श्री राधेश्याम जायसवाल-

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 132 के0वी0 विद्युत केन्द्र की आवासीय कालोनी में निर्मित शिरोपरि जलाशय के अनुरक्षण, नये पम्प मोटर की व्यवस्था, बल्बों की व्यवस्था के सम्बन्ध में उ0 प्र0 विद्युत मजदूर संघ का पत्रांक 733/दिनांक 11-7-2002 उप खण्डाधिकारी, विद्युत निर्माण उप खण्ड जौनपुर व उप महाप्रबन्धक, विद्युत निर्माण मण्डल, इलाहाबाद तथा पत्रांक 727/9-7-2002 व पत्रांक 348/दिनांक 16-3-2002 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड

---

* छापी नहीं गयी।

द्वितीय जौनपुर, उप महाप्रबन्धक, विद्युत वितरण मण्डल जौनपुर तथा अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 लखनऊ को एवं भारतीय मजदूर संघ जौनपुर का पत्रांक 730/दिनांक 10-7-2002 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत जनपद निर्माण खण्ड इलाहाबाद व उप महाप्रबन्धक, विद्युत वितरण मण्डल, जौनपुर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

आवासों में टोटियां इत्यादि की मरम्मत का कार्य पूर्ण करा दिया गया है। द्वितीय एवं तृतीय मंजिल के आवासों में जलापूर्ति हेतु नलकूप बोरिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है। सबमर्सिबिल पम्प का कार्य किया जा रहा है जिसके अगले एक सप्ताह में पूर्ण होने की आशा है एवं जिसके पूर्ण होने के पश्चात् शिरोपरि जलाशय की टंकी पूर्णतया भर सकेगी। शिरोपरि जलाशय के लिये आवश्यक वाल्वों का अनुरक्षण कार्य पूर्ण कराया जा चुका है।

उपखण्ड अधिकारी (जनपद) की जौनपुर में नियमित तैनाती हो चुकी है।

जनपद वाराणसी में विद्युत कटौती की अवधि कम करने की मांग

37-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि वाराणसी [illegible] धार्मिक, पौराणिक तथा पर्यटन महत्व की दृष्टि से पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा विद्युत कटौती से मुक्त रखा गया था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि वर्तमान समय में वहां पर विद्युत कटौती की जा रही है ? क्या सरकार उक्त कटौती की अवधि को कम करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

वाराणसी नगर के महत्व को देखते हुये विशेष आयोजनों हेतु समय-समय पर विद्युत की कटौती से मुक्त रखा जाता रहा है।

जी हां। प्रतिदिन चार घन्टे। (9.00 बजे से 13.00 बजे तक)

जी नहीं।

प्रदेश में विद्युत की मांग विद्युत उपलब्धता से अधिक होने के कारण विद्युत आपूर्ति एक रोस्टर के आधार पर किया जा रहा है, तथा कटौती लगभग सभी नगरों में करना पड़ रहा है। उसमें वाराणसी भी सम्मिलित है।

38-श्रीमती विमला राकेश-

[दूसरे मंगल के अता0 प्र0 सं0-57 के अन्तर्गत [illegible]]

उ0 प्र0 पिछड़ा वर्ग आयोग में दर्ज उत्पीड़न [illegible] निस्तारण

39-श्रीमती विमला राकेश-

क्या पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 पिछड़ा वर्ग आयोग में 1 जनवरी, 2002 से 1 जुलाई, 2003 तक पिछड़े वर्ग के उत्पीड़न के कितने मामले प्राप्त हुए हैं ? आयोग द्वारा कितने मामले पर कार्यवाही की गयी है ? कितने मामले अवशेष हैं ? अवशेष मामलो को कब तक निस्तारित कर दिया जायेगा ?

पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री महबूब अली)-

1 जनवरी, 2002 से 1 जुलाई, 2003 तक पिछड़े वर्ग के उत्पीड़न के 3024 मामले प्राप्त हुये हैं। आयोग को प्राप्त समस्त 3024 मामलों पर आयोग द्वारा कार्यवाही की गई है और 2261 मामले आयोग द्वारा निस्तारित किये जा चुके हैं। 763 मामले अवशेष हैं।

आयोग द्वारा सुनवाई के माध्यम से शिकायतों का निस्तारण निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार तथा प्राकृतिक न्याय व सिद्धान्तों के अनुरूप किया जाता है। इस कारण अवशेष शिकायतों के निस्तारण हेतु समय सीमा नियत किया जाना सम्भव नहीं है।

जनपद सुल्तानपुर के अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड द्वारा पारेषण खण्ड का आवास आवंटित करने विषयक प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही

40-श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि मा0 ब्रजभूषण सिंह कुशवाहा, तत्कालीन एम0एल0सी0 का पत्र दिनांक 12-3-2003 जोकि अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 पावर कार्पोरेशन लि0 को सम्बोधित है, जिसमें अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड सुल्तानपुर द्वारा पारेषण खण्ड का आवास आवंटित करने विषयक है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

प्रश्नगत पत्र में वर्णित बिन्दुओं/तथाकथित आरोपों की जांच महाप्रबन्धक (वितरण), फैजाबाद क्षेत्र से करायी जा रही है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

उ0 प्र0 जल विद्युत निगम लि0 के महाप्रबन्धक (का0 प्र0) के विरुद्ध वित्तीय अनियमितताओं की जांच

41-श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया-

क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि उ0 प्र0 जल विद्युत निगम लि0 के अन्तर्गत महाप्रबन्धक (का0 प्र0) द्वारा लगातार वित्तीय अनियमितताएं किये जाने के सम्बन्ध में मा0 ब्रजभूषण सिंह कुशवाहा, एम0एल0सी0 का पत्र दिनांक 20-9-02 जोकि मुख्य मंत्री/मुख्य सचिव एवं प्रमुख सचिव (ऊर्जा) को सम्बोधित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

उ0 प्र0 जल विद्युत निगम लि0 की आख्यानुसार प्रश्नगत प्रकरण में श्री एम0 बी0 पवार, महाप्रबन्धक (का0 प्र0 सेवानिवृत्त) पर उन्हें आवंटित वाहन के व्यक्तिगत लोडा (स्थानीय बहिर्गमन भत्ता) प्राप्त करने तथा नियमानुसार निर्धारित राशि नहीं जमा करने के संबंध में लगाये गये आरोप निराधार पाये गये।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक भावलखेड़ा में ग्रामों का विद्युतीकरण

42-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 में शाहजहांपुर जनपद के ब्लाक भावलखेड़ा में किस-किस ग्राम का विद्युतीकरण किया गया तथा कितने ग्रामों का विद्युतीकरण अपूर्ण है ? इसका क्या कारण है ? क्या मंत्री जी उक्त ग्रामों में विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद शाहजहांपुर के सरकारी अस्पतालों में दवाइयों के मद में आवंटित धनराशि

43-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अस्पतालों (सरकारी) में मरीजों के पर्चे का शुल्क एक रुपया करने के बाद दवाइयों को दिये जाने वाले अनुदान में कितनी वृद्धि की गई ? क्या स्वास्थ्य मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि शाहजहांपुर के जिला अस्पताल को पिछले तीन वर्षों में दवा के मद में कितनी-कितनी धनराशि दी गयी ? क्या सरकार बढ़ती हुई आबादी को देखते हुये दवाई अनुदान में वृद्धि करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

20-20 करोड़ रुपया शहरी व ग्रामीण चिकित्सालयों के लिये वृद्धि की गई है।

पिछले तीन वर्षों में जिला अस्पताल शाहजहांपुर को दवा के मद में दी गई धनराशि का विवरण निम्न प्रकार है :-

वर्ष	आवंटित धनराशि
2000-2001	13,25,200
2001-2002	11,16,000
2002-2003	11,13,000

वित्तीय वर्ष 2003-2004 में अतिरिक्त अनुदान की वृद्धि कर दी गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के अल्लागंज के अनुसूचित जाति बालक छात्रावास में विद्युत कनेक्शन की मांग

44-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के अल्लागंज में स्थित अनुसूचित जाति बालक छात्रावास में विद्युत कनेक्शन दे दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त छात्रावास में विद्युत कनेक्शन कब तक दे दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं।

भण्डार से सामान न मिलने के कारण।

28 फरवरी, 2004 तक।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

45-श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल-

[दूसरे मंगल के अता0 प्र0 सं0-55 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

46-श्री रविन्द्र पुण्डीर-

[दूसरे मंगल के अता0 प्र0 सं0-58 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद सीतापुर के अपर जिला विकास अधिकारी श्री विनोद कुमार सिंह के विरुद्ध वित्तीय अनियमितता विषयक-पत्र

47-श्री रविन्द्र पुण्डीर-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्व विधायक मा0 मोहर सिंह का पत्र दिनांक 23-12-03 जो विनोद कुमार सिंह अपर जिला विकास अधिकारी, सीतापुर के विरुद्ध वित्तीय अनियमितताओं के सम्बन्ध में था, आयुक्त समाज कल्याण को 01-01-2004 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अब तक उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद-

जी हां।

उक्त शिकायती पत्र में उल्लिखित शिकायतों की जांच, उप निदेशक, समाज कल्याण, लखनऊ मण्डल, लखनऊ से करायी गयी। जांचोपरान्त शिकायतें निराधार पायी गयी हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश सचिवालय परिसर में यूनानी चिकित्सक को बैठने के आदेश

48-श्री अयोध्या प्रसाद पाल तथा सेठ किशन लाल बघेल-

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश सचिवालय परिसर में यूनानी के डाक्टर केवल सप्ताह में एक ही दिन सचिवालय में बैठने के कारण मरीजों को अत्यन्त असुविधा का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार यूनानी पद्धति के डाक्टर द्वारा सचिवालय में प्रतिदिन मरीजों को देखे जाने की व्यवस्था किये जाने की व्यवस्था किये जाने हेतु आदेश जारी करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां। मरीजों की असुविधा के दृष्टिगत सप्ताह में केवल एक दिन के स्थान पर तीन दिन (बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार) यूनानी चिकत्सक को सचिवालय परिसर में बैठने के आदेश निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें लखनऊ को शासनादेश सं0-4339/71-2-2003 238/2000, दिनांक 12-11-2003 निर्गत किये जा चुके हैं।

जी नहीं।

यूनानी चिकित्सालय स्थापित न होने के कारण प्रतिदिन व्यवस्था नहीं की जा सकती है।

49-श्री सुखदेव राजभर-

[दूसरे सोमवार के अता0 प्र0 सं0-72 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद वाराणसी के विकास खण्ड शहाबगंज के विद्युत सब स्टेशन का निर्माण

50-श्री शिव तपस्या पासवान-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद वाराणसी के विकास खण्ड शहाबगंज में विगत 4 वर्षों से विद्युत सब स्टेशन का निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है ? यदि हां, तो उक्त विद्युत सब-स्टेशन का निर्माण कार्य कब तक पूरा करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

उपकेन्द्र का निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा 30 जून, 2004 तक पूरा कराने का प्रयास किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़, विधान सभा पट्टी हेतु प्रस्तावित 5 ग्रामों के विद्युतीकरण कराने की मांग

51-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके आदेश सं0-सी0एम0/वि0को0/एम-923254/03 दिनांक 23-12-03 जो विधान सभा पट्टी, प्रतापगढ़ के लिये प्रस्तावानुसार 5 अतिरिक्त ग्रामों के विद्युतीकरण किये जाने विषयक आदेश प्रबन्ध निदेशक पावर कारपोरेशन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं।

मा0 मुख्य मंत्री जी के कार्यालय से संदर्भ संख्या : 92325/2003 दिनांक 24-12-2003 प्राप्त हुआ है जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि प्रस्तावानुसार 5 ग्रामों का विद्युतीकरण कराया जाय जो जनपद को दिये गये पांच ग्रामों के अतिरिक्त होंगे। पत्र में सूची उपलब्ध करा दिये जाने का उल्लेख है परन्तु वह अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

माननीय विधायकगण के पांच ग्रामों को विद्युतीकृत किये जाने का शासनादेश है। जनपद स्तर से सूची प्राप्त कर विद्युतीकरण की कार्यवाही किया जायेगा।

52-श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल-

[दूसरे सोमवार के अता0 प्र0 सं0-56 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें

उपाध्यक्ष-

मैं नियम 301 की सूचनाओं को ले रहा हूं।

आज दिनांक 11-2-2004 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 10 सूचनायें प्राप्त हुई। प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर निम्नलिखित 7 सूचनायें स्वीकार की गयी। पहली सूचना श्रीमती विद्या चौधरी की, दूसरी श्री जगदीश नारायण राय की, तीसरी श्री राजेश कुमार की, चौथी श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह "मोती सिंह" की, पांचवी श्री आर0 एस0 कुशवाहा

श्री, छठी श्री दुर्गा प्रसाद यादव की और सातवीं डा0 लक्ष्मी कान्त वाजपेयी की है। उक्त सभी माननीय सदस्य उपस्थित हैं। इसलिये सभी सूचनायें स्वीकार की गयीं और पढ़ी हुई मानी गयीं।

जनपद आजमगढ़ के मेंहनगर, में आश्रम पद्धति बालिका इन्टर कालेज खोलने के लिये धन आवंटित करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती विद्या चौधरी-

[मान्यवर, जनपद आजमगढ़ में भारतीय संस्कृति को विकसित करने के लिये नवयुवक छात्राओं को आश्रम पद्धति शिक्षा की नितान्त आवश्यकता है जिससे महिलाओं में सांस्कारिक शिक्षा का विकास हो सके और समाज का सांस्कारिक विकास हो। इसके लिये आपके माध्यम से विभागीय आश्रम पद्धति बालिका इन्टर कालेज की आवश्यकता है। इसके लिये जमीन प्रस्तावित है और इस्टीमेट भी बन चुका है। निर्माण कार्य के लिये धन की आवश्यकता है। अतः आपसे आग्रह है कि इस लोकमहत्व की अविलम्बनीय मांग को देखते हुये सदन में चर्चा कराने तथा आश्रम पद्धति बालिका इन्टर कालेज खोलने के लिये तत्काल धन आवंटित करने का आदेश प्रारित किया जाय।]

जनपद जौनपुर की कतिपय ग्राम सभाओं की खाली पड़ी जमीन पर हो रहे अवैध कब्जों को रोकने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जगदीश नारायण राय-

[मान्यवर, प्रदेश की ग्राम सभाओं की खाली पड़ी जमीन पर अवैध ढंग से कब्जे की शिकायतें प्राप्त होती है, प्रभावी कार्यवाही न होने के कारण प्रभावी व्यक्ति जमीन अपने कब्जे में कर लेते हैं। इसी क्रम में जनपद जौनपुर के गोरा बारी मार्ग, लिखरी, भेराडगान, खटोनिया, तहसील सदर तथा बाकराबाद में अवैध कब्जे हो रहे हैं। अतः इस लोक महत्व के प्रश्न पर माननीय राजस्व मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करते हुये उपरोक्त ग्रामों की सघन जांच कराने तथा अवैध कब्जा हटाने की मांग करता हूं।]

लखीमपुर खीरी के पैला क्षेत्रान्तर्गत कैमा बुजुर्ग से ग्राम पैला तक पेटेंड रोड निर्मित कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजेश कुमार-

[मान्यवर, जनपद लखीमपुर खीरी में मेरे विधान सभा क्षेत्र 53 पैला के अन्तर्गत ग्राम पैला विकास खण्ड बेहजम के अन्तर्गत आता है इसी नाम से विधान सभा का नाम भी चलता है। कैमा बुजुर्ग से पैला तक क्षेत्रीय जनता को आवागमन में काफी कठिनाई उठानी पड़ती है जिससे जनता में काफी रोष व्याप्त है। अतः लोक महत्व के इस तात्कालिक प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुये उक्त कैमा बुजुर्ग से ग्राम पैला तक पेटेंड रोड का निर्माण कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी क्षेत्रान्तर्गत कतिपय 33/11 विद्युत उपकेन्द्रों का समुचित रख-रखाव किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह "मोती सिंह"–

[मान्यवर, प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के अन्तर्गत 33/11 विद्युत केन्द्र खण्डोली, पट्टी, मंगरोरा, आसपुर देवसरा जो बीस वर्ष पूर्व के बने हुए हैं के भवन अत्यन्त जर्जर हैं रख-रखाव अत्यन्त ही खराब है। चहारदीवारी सहित अन्य स्थायी निर्माण क्षतिग्रस्त हैं। उपभोक्ताओं को अपने

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

विद्युत बिल जमा करने के लिए किसी भी प्रकार के छायादार वृक्ष उपलब्ध नहीं हैं जिससे गर्मियों में लोग प्रायः बेहोश होकर गिर जाते हैं। उपकेन्द्र के स्थायी निर्माण के किसी भी समय गिर जाने की गम्भीर आशंका बनी हुई है जिसमें सरकारी कर्मचारियों के साथ-साथ जनता के लोग भी दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। उक्त के अतिरिक्त विद्युत उप केन्द्र सदहा, हरिपुर बरदयता, सार्ल्हीपुर कंजास, आमापुर, करैला नरहरपुर पर मानकों के अनुरूप अपेक्षित कर्मचारी भी तैनात नहीं किए गये हैं जिससे उसका भी संचालन ठीक ढ़ंग से नहीं हो पा रहा है, आए दिन विद्युत आपूर्ति बाधित होने से शान्ति व्यवस्था की स्थिति पैदा हो जाती है। विद्युत उपकेन्द्र पक्की चहारदीवारी के अभाव में सुरक्षित नहीं है। उपरोक्त के अतिरिक्त पट्टी विधान सभा क्षेत्र के कई दर्जन ग्रामों में पोल खड़े हैं। शेष कार्य अपूर्ण है। विद्युत आपूर्ति नहीं हो रही है। उपभोक्ताओं के द्वारा संघर्ष की चेतावनी की गई है। किसी भी समय कोई बड़ा हादसा होने से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

अतः लोक महत्व से इस अविलम्बनीय विषय जो जनहित से जुड़ा है पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए अपेक्षित कार्यवाही की मांग करता हूं।]

लखीमपुर खीरी के निघासन क्षेत्रान्तर्गत शारदा नदी पर पचपेड़वा घाट पुल एवं ग्राम-बैरीगढ़-सिंगाही मार्ग पर एक पुल निर्मित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री आर0 एस0 कुशवाहा-

[मान्यवर, जनपद-लखीमपुर खीरी तहसील निघासन में शारदा नदी पर पचपेड़वा घाट का बड़ा पुल शासन द्वारा निर्माण कराये जाने के लिए प्रस्तावित है। इस पुल के बनने से लखीमपुर से निघासन की दूरी 20 कि0मी0 कम हो जाती है। हजारों लोगों को आने-जाने का लाभ होगा एवं ग्राम खैरीगढ़ सिंगाही मार्ग पर एक पुल निर्माण की आवश्यकता है। नदी पर पुल न होने के कारण खैरीगढ़ व शीतलपुर सहित कई गांवों के लोग बरसात के समय पांच महीने तक केवल नाव द्वारा ही सिंघाही या लखीमपुर आ जा सकते हैं। लगभग 10 हजार लोग नदी के दूसरी तरफ रहते है। अतः इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित कराते हुए माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि राज्यांश से उपरोक्त पुल को बनवाने की कृपा करें।]

जनपद आजमगढ़ के जिला चिकित्सालय में कुत्ते के काटने पर लगने वाले इन्जेक्शन के अभाव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

[मान्यवर, उक्त लोक महत्व के विषय के संदर्भ में अवगत कराना है कि जनपद आजमगढ़ के जिला चिकित्सालय में कुत्ता काटने पर लगने वाले इन्जेक्शन का अभाव चल रहा है। विगत तीन माह से उक्त दवा उपलब्ध नहीं है। लोग दवा के अभाव में मर रहे हैं। परन्तु वहां अभी तक उक्त दवा उपलब्ध नहीं करायी गयी है। जनपद आजमगढ़ जनसंख्या की दृष्टि से काफी बड़ा है। प्रायः किसी न किसी को कुत्ते काटते रहते हैं जिससे गरीब ग्रामीण जनता परेशान रहती है। बाजार में उपलब्ध दवा काफी महंगी होती है, जो गरीब जनता खरीद नहीं सकती। इसके अभाव में जनता परेशान हो रही है। कुछ तो पागल हो जाते हैं, परन्तु असहाय जनता की कोई सुनने वाला नहीं है। जनता का प्रतिनिधि होने के कारण उक्त लोक महत्व के विषय की सदन के समक्ष रखना हमारा दायित्व बनता है। अतः

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

माननीय अध्यक्ष से सादर निवेदन है कि इस लोक महत्व के विषय की तरफ सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए सम्बन्धित विभाग में उक्त दवा का जनपद चिकित्सालय आजमगढ़ में उपलब्ध कराने का आदेश देने का कष्ट करें।]

मेरठ महानगर में विद्युत वितरण कम्पनी के गठन के बाद विकेन्द्रित व्यवस्थान्तर्गत कतिपय कार्य प्राथमिकता के आधार पर कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

[मान्यवर, मेरठ महानगर में विद्युत वितरण कं0 के गठन के बाद विकेन्द्रित व्यवस्था के निम्नांकित कार्य प्राथमिकता करना बेहतर विद्युत आपूर्ति के लिए अत्यन्त आवश्यक है।

1-मेडिकल सब-स्टेशन से मोहनपुरी तक पृथक 33 के0 वी0 लाइन क्योंकि मोदीपुरम् से आपूर्ति ठप्प होने की स्थिति में मेडिकल से आपूर्ति दी जा सकती है।

2-शताब्दी नगर से घंटाघर तक 33 के0वी0 लाइन 3-33 के0वी0 सब स्टेशन 1X5 एम0वी0ए0 इन्डाचौक पर स्थापित 4-33 के0वी0 सब स्टेशन 1×5 एम0वी0ए0 तहसील कोतवाली पर स्थापित। 5-33 के0वी0 सब स्टेशन 1×5 एम0वी0ए0 डफरिन अस्पताल पर स्थापित। मेरठ महानगर में बस स्टाप सुधार या विद्युत आपूर्ति सुदृढ़ीकरण हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना (एन0सी0आर0) से तत्काल करने हेतु प्रबन्ध निदेशक विद्युत वितरण कं0 मेरठ को त्वरित/प्राथमिकता पर औपचारिकता पूर्ण कर कार्य करने का निर्देश दिया जाना जनहित में आवश्यक हैं। क्योंकि रेस्को व्यवस्था समाप्त हो जाने के कारण यह अधिकार उनमें निहित है। इसके साथ ही ग्रा0 विधायकों के 5 ग्रामों के विद्युतीकरण योजना की एवज में शत प्रतिशत शहरी विधायकों के क्षेत्र में 15 लाख रुपये के विद्युत सुदृढ़ीकरण के कार्य कराए जाने की व्यवस्था का निर्देश भी प्रबन्ध निदेशक विद्युत वितरण कं0 मेरठ को दिया जाना शहरी विधायकों को उनका कार्य कराए जाने हेतु जनहित में आवश्यक है।

मैं अविलम्बनीय लोकमहत्व के इस प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर तत्काल परिणाम मूलक कार्यवाही की मांग करता हूं।]

अविलम्बनीय लोक महत्व विषयक दी गयी सूचनाओं पर सरकार के वक्तव्य के समय विभागीय मंत्रियों के सदन में उपस्थित न रहने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री उपाध्यक्ष-

आज दिनांक 11-2-2004 को नियम-300 के अन्तर्गत कुल 4 सूचनायें प्राप्त हुयीं। पहली सूचना श्री सुखदेव राजभर की है।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, इस सदन के संचालन में नियमावली और संविधान के अनुच्छेदों और समय-समय पर जो कुछ सदन में संचालन के लिये आपके आदेश-निर्देश होते हैं, उसके आधार पर यह सदन चलता है। सदन की कुछ परम्परायें हैं, उन परम्पराओं के आधार पर आप सदन का संचालन करते हैं। हम सभी सदस्यगण, चाहे सत्ता पक्ष के हों, चाहे विपक्ष के हों, उन परम्पराओं का पालन करते हैं। लेकिन इधर आये दिन देखने को मिल रहा है जो हमारे माननीय सदस्यगण सूचनाओं के माध्यम से, प्रश्नों के माध्यम से सरकार से कुछ स्पष्टीकरण अथवा जानकारियां चाहते हैं, जिसका नियमावली के तहत हमको अधिकार है, परम्पराओं के अनुसार अधिकार है। लेकिन मान्यवर, आये दिन देखा जा रहा

और आज भी ऐसी घटना हुई, जब माननीय अध्यक्ष जी दुखी होकर चले गये। जब सदन चल रहा था, एक माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे थे, बीच में कुछ लोग खड़े हो गये, ऐसा लगा माननीय अध्यक्ष जी और माननीय मंत्री जी के बीच कोई अवरोध खड़ा हो गया, तब माननीय अध्यक्ष जी दुखी होकर सदन से चले गये। जब सदन की कोई गरिमा नहीं रहेगी तो हम कैसे सदन में बैठेंगे। इसलिये कहीं न कहीं यह संदेश अवश्य जा रहा है कि यहां गम्भीरता नहीं है। मैं बड़े अदब से निवेदन करना चाहता हूं कि विभिन्न तरह के सदन में वक्तव्य आते हैं, प्रश्न आते हैं, नियम-51 के अन्तर्गत हम लोग स्पष्टीकरण चाहते हैं, उसका उत्तर संबंधित मंत्रीगण के द्वारा आना चाहिये लेकिन आज देखने को मिलता है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री के ऊपर इतना बोझ है और उसके बावजूद कोई भी मंत्री जवाब देने के लिये मौजूद नहीं रहते हैं। ऐसी परिस्थिति में माननीय संसदीय कार्य मंत्री, जितना उनके पास जानकारी होती है, उसके हिसाब से हम लोगों को उत्तर देते हैं जबकि सदन में प्रत्येक प्रश्न का स्पेशफिक और स्पष्ट उत्तर आना चाहिये। ताकि प्रदेश में एक मैसेज जाये और जनता इसके बारे में जाने। मान्यवर, आप परम्पराओं का पालन करने वाले विद्वान उपाध्यक्ष हैं। आज आप मेरे औचित्य के प्रश्न पर यह व्यवस्था अवश्य दें कि जिन मंत्रियों के प्रश्न हो, वक्तव्य हों, वह सदन में अवश्य उपस्थित रहें और सभी प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर आना चाहिये। आप इसके लिये निश्चित तौर पर सरकार को निर्देश दें अन्यथा यह नियमावली और संविधान के अनुच्छेदों की अवहेलना होगी और सदन की गरिमा कायम नहीं रहेगी। इसलिये भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति न हो। आप उदार दृष्टि से सदन में इस सरकार को निर्देशित करें। आपको पूरा अधिकार है, सदन में हमको उठाने का, बैठाने का, इसलिये मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप इस औचित्य प्रश्न पर व्यवस्था देने की कृपा करें।

* संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

मान्यवर, माननीय सदस्य राजभर जी ने प्रश्न भी गम्भीर उठाया और अपनी चिन्ता भी व्यक्त की है, मैं अपने आपको उससे सम्बद्ध करता हूं। लेकिन इसी सदन में हमने भी बहुत कुछ देखा है। हमें खुद भी आज बुरा लगा, मैंने खुद भी संज्ञान लिया और दुख भी व्यक्त किया। आज गिरावट आई है, लेकिन इस गिरावट के लिये बहुत से लोग जिम्मेदार हैं। गुजरे हुये दिन भी जिम्मेदार हैं। ऐसी हालत देखी गई, जब लोकतांत्रिक परम्पराओं का हनन ही नहीं हुआ, बल्कि हत्या भी हुई है और जो कार्य 15-16 महीने पहले लोकतंत्र के हक में हो जाना चाहिये था, वह काफी देर से हुआ है, इस सदन में इस हद तक हुआ है। मुझे खुशी है कि ऐसा चाहते हैं लेकिन सदस्य, बहुजन समाज पार्टी अपने नेता के आचरण पर भी थोड़ा सा नजर डालें। जिस तरह का उनका आचरण होता है, हम उनसे सीखेंगे, यहां सदन के नये आये हुए सदस्य अपने नेताओं से ही सीखेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो वरिष्ठ सदस्य हैं, दलों के नेता हैं, वह भी नये सदस्यों को [illegible] का मौका दें और मैं अवश्य ही चाहूंगा कि सदन का माहौल अच्छा रहे।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, जो वर्तमान में सदन के सदस्य नहीं हैं उसकी मिसाल दे करके संसदीय कार्य-मंत्री जी जो गम्भीर प्रश्न उठाया गया है उसको हवा में उड़ा देना चाहते हैं। यही कारण है कि खेद प्रकट करने के बाद भी सत्ता पक्ष का कोई सदस्य अनुशासन में नहीं रहा और अध्यक्ष जी को उठ करके

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जाना पड़ा। इसको गम्भीरता से लेना चाहिए और इसे संयमित करना चाहिए। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस पर आप निर्देश दे दें।

श्री उपाध्यक्ष-

नियम-300 के अन्तर्गत श्री सुखदेव राजभर और संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के बाद मैं यह व्यवस्था देता हूं कि यद्यपि मंत्रिमण्डल का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है फिर भी उचित होगा कि विभागीय मंत्रीगण प्रश्न-उत्तर के समय सदन में उपस्थित रहें।

दिनांक 10-2-2004 को नियम-51 के अन्तर्गत दिये गये मुख्य मंत्री के वक्तव्य में प्रत्येक विधायक के ग्रामीण क्षेत्र के 5 ग्रामों के विद्युतीकरण किये जाने के आदेश से शहरी-क्षेत्रों के विधायकों के वंचित रह जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री श्याम देव राय चौधरी-

मान्यवर, यह सर्वविदित है कि आज के इस युग में विद्युत का अपना एक अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है और इसको वर्तमान मुख्य मंत्री जी ने भी अनुभव किया है और विद्युत व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में उन्होंने प्राथमिकता प्रदान की है और आज उन्होंने अपने बजट भाषण में इसकी चर्चा भी की है, जो स्वागत योग्य है। लेकिन मैं आपका ध्यान इस ओर भी आकृष्ट करना चाहता हूं कि पूर्ववर्ती सरकारों के कार्यकाल में यह व्यवस्था रही है कि जहां ग्रामीण अंचलों के पांच ग्रामों को विद्युतीकरण करने की संस्तुति वहां के माननीय विधायक करते थे उसको किया जाता रहा है। वहीं पर शहर के भी जो माननीय विधायक हैं उसको भी अपने क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति को सुदृढ़ करने की दिशा में अवसर दिया जाता रहा है और वह समतुल्य राशि में दिया जाता रहा है। कल एक विधायक के नियम-51 के प्रश्न के उत्तर में माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि माननीय विधायक द्वारा संस्तुत पांच अविद्युतीकरण ग्रामों को जिलाधिकारी द्वारा संस्तुत किये जाने पर विद्युतीकरण की कार्यवाही तुरन्त प्रारम्भ कर दी जायेगी। शहरी माननीय विधायकगण जिनके विधान सभा क्षेत्र में अविद्युतीकृत ग्राम आते हैं, उनके ग्राम भी उपरोक्त योजना के अन्तर्गत कराये जायेंगे। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी ने कहा कि उनकी नजर में शहर और गांवों में कोई भेद नहीं है। तो यह जो भेद है कि जो विधायक हैं उनकी संस्तुति पर पांच ग्रामों का विद्युतीकरण किया जायेगा और उसमें नगरीय विधायकों को वंचित किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा कि इस पर पुनर्विचार कर लें और इस भेद को मिटा करके शहरी विधायकों की संस्तुति पर भी उनके क्षेत्र में भी विद्युत आपूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ करने की व्यवस्था करें।

खाद्य एवं रसद मंत्री (डा0 अशोक बाजपेयी)-

मान्यवर, प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में काफी ऐसे गांव हैं जिनका विद्युतीकरण नहीं हो सका है और सदन की मंशा रही है कि प्रदेश का कोई क्षेत्र विद्युत से अधूरा न रहे, विद्युत का अभाव न रहे और सदन की प्राथमिकता रही है कि जिन गांवों का विद्युतीकरण नहीं हुआ है उसका प्राथमिकता के आधार पर विद्युतीकरण किया जाय।

यह लोक कल्याणकारी सरकार है इस सरकार का संकल्प भी है कि 5 वर्ष के अन्दर पूरे प्रदेश को बिजली से आच्छादित कर देंगे। कोई भी गांव ऐसा नहीं रहेगा जो विद्युतीकरण न रह सके। इसी दृष्टि से माननीय विधायकों को पांच-पांच गांव अपने विधान सभा क्षेत्र में चयन करने का अधिकार दिया गया है ताकि उन चयनित गांवों को प्राथमिकता के आधार पर विद्युतीकरण किया जा सके। शहरी क्षेत्र में विद्युतीकृत योजना का विस्तार और उच्चीकरण के लिए निरन्तर कार्य होता रहता

है। विद्युत व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए हमारी सरकार प्रयत्नशील है इसलिए शहरों के साथ कहीं पर भी उपेक्षा या सौतेलापन नहीं बरता जा रहा है। माननीय विधायक यदि शहरी क्षेत्र के हैं और उनके क्षेत्र में कुछ गांव आते हैं और यदि वह लिखकर देते हैं तो उस पर विचार कर लिया जाता है।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

मान्यवर, शहरी क्षेत्र के विधायकों को बहुत कष्ट हो रहा है। उसके साथ भेदभाव हो रहा है। मैं उल्लेख अवश्य चाहूंगा माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी जहां पूर्ववर्ती सरकारों की कमियां उजागर करने से नहीं चूकते वहीं यह उदाहरण भी है कि पूर्ववर्ती सरकार ने 15 लाख रुपये प्रतिवर्ष प्रत्येक शहरी क्षेत्र के विधायकों को दिये थे।.....

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

मान्यवर, माननीय सदस्य उस सरकार में मंत्री थे, मैं मा0 सदस्य को जानकारी देना चाहूंगा कि वह व्यवस्था समाप्त भी आपने की थी।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, 1999-2000 से यह सुविधा प्राप्त थी। मात्र 19 शहरी विधायक हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में नहीं आते। उनको 15 लाख रुपया इलेक्ट्रिक सिस्टम इम्प्रूवमेण्ट के लिए मिलता था और पिछले सत्र तक मिला है।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

वह व्यवस्था आपने ही समाप्त की थी। आपकी समाप्त की हुई व्यवस्था को शुरू करने के लिए सोचना पड़ेगा।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

माननीय उपाध्यक्ष जी, विधायक-विधायक में अन्तर कर दिया गया है। जो कमी है उसको दूर किया जाना चाहिए। सरकार कृपा करके उस कमी को दूर करें और विधायक-विधायक में भेदभाव नहीं होना चाहिए।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, जो हुआ है वह निन्दनीय है लेकिन यह आपकी ही सरकार ने किया था जिसमें आप दोनों भी मंत्री थे।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

संसदीय कार्य मंत्री जी आप समानता और समरसता की बात कर रहे हैं तो कम से कम इसको देखना चाहिए।

डा0 अशोक बाजपेयी-

मान्यवर, पूर्ववर्ती सरकारों का गांवों के साथ बड़ा उपेक्षापूर्ण व्यवहार रहा जिससे गांवों का विद्युतीकरण नहीं हो सका। जब से यह सरकार आयी है उसने संकल्प लिया है और जो गांव अभी तक विद्युत से आच्छादित नहीं हुये हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर आच्छादित करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि प्रत्येक गांव में बिजली के खम्भे लग सकें, लाईनें जा सकें। जहां तक शहरी विधायकों की बात है तो अगर आपको इतनी चिन्ता थी जो आपने उस व्यवस्था को समाप्त क्यों किया था ? आपको तो इस सरकार को बधाई देना चाहिए कि हमारी सरकार ने संकल्प लिया है कि 5 वर्ष में पूरे प्रदेश को विद्युतीकृत कर देंगे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री उपाध्यक्ष-

इस सूचना पर श्री श्यामदेव राय चौधरी व माननीय संसदीय कार्यमंत्री को सुना। यह सूचना नियम-300 के अन्तर्गत नहीं आती है, अतः इसे अग्राह्य किया जाता है।

दिनांक 22-5-2002 को चिकित्सा शिक्षा विभाग से सम्बन्धित नियम-51 के अन्तर्गत दिये गये वक्तव्य में निहित आश्वासन की पूर्ति न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैंने आज नियम-300 की जो सूचना दी है वह दिनांक 22-5-2002 को नियम-51 में चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित सूचना देकर भारतीय चिकित्सा परिषद् की पंजीकृत सूची को अद्यावधिक करने का आग्रह किया था। जो चिकित्सक चिकित्सा परिषद् के अन्तर्गत 1940 से पंजीकृत हैं उनमें तमाम चिकित्साकों की मृत्यु हो चुकी है लेकिन पंजीकरण की सूची में वह बराबर चल रहे हैं। इसी सूची के आधार पर भारतीय चिकित्सा परिषद् केन्द्रीय समिति का निर्वाचन होता है। उत्तर प्रदेश से अभी तक चुनाव न होने से हमारे प्रदेश का प्रतिनिधित्व वहां नहीं है। प्रदेश के हितों का नुकसान हो रहा है। साथ ही रजिस्ट्रेशन जीवन में एक बार करने के स्थान पर प्रत्येक 5 वर्ष में नवीनीकरण करना उपयुक्त होगा। इकतीस लाख निन्यान्बे हजार रुपये का डाक टिकट आयुर्वेद निदेशालय में रखा है। लेकिन सूची तैयार नहीं है, सूची हर वक्त अपडेट रहनी चाहिए और वन-टाइम पंजीकरण के बजाय 5 वर्ष में नवीनीकरण किया जाना चाहिए।.....

दूसरा विषय यह मैंने उठाया था कि जो मिश्रित चिकित्सा प्रणाली के स्नातक हैं उनके चिकित्साधिकारी के रूप में कार्य करने के संबंध में 1950,1951 तथा 1963 में जो शासनादेश हुये हैं उनका नवीनीकरण किया जाय। सरकार ने इस संबंध में आश्वासन दिया था उसके अनुसार नवीनीकरण किया जाय। यह सदन प्रदेश की बड़ी पंचायत है और यहां पर प्रदेश की जनता के संबंध में विषय उठाये जाते हैं और सरकार की तरफ से सहमति आती है। मान्यवर, इस संबंध में 1 वर्ष 9 माह बीत गये हैं लेकिन चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा कार्यवाही न किये जाने के कारण उत्तर प्रदेश भारतीय चिकित्सा परिषद् के सदस्य प्रदेश से नहीं जा रहे हैं। मान्यवर, अगर इस पर कार्यवाही नहीं हुयी तो फिर सदन की कार्यवाही का औचित्य क्या रह जायेगा ? मान्यवर, हो सकता है कि यह प्रत्यक्ष रूप से नियम-300 में न आती हो लेकिन यह जनता का विषय है, सदन में आया है इसलिये कृपा पूर्वक सरकार को इतना निर्देश दे दें कि सरकार ने नियम-51 की सूचना के उत्तर में जो कहा था उसके अनुसार शासनादेश जारी करा दें।

श्री उपाध्यक्ष-

डा0 बाजपेयी जी, आश्वासन की पूर्ति का कार्य आश्वासन समिति का है। इस प्रकरण में आश्वासन सं0-16/2002 समिति के विचारार्धीन है। अतः इस औचित्य के प्रश्न को अग्राह्य किया जाता है।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, अगर इसको आश्वासन की प्रक्रिया में डाल दिया गया तो एक पीढ़ी और लगेगी। मेरा नम्रतापूर्वक निवेदन है कि जो आश्वासन दिया गया था उस पर शासनादेश जारी करा दें।

इलाहाबाद होम्योपैथिक मेडिकाल कालेज की भूमि गलत तरीके से अन्य व्यक्तियों के नाम किये जाने विषयक नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

* श्री उदयभान करवरिया-

मान्यवर, 9-12-03 को इलाहाबाद होम्योपैथिक कालेज की जमीन को गलत तरीके से दूसरे लोगों के नाम कर दिये जाने के संबंध में मैंने सूचना दी थी और कतिपय भू-माफियाओं को इंगित करने के विषय में मैंने कहा था। यह सूचना वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई थी लेकिन वक्तव्य की तिथि टल गयी थी। यह वक्तव्य कल प्राप्त हुआ था।

मान्यवर, इस संबंध में जगजीत सिंह, सचिव ने नगर आयुक्त, इलाहाबाद को पत्र लिखा था और उसमें कहा था कि जिन अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अभिलेखों में गलत नाम अंकित किया गया है उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय और जांच कराकर विभगीय कार्यवाही की जाय तथा मुकदमा दर्ज कराया जाय। लेकिन आज तक मुकदमा दर्ज नहीं कराया गया है। मान्यवर, जो वक्तव्य प्राप्त हुआ है उसमें कहा गया है "जांच आख्या में उक्त कार्यवाही में नियमों का उल्लंघन होना एवं उप समिति संख्या-1 के सदस्यों को गलत आदेश के लिये उत्तरदायी बताया गया है और श्री आर0 सी0 श्रीवास्तव, प्रभारी अधिकारी, कर/उप नगर अधिकारी एवं जोनल अधिकारी श्री हरीश चन्द्रा सहायक नगर आयुक्त को दोषी पाया गया है। मान्यवर, 10 महीने बीत जाने के बाद भी दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत नहीं कराया गया है।

श्री उपाध्यक्ष-

दिनांक 10-2-04 को दिये गये वक्तव्य में आश्वासन निहित है तद्नुसार कार्यवाही की जायेगी। यह सूचना नियम-300 में नहीं आती है अतः अग्राह्य की जाती है।

उत्तर प्रदेश विनियोग (2003-2004 का अनुपूरक) विधेयक, 2004

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

माननीय उपाध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-153 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2003-2004 का अनुपूरक) विधेयक, 2004, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 10 फरवरी, 2004 को पारित किया गया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और दिनांक 10 फरवरी, 2004 को विधान परिषद् सचिवालय में प्राप्त हुआ था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 10 फरवरी, 2004 को वापस प्राप्त हो गया है।

उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की सरकारी आश्वासन समिति का 84वां (चौरासीवां) प्रतिवेदन[1]

श्री जगदीश नारायण राय-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की सरकारी आश्वासन समिति का 84वां (चौरासीवां) प्रतिवेदन जो गृह, सतर्कता, कारागार एवं राजनैतिक पेंशन, आवास तथा नगर विकास विभागों के वर्ष 1987 से वर्ष 2000 तक के आश्वासनों से सम्बन्धित है प्रस्तुत करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष-

इसमें कुछ नहीं है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[1] छापा नहीं गया।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम के निर्धारण का प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्यमंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 10-02-2004 की बैठक में सदन के दिनांक 11 फरवरी से 10 मार्च, 2004 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है :-

1. दिनांक 11 फरवरी, 2004

(1) उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के संगत नियमों को शिथिल करते हुये प्रश्नकाल वित्तीय वर्ष 2004-2005 के आय-व्ययक के प्रस्तुतीकरण की कार्यवाही के उपरान्त हो।

(2) श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा।

2. दिनांक 12 फरवरी, 2004

(1) श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा।

(2) उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (निरसन) विधेयक, 2004 पर विचार एवं उसका पारण।

3. दिनांक 13 फरवरी से 10 मार्च, 2004 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम यथावत् रखा जाय।

श्री उपाध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना आज श्री उपाध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है, सहमत है।

श्री उपाध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा सदन को दी गई है, सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

विधान सभा में दिनांक 21 अगस्त, 2002 को डा0 विनोद तिवारी द्वारा पूछे गये अता0 प्र0 सं0-26 के उत्तर के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही की सूचना

परिवार कल्याण मंत्री (श्री अहमद हसन)-

डा0 विनोद तिवारी, सदस्य, विधान सभा द्वारा द्वितीय सत्र के दूसरे बुधवार .....

श्री उपाध्यक्ष-

इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(संशोधित उत्तर पढ़ा हुआ माना गया।)

[को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-26 के उत्तर के सम्बन्ध में श्री घूरा राम, सदस्य, विधान सभा द्वारा उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश

(बारहवां संस्करण) के निदेश संख्या 165 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना, दिनांक 22 सितम्बर, 2002 के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही एवं संशोधित उत्तर

प्रश्न	पूर्व में दिया गया उत्तर	संशोधित उत्तर	प्रश्न के उत्तर के लिये गलत सूचना देने वाले दोषी पाये गये अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण
1	2	3	4
[क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि पी0 पी0 सेन्टर सण्डीला जनपद- हरदोई में वर्तमान समय में पैथालोजी सम्बन्धी दवायें एवं अन्य सामग्री उपलब्ध न होने के कारण मरीजों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ?	नहीं। पी0 पी0 सेन्टर सण्डीला जनपद हरदोई में पैथालोजी सम्बन्धी दवायें एवं अन्य सामग्री वर्तमान में आवश्यकता के अनुरूप उपलब्ध हैं।	पी0 पी0 सेन्टर सण्डीला में केवल लैबटेक्नीशियन का पद स्वीकृत नहीं है। अतः पैथालोजी संबंधी कुछ जांचों जैसे-मलमूत्र, रक्त के रूटीन जांच की ही सुविधा उपलब्ध है। चिकित्सकों द्वारा आवश्यकतानुसार कभी-कभी मरीजों को विशिष्ट प्रकार के पैथालोजिकल जांच कराने की भी सलाह दी जाती है। पैथालोजिस्ट का पद सृजित न होने के कारण इस प्रकार की विशिष्ट जांचों के लिये रसायन सामग्री उपलब्ध नहीं कराई जाती है, जिससे विशिष्ट जांचों के लिये कभी-कभी मरीजों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है।	प्रश्न के उत्तर के लिये त्रुटिपूर्ण सूचना देने के लिये दोषी डा0 के0 पी0 सिंह, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी पी0 पी0 सेन्टर सण्डीला हरदोई को प्रतिकूल प्रविष्टि प्रदान की गई है।
यदि हां, तो उक्त सेन्टर पर दवाइयां एवं अन्य सामग्री कब तक उपलब्ध करा दी जायेगी ?	वर्तमान समय में आवश्यकता के अनुरूप सेन्टर पर दवाइयां उपलब्ध हैं।	केवल सामान्य जांचों हेतु ही सामग्री आवश्यकता के अनुसार समय-समय पर उपलब्ध कराई जाती है, जो वर्तमान समय में भी उपलब्ध हैं।	
यदि नहीं, तो क्यों ?	प्रश्न नहीं उठता।	प्रश्न नहीं उठता।]	

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

विधान सभा में वन विभाग के वार्षिक अनुदानों पर दिनांक 19-8-2002 को तत्कालीन वन मंत्री द्वारा दिये गये भाषण में संशोधन हेतु श्रम एवं सेवायोजन मंत्री का शोधन वक्तव्य

श्रम मंत्री (श्री माता प्रसाद पाण्डेय)-

वित्तीय वर्ष 2002-2003 में वन विभाग के वार्षिक अनुदानों पर दिनांक 19 .....

श्री उपाध्यक्ष-

इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(शोधन वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

[19-8-2002 को हुई चर्चा में तत्कालीन वन मंत्री जी द्वारा सदन में बताया गया था कि "मान्यवर विश्व बैंक की सहायता से उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना मार्च, 1998 से आरम्भ की गयी है। इसके अन्तर्गत 271 करोड़ रुपया स्वीकृत किया गया परन्तु उत्तरांचल के गठन के बाद यह धनराशि घटकर 159-0 करोड़ रुपये रह गयी है। वर्ष 2002-2003 में इसके लिये 30 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है।"

2-उक्त कथन में त्रुटि हो गयी थी जिसका पता बाद में चला। सही कथन इस प्रकार है :-

मान्यवर, विश्व बैंक की सहायता से उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना मार्च, 1998 से आरम्भ की गयी है इसके अन्तर्गत 271 करोड़ रुपया स्वीकृत किया गया। परन्तु उत्तरांचल के गठन के बाद यह धनराशि घटकर 159.14 करोड़ रुपये रह गयी है। वर्ष 2002-2003 में इसके लिये 30 करोड़ 49 लाख 34 हजार रुपये का प्राविधान किया गया है।]

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष-

आज दिनांक 11 फरवरी, 2004 को नियम-56 के अन्तर्गत कुल 5 सूचनायें प्राप्त हुई जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनायें चयनित की गई। प्रथम दो सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जाएगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है। पहली सूचना डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की है।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मेरे क्षेत्र की एक गम्भीर घटना पर ग्राह्यता पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मेरे क्षेत्र में थाना दौराला जनपद मेरठ में पांच फरवरी, 2004 की सुबह 4.30 बजे एक ट्रक एक अखबार के हाकर बृजपाल को कुचलकर चला गया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इससे उत्तेजित होकर आस-पास गांव के लोग 7.00 बजे सड़क पर शव लेकर बैठ गये। 8.20 पर पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिये भेज देती है। इसी बीच आर0 ए0 एफ0 बटालियन 104 के कमाण्डेंट बृजमोहन की फ्लीट आती है वह लोगों के बीच से निकलने की कोशिश करती है जिससे उत्तेजित होकर लोगों द्वारा विरोध किया जाता है जिससे उस कमाण्डेंट द्वारा 25 चक्र गोली चलाई गई और यह बात एस0 एस0 पी0, मेरठ ने भी अपने वक्तव्य में दी है कि आर0 एफ0

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

के कमाण्डेन्ट के द्वारा गोली चलाई गई है जिला पुलिस के द्वारा नहीं चलाई गई है। वहां के सी0 ओ0 राजेन्द्र यादव ने गोली हाथ में लेकर दिखाई है कि यह आर0 एफ0 की गोली है, पुलिस की गोली नहीं है। गोली चलाने के बाद उनका बयान अखबार के चार कालम में छपा है कि हथियार हमको चलाने के लिये मिले हैं। मान्यवर, अगर किसी गरीब परिवार का कोई आदमी दुर्घटना में मर जाता है और 50-60 लोग उसके शव को रखकर जाम लगा रहे थे तो उनको समझा बुझाकर हटाने की कोशिश करनी चाहिए थी गोली चलाकर घी डालने का काम किया गया। कितने अफसोस की बात है कि जो लोग घायल हुए हैं उनमें एक मृतक का लड़का भी है जो अपने बाप के शव को जलाने के लिये गया था ? एक व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी में गोली लगी है जिससे कि हमेशा के लिये उसका निचला हिस्सा बेकार हो गया है और उसकी चिकित्सा अपोलो अस्पताल में चल रही है। पुलिस के द्वारा 509 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है कि यह भीड़ वहां पर गैर कानूनी काम, बलवा कर रही थी। आर0एफ0 के कमान्डेन्ट की तरफ से मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है लेकिन मृतक के परिवार या जनता की तरफ से कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। जब एक व्यक्ति मर जाता है और 6 व्यक्ति घायल हैं और एस0एस0पी0, मेरठ ने कहा कि आर0एफ0 के कमान्डेन्ट ने गोली चलायी। आर0एफ0 के कमान्डेन्ट के खिलाफ, थाना सकोरी के दरोगा और सिपाहियों के खिलाफ अभी तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। मान्यवर, आज उस मृतक के परिवार के सामने रोटी के लाले पड़े हुए हैं। मृतक एक गरीब अखबार बेचने वाला था। उसका जवान लड़का गोली लगने के कारण घायल हो गया और अस्पताल में भर्ती है। मान्यवर, मैं इस प्रश्न के माध्यम से आपसे कहना चाहता हूं कि वहां की जनता के द्वारा जो एफ0आई0आर0 दी गई है उसको दर्ज किया जाय। आर0एफ0 के कमान्डेन्ट के खिलाफ एफ0आई0आर0 होनी चाहिए। मृतक के परिवार की तरफ से जो एफ0आई0आर0 की गई इन सबको एक साथ करके सी0बी0सी0आई0डी0 से इसमें जांच करवाई जानी चाहिए। इसके साथ ही साथ यह भी मांग करता हूं कि मृतक के परिवार को 5 लाख रुपये घायलों को चिकित्सीय सुविधा और 50-50 हजार रुपये प्रत्येक घायल को दिया जाना चाहिए। आर0एफ0 के कमान्डेन्ट को निलम्बित कर दिया जाय। इसी के साथ-साथ मैं एक और मार्मिक घटना की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। सोलह साल की एक अनुसूचित जाति की लड़की ममता टीपी नगर क्षेत्र की रहने वाली है उसके साथ बलात्कार किया गया और....

श्री उपाध्यक्ष-

आपकी सूचना में यह प्रकरण था।

डा0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी-

मान्यवर, दोनों हैं। मान्यवर उस लड़की के साथ बलात्कार करने के बाद उसकी गर्दन पर कैंची से वार किया गया जिससे वह मर जाय और पहचान न हो। मान्यवर, वह लड़की मरी नहीं लेकिन उसकी गले की ऐसी नस कट गई जिससे वह लड़की हमेशा के लिये गूंगी हो गयी। मेरठ से वह आल इंडिया इन्स्टीट्यूट में स्थानान्तरित कर दी गई। चिकित्सकों का कहना है कि उसका इलाज दो फेज में किया जायेगा। पहले फेज में 60 हजार रुपये लगेंगे लेकिन यह कोई ठीक नहीं कि इस चिकित्सा का सफल परिणाम निकले। इसके बाद उसका दूसरी फेज का इलाज किया जायेगा जिसमें 60 हजार रुपये लगेंगे। कुल मिलाकर 1 लाख रुपये का खर्च आयेगा लेकिन इसके बाद भी यह जरूरी नहीं कि परिणाम पक्ष में आये और वह बोलना शुरू करे। मान्यवर, बलात्कार के बाद उस लड़की को मारने का प्रयास किया गया लेकिन वह मारने के प्रयास में बच जाती है लेकिन वह हमेशा के लिये

गूंगी हो जाती है। उसके साथ दूसरी बार बलात्कार हो किसी से कहने लायक नहीं रहती है। मान्यवर, इस तरह से मानसिक, पारिवारिक और सामाजिक उत्पीड़न हुआ है। मैं मांग करता हूं कि जिन लोगों ने यह दरिन्दगी का काम किया है उनको सजा दी जाय और इस 16 साल की अनुसूचित जाति की लड़की ममता की एम्स में चिकित्सा व्यवस्था करें, उसका वहां दाखिला हो सके। कुछ अनुदान दें। मान्यवर, दौराला में जो घटना हुई है वहां का बच्चा यह कहता रहा कि अंकल मुझे मत मारो लेकिन कोई नहीं सुना। आर0एफ0 के कमान्डेन्ट ने गोली चलायी लेकिन पहले न तो कोई लाठी चार्ज हुआ न कोई चेतावनी दी गई और न ही किसी मैजिस्ट्रेट की अनुमति ली गई। आर0 एफ0 के कमान्डेन्ट ने गोली चलाई मरे शव को लिए बैठी जनता ने आग में घी डालने का काम किया है इस कमान्डेन्ट को गिरफ्तार किया जाए और सदन की कार्यवाही को रोककर इस पर चर्चा कराई जाए।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, दो घटनाओं का उल्लेख किया गया है एक घटना 5 फरवरी, 2004 की है दूसरी घटना 27-11-2003 की है काफी पुराने मामले हैं एक नोटिस में एक घटना का उल्लेख होता है लेकिन ऊपर से निर्देश हुये हैं।

मान्यवर, काफी दुखभरा विषय है जो रेपिड एक्शन फोर्स का विषय है इसमें फौरी तौर पर कार्यवाही की गई हालात को सही करने में प्रशासन ने कोई कसर नहीं रखी। जो हो सकता था किया गया। इसमें मैजिस्ट्रीरियल जांच के आदेश दिये जा चुके हैं जब तक मैजिस्ट्रीरियल जांच नहीं हो जाती है उस जांच से सरकार मुतमइन नहीं हो जाती है यह तो एक सूरत है। दूसरी सूरत जांच के बाद पैदा होगी जब तक मैजिस्ट्रीरियल जांच चल रही है इसमें और कोई जांच की अभी आवश्यकता नहीं है। मौत रेपिडएक्शन फोर्स की फायरिंग से नहीं हुई है मुआवजे की जहां तक बात है 50 हजार रुपया दे दिया गया है मौत का कोई मुआवजा नहीं होता है जख्मी लोगों को 15-15 हजार रुपया कुल एक लाख 35 हजार रुपया दिया जा चुका है। मान्यवर, जिन समाचार-पत्रों का यहां उल्लेख किया गया है आप अच्छी तरह परिचित हैं सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं सदन में समाचार-पत्रों का संज्ञान नहीं लिया जाता है इसके बावजूद यह घटना दर्दनाक है, अफसोसजनक है इसमें चिन्ता व्यक्त की गई है इस घटना में मैजिस्ट्रीरियल जांच आने दीजिए, आगे कानून व्यवस्था बनी रहे यह सुनिश्चित किया जाएगा। दूसरी घटना ममता पुत्री काशीराम चन्द्र लोक टी0पी0 नगर द्वारा सूचना दी गई बलात्कार हुआ यह 27-11-2003 की घटना है यह फर्क है इस सरकार में और उस सरकार में, जिसका जिक्र बार-बार करने से कोई लाभ नहीं है कल सदन में बात आई थी कि अपराधों की संख्या बढ़ रही है अपराध थानों में दर्ज किए जा रहे हैं पहले अपराध थानों में दर्ज नहीं किए जाने की हिदायत थी और अब अपराध थानों में दर्ज किए जाने की हिदायत है, इस बात पर सख्त कार्यवाही होगी अगर अपराध हुए और उसे दर्ज नहीं किया गया सरकार की तरफ से अगर अपराध को छिपाने की मंशा होती तो मुलजिम को गिरफ्तार न किया गया होता। चार्जशीट दाखिल हुई 376,407,411 का मुकदमा दर्ज किया गया। श्रीमन् एक 302 का मुकदमा होता है आदमी की हत्या हुई वह मर गया। रिमाण्ड पर उसको लिया जाता है और जो 376 का मुकदमा होता है उसमें रिपोर्ट से साबित होता है, कि क्या हुआ, इसमें भी कैंची बरामद हुई एक पक्ष को मजबूत करने के लिए, 376 में तथ्य को रिकार्ड में लेने की जरूरत होती है। इसमें 17-12-03 को चार्जशीट दाखिल कर दी गई कानून अपना काम कर रहा है मुलजिम जेल में है।

इसलिए मैं समझता हूं कि नियम-56 में इसका कोई औचित्य नहीं है। सरकार ने दोनों प्रकरणों पर सख्ती से कार्यवाही की है और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस सूचना को आप निरस्त कर दें।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, पहली घटना पर मंत्री जी ने कहा कि यह आर0एन0एफ0 द्वारा घटना हुई, मृतक को मुआवजा दिया जा चुका है। मान्यवर, मृतक बहुत गरीब अखबार का हाकर है, आप मुआवजे को बढ़ाने पर विचार कर लें। दूसरी बात कही कि मजिस्ट्रीरियल इन्क्वायरी चल रही है, मैं भी इससे सहमत हूं लेकिन मैं चाहता हूं कि जब तक मजिस्ट्रीरियल जांच हो रही है तो जो 509 अज्ञात लोगों के विरुद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज हुई है। पुलिस द्वारा जनता के इन लोगों का उत्पीड़न करने के प्रयास को भी रोक दिया जाय और जनता वाली भी एफ0आई0आर0 दर्ज हो जाए तथा इन तीनों एफ0आई0आर0 को डिस्ट्रिक पुलिस से कहीं और ट्रांसफर कर दिया जाए। उस महिला को तो एम्स में दाखिला करना ही पड़ेगा और जो भी उसके इलाज पर व्यय हो, 50 हजार व्यय हो या 1 लाख व्यय हो, वह सरकार को करना चाहिए। यह कार्यवाही मानवीय रूप से भी जनता के सामने आयेगी।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, 05-02-2004 के हादसे में क्योंकि काउण्टर रिपोर्ट आवश्यक है और प्रशासन की भी कुछ मजबूरियां हैं, बाध्यताएं हैं। क्या हुआ, लोग जमा हुए, रास्ता बाधित हुआ, रास्ता रोका गया, उधर से रैपिड एक्शन फोर्स के आफिसर आये और यह घटना हुई। दोनों तरफ से रिपोर्ट लाज होती है, यह प्रशासन की मजबूरी भी है और जरूरत भी है। दूसरी तरफ से जो मुकदमा दर्ज हुआ है, उसे भी देख लिया जायेगा। किसी के साथ अन्याय या ज्यादती न हो। जाहिर है किसी बड़े हादसे के बाद लोगों को भावुक हो जाना और रास्ता रोक दिया जाना। लड़की के बारे में मैं तो दुखी हूं। मैं भी कहना चाहता हूं कि इसका बेहतर इलाज हो, नेता जी से भी कोशिश करूंगा। आप उससे लिखवा कर और आप भी लिखकर मुख्य मंत्री जी को दे दीजिए जिससे उसके इलाज के लिए पैसा दिया जा सके।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, जनता की तरफ से एफ0आई0आर0 दर्ज नहीं हुई है, यह भी दर्ज हो जाय तथा इन तीनों एफ0आई0आर0 को डिस्टिक पुलिस से ट्रांसफर कर लिया जाय जिससे पिक एण्ड चूज के आधार पर कार्यवाही न हो। इस पर आप मानवीय आधार पर विचार कर लें।

श्री उपाध्यक्ष-

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी और संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के बाद मैं नियम-56 के अन्तर्गत इस सूचना को अग्राह्य करता हूं।

दूसरी सूचना श्री राम इकबाल सिंह की है।

* श्री राम इकबाल सिंह-

मान्यवर, आपने मेरी सूचना को नियम-56 में ग्राह्य किया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं एक ऐसी दर्दनाक और हृदय विदारक घटना की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। 30 जनवरी को गोमती नगर से लगे हुए उजियारी गांव मोहल्ले में जो विगत 15 वर्षों से कुछ गरीब जो शहरों में आते हैं, क्लास थ्री, क्लास फोर की सर्विस करते हैं, छोटा-मोटा बिजनेस करते हैं....

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, लोग अपनी रोटी, पेट काटकर अपने लिए मकान बनवाते हैं। उजियारी गांव में ऐसे सैकड़ों लोग रहते हैं। 30 जनवरी को एल0डी0ए0 के अधिकारियों ने, पुलिस ने लावलश्कर के साथ सारे मकानों को बिना नोटिस दिये गिरवा दिया। ए0डी0एम0 की रिपोर्ट है कि वह जमीन अधिग्रहीत नहीं है। वहां पर वह लोग 1985 से रह रहे हैं। बुलडोजर लगाकर सारे मकानों को गिरवा दिया गया। सैकड़ों परिवार आज सड़क पर आ चुके हैं। उनके घरों में जो भी सामान था वह लूट लिया गया है। सारे अखबारों में छपा था। विधान सभा के बाहर भी सैकड़ों नागरिकों ने धरना दिया लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं हुयी है। हम पीठ के माध्यम से सरकार से कहना चाहते हैं और श्रीमन् सम्भवतः आज भी उस मोहल्ले की इस घटना से वाकिफ हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि जिन अधिकारियों ने यह ताण्डव किया है, गरीबों की छत उजाड़ी है। आप उन्हें अगर छत नहीं दे सकते हैं तो छत उजाड़ने का भी आपको हक नहीं है। इन सारे अपराधी लोगों को जिन्होंने यह भवन गिराये हैं उनके खिलाफ एफ0आई0आर0 दर्ज हो, जिनका-जिनका मकान गिरा है, जो बिना नोटिस के गिराये गये हैं, बिना अधिग्रहण के गिराये गये हैं सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उनको उनके मकानों का मुआवजा दे। यह सरकार की जिम्मेदारी है। जिन लोगों ने बिना नोटिस के इन गरीबों का मकान गिराया है उन पर मुकदमा दर्ज कराया जाये। आज आम इंसान दहशत में है। आज उन इंसानों को विश्वास देने की जिम्मेदारी सरकार की है। अगर इसी ढंग से सरकार काम करती रही तो इससे कानून का राज समाप्त हो जाएगा। इसलिए आपसे मांग करता हूं कि इंसानियत के सवाल पर, गरीबों के सवाल पर दोषियों पर कार्यवाही की जाये। इस सदन के सदस्य श्री हरिनारायण जी का भी घर उसी गांव में है। उनका भी घर जमींदोज कर दिया गया है। हम आपसे मांग करते हैं कि सरकार इस सवाल पर कार्यवाही करे और यह आश्वस्त करे कि जिन्होंने बिना नोटिस दिये, भवन गिराये हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी और गिराये गये भवनों का मुआवजा दिया जाएगा। यह सरकार की जिम्मेदारी है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, परीक्षण कर लिया जाएगा, न्यायोचित कार्यवाही की जाएगी।

श्री उपाध्यक्ष-

श्री राम इकबाल सिंह तथा संसदीय कार्य-मंत्री जी को सुनने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यह सूचना नियम-56 में नहीं आती है। अतः इस सूचना को मैं अग्राह्य करता हूं।

श्री राम इकबाल सिंह-

मान्यवर, हम जानना चाहते हैं कि जिन अधिकारियों ने बिना नोटिस के कार्यवाही की है उनके खिलाफ कार्यवाही करके मुआवजा दिया जाये।

पूरे प्रदेश की दृष्टि लगी हुई। इस घटना को लोग जानते हैं।

श्री उपाध्यक्ष-

मैंने इस संबंध में अपनी व्यवस्था दे दी है कि यह अग्राह्य किया जाता है। यह नियम-56 में नहीं आता है। माननीय संसदीय कार्य-मंत्री जी ने कहा है कि हम इसे दिखवा लेंगे।

श्री राम इकबाल सिंह-

हम इनसे यह कहना चाहते हैं कि यह स्पष्ट कर दें कि दोषी लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। यह स्पष्ट आश्वासन हम चाहते हैं। अगर इन्होंने गरीबों का घर उजाड़ा है तो इनकी जिम्मेदारी बनती है कि वह इसको बसायें या फिर मुआवजा दें।

श्री उपाध्यक्ष-

मैंने इस संबंध में अपनी व्यवस्था दे दी है अब आप कृपया बैठ जायें।

श्री जियाउद्दीन रिजवी-

मान्यवर [×××]

श्री उपाध्यक्ष-

आप बगैर मेरी अनुमति के बोल रहे हैं इसलिए यह लिखा नहीं जायेगा। मैंने अपनी व्यवस्था पहले ही दे दी है।

(व्यवधान होने पर)

श्री रिजवी साहब कृपया अपने स्थान पर बैठ जायें। अब मैं तीसरी सूचना जो कि श्री सुखदेव राजभर, स्वामी प्रसाद मौर्या जी की है, को ले रहा हूं। इस पर माननीय सदस्य दो मिनट बोल लें, वैसे इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट कर दिया गया है।

(व्यवधान)

माननीय राम इकबाल जी आप तो वरिष्ठ और विद्वान सदस्य हैं कृपया बैठ जायें यह लिखा नहीं जा रहा है। मैंने इसमें व्यवस्था दे दी है।

श्री राम इकबाल सिंह-

[×××]

(व्यवधान)

श्री जियाउद्दीन रिजवी-

मान्यवर, [×××]

श्री उपाध्यक्ष-

यह आप लोगों की समस्या है। कृपया बैठ जायें।

कृपया आप लोग शान्त रहें।

(व्यवधान)

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, हमारे सदस्य घूरा राम जी हैं, वह अपनी बात बतायेंगे, क्योंकि सारा बलिया इकट्ठा हो गया है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं चाहूंगा कि इस पर चर्चा कर लें इससे सदन को जानकारी भी हो जायेगी।

(व्यवधान)

(सत्ता पक्ष और विपक्ष के अनेक सदस्य अपनी-अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे जिससे व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

श्री उपाध्यक्ष-

श्री स्वामी प्रसाद मार्या जी, कृपया आप अपनी बात सिर्फ दो मिनट में कह दें।

नोटः- [×××] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, पहले सदन को व्यवस्थित तो करवाइये, फिर मैं अपनी बात कहूं।

(व्यवधान)

श्री राम इकबाल सिंह-

मान्यवर, मैं तो कहता हूं कि आप उस घटना की पुनः जांच करवायें और उस पर प्रभावी कार्यवाही करायें।

(व्यवधान)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, नियम-56 के अन्तर्गत आज हमने इस सचिवालय से सम्बन्धित एक ज्वलन्त मिसाल को रखते हुए सूचना दिया है। मान्यवर, अभी इस सदन में आपके निर्देश पर हम सभी उत्तर प्रदेश की बिगड़ी कानून व्यवस्था के सम्बन्ध में चर्चा कर रहे थे और हमने सोचा था कि आप आगे आने वाले समय में हमारे प्रदेश से सम्बन्धित अनेकों मुद्दों को लेकर सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे लेकिन मान्यवर, जिस समय हम कल यहां चर्चा कर रहे थे उस समय सरकार के एक मंत्री द्वारा अपने ही एक सचिवालय कर्मी की मारा-पीटा गया। मान्यवर, और अभी तो हम यह बिन्दु जाहिर कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में गुण्डाराज है। गुण्डा माफिया, अपराध, सरकार के संरक्षण में अपराध कर रहे हैं, लेकिन आज हमें ताज्जुब हुआ, जब कल की घटना की जानकारी हुयी। मान्यवर, कल और आज भी वह सचिवालय कर्मी गेट नं0-2,3,4, और जो गेट प्रतिभा की तरफ है वहां आज भी गेट बन्द करके सचिवालय कर्मचारी बैठे हुए हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं। मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब सरकार के मंत्री ही कानून की धज्जियां उड़ानी शुरू करेंगे, जब कानून के रखवाले ही कानून उल्लंघन करेंगे जब प्रदेश की जनता की सुरक्षा और राहत देने वाले ही प्रदेश की जनता का उतपीड़न शुरू कर देंगे तो मान्यवर, कैसे काम चलेगा ? मान्यवर, यह बहुत ही सोचनीय विषय हो जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें, आपको सिर्फ दो मिनट का समय दिया गया था।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, अभी सदन में यह हवाला दिया गया था कि अभी तक अपराध इसलिए नहीं दिखाई पड़ते थे, क्योंकि उनका संज्ञान नहीं लिया जाता था, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार में अपराधी जेल में थे। आज मुख्यमंत्री के भतीजे का अपहण हो रहा है, प्रधान मंत्री के भांजे की हत्या हो रही है, तो आप इसको कहां तक छिपा पायेंगे, यह सब छिपाने लायक नहीं है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष-

विशेष उल्लेख में आप को सिर्फ दो मिनट में अपनी बात कहने की अनुमति दी गयी थी।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी को, जिन्होंने सचिवालय के एक चपरासी के साथ मारपीट की घटना की है, को तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए। मान्यवर, मैं इस पर आपका संरक्षण चाहते हुए मांग करता हूं कि आप इस पर सरकार को निर्देश देने की कृपा करें।

*बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

मान्यवर, पूर्व संसदीय कार्य मंत्री जी सदन में अव्यवस्था और सदन की गरिमा के लिए बातें उठाते थे और 300 में सवाल उठाते थे। आज समय बदल गया है, पहले यह होता था कि एक माननीय सदस्य के खिलाफ दूसरे माननीय सदस्य जल्दी कोई आरोप नहीं लगाते। मान्यवर, यह परम्परा है और नियम-56 में भी कि एक ही विषय की सूचना को बार-बार सदन में नहीं लाया जा सकता है। माननीय नेता बसपा पिछले दिनों कानून व्यवस्था के सवाल पर नियम-56 में बोलते हुए सदन से वाक आउट कर गये थे और कल भी किए थे तो मान्यवर, रोज-रोज एक ही चीज पर नियम-56 में कार्यस्थगन की सूचना लाकर बातें करना माननीय सदन की गरिमा के विपरीत है। बार-बार गुण्डा शब्द का प्रयोग करना भी पीठ की, सदस्य की और व्यक्ति की गरिमा के विपरीत है और सदन की भी गरिमा के विपरीत है। अब कृपया माननीय मौर्या जी को सलाह दे दें कि उनकी भाषा संसदीय हो और संयमित हो और इस सदन की गरिमा के अनुरूप हो अन्यथा यहां प्रलाप न करें।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, अभी एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया कि कानून-व्यवस्था के प्रश्न पर रोज कार्य-स्थगन लाया जा रहा है जो गलत है। मैं कहना चाहता हूं कि यदि कोई घटना विशेष घटित होगी चाहे यहां या क्षेत्र में तो उस पर यहां किसी चर्चा को रोका नहीं जा सकता है। भले ही उससे पहले कोई सामान्य चर्चा हो चुकी हो।

(व्यवधान)

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, इस सचिवालय की इस घटना की खबर बाहर जा रही है जो छोटा कर्मचारी चपरासी आपकी प्लेटें साफ करता है अटैची उठाता है.....

श्री उपाध्यक्ष-

माननीय राजभर जी आप कृपया बैठें यह नियम-56 के अन्तर्गत....

श्री सुखदेव राजभर-

[×××]

श्री उपाध्यक्ष-

यह लिखा नहीं जा रहा है। क्यों बोल रहे हैं ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

[×××]

(श्री सुखदेव राजभर, श्री लालजी वर्मा आदि कई सदस्यों के बोलते रहने पर)

श्री उपाध्यक्ष-

माननीय राजभर, जी आप लोग कृपया बैठें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोटः- [×××] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

माननीय लालजी वर्मा जी कृपया बैठ जाइये, लिखा नहीं जा रहा है, आपका कुछ लिखा नहीं जा रहा है।

श्री लालजी वर्मा-

[× × ×]

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, जिन माननीय मंत्री जी के विरुद्ध यह था, वह सदन में आ गये हैं उनका स्पष्टीकरण दिलवा दीजिए। हो सकता है कि घटना हुई ही न हो।

(श्री सुखदेव राजभर तथा अन्य सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने के प्रयास करते रहने पर व्यवधान बना रहा।)

श्री उपाध्यक्ष-

आप संसदीय कार्य मंत्री रह चुके हैं आप इस तरह करेंगे तो कितनी गरिमा रह जायेगी।

नियम-56 के अन्तर्गत श्लाका के आधार पर दो सूचनाएं आयी थीं इसमें तो आपके आग्रह पर माननीय अध्यक्ष जी ने दो मिनट के लिए एलाऊ कर दिया था।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

जहां तक मान्यवर, सूचना पर हस्ताक्षर की बात है तो कई ऐसे लोग हैं जो बिना हस्ताक्षर पर बोले हैं। मैं आपसे न्याय की अपेक्षा करता हूं कि आप न्याय देंगे आप विपक्ष की अच्छी आवाज को ही रोकना चाहते हैं। मैं आपका संरक्षण चाहता हूं।

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष-

मैंने आपकी पूरी बात सुन ली है। मैं इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं।

(श्री आर0 एस0 कुशवाहा का नाम पुकारे जाने पर व्यवधान)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, मैं इसके विरोध में सदन से अपने सदस्यों के साथ वाकआउट करता हूं।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग किया।)

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष-

यह नियम-56 के अन्तर्गत श्लाका में नहीं आयी थी केवल दो मिनट में अपनी बात कहनी थी।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, मैं आपकी व्यवस्था को शिरोधार्य करता हूं लेकिन मेरा इतना निवेदन है कि जिन माननीय मंत्री जी के संबंध में मामला है उनसे पूछ तो लीजिए यदि वह कुछ कहना चाहें तो कह लें। माननीय मंत्री जी सदन में बैठे हैं उनसे पूछ लीजिए कि कुछ कहना चाहते हैं या नहीं ?

नोटः-[× × ×] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मामला इतना गम्भीर नहीं है जितनी बात यहां पर कही गयी है और यह बात इस सत्तापक्ष की तरफ से भी आयी। माननीय सदस्य बहुजन समाज पार्टी ने एक गम्भीर विषय को, अपने इम्प्रेशन से, रखने के ढंग से गम्भीरता से नहीं रखा और सदन से वाकआउट कर गये। मान्यवर, सभी व्यक्ति हैं। सब एक समाज में रह रहे हैं तो कोई हल्की-फुल्की बात हो भी गयी तो उसकी जांच हो रही है। सारा मामला प्रशासनिक तौर पर देखा जा रहा है। उनके यूनियन के लोग, उनके जिम्मेदार लोग, अधिकारी लोग मुख्य सचिव से मिल चुके हैं कोई हड़ताल, किसी किस्म का विरोध नहीं है। कोई लिखित रिपोर्ट नहीं की गयी है न पुलिस में कोई रिपोर्ट की गयी है और न कहीं और कोई रिपोर्ट की गयी है। मुख्य सचिव के स्तर से इस समस्या का निदान हो चुका है।

कोई हल्की-फुल्की बात होगी.....

(भारतीय जनता पार्टी के कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर-घोर व्यवधान)

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, सम्बन्धित मंत्री सदन में मौजूद हैं, वह घटना के संबंध में बता दें। यदि घटना गलत थी तो स्पष्टीकरण दे दें। प्रदेश की जनता के सामने सारी बात आ जाय। प्रदेश की जनता जानना चाहती है। मंत्री जी बैठे हैं, बोल नहीं रहे हैं, "मौनम् स्वीकृति लक्षणम्" यानि घटना को स्वीकार कर रहे हैं। किसी मंत्री द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के साथ मारपीट की जाय, रक्षक ही भक्षक हो जाय, राजा ही भक्षक हो जाये, यह अच्छी बात नहीं है अन्यथा वह इस घटना का खंडन कर दें। यह हमारा अधिकार है, प्रदेश की जनता जानना चाहती है। प्रदेश के राज्य कर्मचारी जानना चाहते हैं, उनके भाई के साथ क्या दुर्व्यवहार हुआ है। आप मंत्री जी से स्पष्टीकरण दिलवा दें। किसी कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार किया गया है। मंत्री जी सदन में मौजूद हैं, जब वह शेर की मांद में आ ही गये हैं तो स्पष्टीकरण दे दें। इस घटना के लिये क्या करने जा रहे हैं, यह अत्यन्त महत्वपूर्ण और गम्भीर घटना है। हम आपका कृपापूर्ण संरक्षण चाहते हैं, आप जो व्यवस्था देंगे, हम शिरोधार्य करेंगे ? मंत्री जी मौजूद हैं, वह बता दें कि घटना हुयी है। लेकिन क्या किसी मंत्री को यह अधिकार है कि वह अपने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के साथ मारपीट करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष-

मैंने शासन का ध्यान आकृष्ट कर दिया है।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

माननीय मंत्री इस घटना को स्वीकार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस घटना की निन्दा करती है।

श्री उपाध्यक्ष-

मंत्रि-परिषद् का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, इसलिये [illegible] को उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है।

(इस पर भारतीय जनता पार्टी के कई सदस्यों द्वारा एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, हम इस सदन का बहिर्गमन करके पीठ नहीं दिखायेंगे। हम सरकार से उत्तर चाहते हैं। माननीय मंत्री यहां मौजूद हैं, वह घटना को स्वीकार कर लें, उन्हें स्वीकारोक्ति है। लेकिन उन्हें इस तरह किसी कर्मचारी से मारपीट करने का अधिकार नहीं है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मुझे इस बात का खेद है कि बाजपेयी जी बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं और उस पीठ पर बैठते भी रहे हैं, उन्हें मान्यताओं का अहसास होना चाहिये और उनका आदर करना चाहिये। आपकी पीठ से यह व्यवस्था दे दी गयी, आपका निर्देश हो गया, निर्णय लिया जा चुका इसके बावजूद वह बराबर सदन को अव्यवस्थित रखें, ऐसे वरिष्ठ सदस्य द्वारा ऐसा किया जाना अच्छी बात नहीं है। कोई अच्छी परम्परा नहीं हैं एक तरफ तो अच्छी परम्पराओं की दुहाई दी जा रही है, दूसरी तरफ ऐसे लोग जो उस पीठ पर भी बैठते रहे हों, इस तरह की नई परिपाटी डाल दें, यह बात अच्छी नहीं है। जब आपकी पीठ से आदेश हो गया है तो उस व्यवस्था पर इस तरह सदन को अव्यवस्थित करने का कोई औचित्य नहीं है।

(भारतीय जनता पार्टी के कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष-

मंत्रि-परिषद् का सामूहिक दायित्व होता है संसदीय कार्य-मंत्री ने जो बात कह दी है, वही जवाब है।

श्री आर0 एस0 कुशवाहा-

माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरे जनपद लखीमपुर खीरी में शारदा नदी का बड़े पैमाने पर बरसात से लेकर अब तक प्रकोप जारी है। मेरी विधान सभा में कई गांव ऐसे हैं जो लगातार कट रहे हैं। इसके पहले भी मैंने सरकार से अनुरोध किया था लेकिन आज तक जो गांव कट रहे हैं उनको रोकने के लिए कोई समुचित व्यवस्था नहीं की गयी है। वहां एक गांव गोवी नगर है जिसमें पांच सौ मकान बने हैं और वहां से 100 मीटर दूरी तक नदी पहुंच चुकी है। लेकिन मान्यवर, अभी भी वहां पर कटान जारी है। यदि समय रहते इसका ध्यान नहीं दिया गया तो निश्चित रूप से पांच सौ घर कट करके शारदा नदी में समा जायेंगे। इसके साथ ही साथ वर्तमान में सैकड़ों एकड़ गन्ने की फसल कट करके नदी में चली गयी है। इसलिए महोदय, मैं इस सदन से मांग करता हूं, आप से मांग करता हूं कि इस अविलम्बनीय प्रश्न पर सदन की कार्यवाही रोक करके चर्चा करा ली जाय।

श्री उपाध्यक्ष-

मैं शासन का ध्यान इस ओर आकृष्ट कर रहा हूं।

*श्री दयाशंकर वर्मा-

माननीय उपाध्यक्ष जी, हमारे जनपद जालौन के कोंच क्षेत्र में भारत स्वतंत्र होने के बाद यह पहली दर्दनाक घटना हुई है जिसमें हमारे समाजवादी पार्टी के तीन वरिष्ठ नेता कोंच कोतवाली में कोंच इंस्पेक्टर के द्वारा मारे गये हैं। यह बड़ी ही दर्दनाक घटना हुई है। आज केवल जनता के सहयोग से कोंच इंस्पेक्टर, कोंच इंस्पेक्टर का बेटा और दो अन्य पुलिसकर्मी वहीं अरेस्ट कर लिये गये। परन्तु इसके बाद जो अन्य पांच पुलिसकर्मी दोषी हैं, हत्यारे हैं, आज 11 दिन हो गये हैं, उनको आज तक अरेस्ट नहीं किया गया है। माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि ऐसी दर्दनाक घटना जो पूरे प्रदेश में निन्दनीय है। एक छोटे से विवाद के लिए हमारे नगर के माननीय शिव कुमार जी कहने गये थे कि इसे छोड़ दें यह दोषी नहीं है, इंस्पेक्टर ने उन्हें वहीं बैठा लिया। जब उन्हें

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वहां बैठा लिया तो उनके रिश्तेदार सुरेन्द्र सिंह और महेन्द्र सिंह थाने में पहुंचे और उन्होंने कहा कि इन्हें छोड़ दीजिए यह तो केवल दूसरे के लिए आये थे परन्तु इंस्पेक्टर ने कहा कि उनको छोड़ेंगे नहीं उनका चालान करेंगे, इस पर वाद-विवाद बढ़ गया वहीं थाने में पहले महेन्द्र सिंह को और बाद में सुरेन्द्र सिंह को गोली मारी और उसके बाद जो लोग आये बराबर गोलियां चलती रहीं। यहां तक कि ढाई घण्टे लगातार दो सौ राउण्ड गोलियां पुलिस के द्वारा चलायी गयीं। भीड़ ने काफी साहस जुटाया परन्तु जो दो लोग श्री सुरेन्द्र सिंह और महेन्द्र सिंह थाने के अन्दर मारे गये थे वहां तक नहीं पहुंच पायी। तीन बजे जब हम घटनास्थल पर पहुंचे हैं तो सभी लोग थाने तक पहुंचे। वहां जिलाधिकारी भी मौके पर पहुंच गये थे। काफी कण्ट्रोल करने के बाद इंस्पेक्टर, उनके बेटे और दो पुलिस कर्मियों को जेल में डाला गया। इंस्पेक्टर ने बलवा दिखाने के लिये कई फाइलों, कई मोटर साइकिलों व थाने में खुद आग लगा दी। मान्यवर, इस घटना से कोंच क्षेत्र की जनता में काफी आक्रोश है। दस दिन हो गया है परन्तु अभी इस घटना के दोषी 5 पुलिस कर्मियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहूंगा कि उनकी गिरफ्तारी कब तक हो जायेगी ? माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो घोषणा की थी तो माननीय कृषि मंत्री जी दूसरे दिन पहुंचे और उन्होंने घोषणा के मुताबिक दो-दो लाख उन मृतक परिवारों को दिया और जो 7 लोग घायल थे उन्हें पचास-पचास हजार रुपये दिया गया। मान्यवर, दया शंकर झा का परिवार बहुत ही गरीब है, उनके परिवार में दो पुत्री और दो नाबालिक पुत्र हैं। अगले माह वह अपनी पुत्री की शादी करने के लिये तैयार थे। आज उनके परिवार में कोई ऐसा नहीं है जो उनका भरण-पोषण कर सके। माननीय कृषि मंत्री जी ने घोषणा की थी कि इस परिवार के लिये नौकरी का प्रयास करेंगे तो मान्यवर, मेरा आपसे अनुरोध है कि संसदीय कार्यमंत्री जी को निर्देशित करें कि वह इस परिवार को अधिक से अधिक आर्थिक सहायता दें। दो-दो लाख रुपये से कुछ नहीं होता है। इस परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है इसलिये ज्यादा से ज्यादा धन मुहैया कराईये। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से संसदीय कार्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो पांच लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई है उनको जल्दी गिरफ्तार किया जाय क्योंकि इससे जनता में बहुत आक्रोश है और यह आक्रोश गम्भीर रूप ले सकती है। मा0 उपाध्यक्ष जी मैं कार्य-स्थगन के माध्यम से इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष-

नियम-56 के अन्तर्गत श्री दयाशंकर वर्मा जी को सुनने के पश्चात् मैं इस पर शासन का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर चर्चा *(क्रमागत)

श्री उपाध्यक्ष-

मद संख्या-11 श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा। माननीय नेता विरोधी दल उपस्थित नहीं हैं, इसलिये श्री नवाब सिंह नागर जी से चर्चा शुरू करेंगे। सभी पार्टियों के नेतागण अपने बोलने वाले सदस्यों की सूची मेरे पास भेज दें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। अमूमन यह होता था कि नेता विरोधी दल पहले बोलते रहे। नेता विरोधी दल नहीं हैं तो अन्य दलों के नेताओं को समय मिलता रहा है। इसलिये दूसरे पार्टियों के नेताओं को समय मिलना चाहिये।

---

* दिनांक 5 फरवरी, 2004 की कार्यवाही से।

श्री उपाध्यक्ष-

नेता विरोधी दल की चर्चा जारी है।

*श्री सतीश महाना-

माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी, थोड़ी देर बैठ जायं क्योंकि आप जाने के मूड में हैं।

मान्यवर, इस विधान सभा की एक परम्परा है कि वर्ष के प्रारम्भ में उस वर्ष की उपलब्धियों, कार्य योजना के बारे में, सरकार सब चीजों के बारे में जो लिखकर देती है महामहिम राज्यपाल उसको सदन में पढ़ते हैं उससे सरकार की नीयत और नीति के बारे में बहुत सारी बातों की जानकारी होती है। मान्यवर, जो अभिभाषण मुझे पढ़ने को मिला उसमें अधिकांशतः पिछली सरकार की आलोचना के बारे में था। अगर पिछली सरकार के कार्यों के कारण रोष न होता तो आपको यहां पर बैठकर आलोचना करने का अवसर न मिलता। अगर आप हमारी गलत बातों की आलोचना करके अपना बचाव करेंगे तो उससे कार्य पूरा होने वाला नहीं है। जहां तक ला-एण्ड-आर्डर की बात है पूरे प्रदेश में जिस प्रकार का वातावरण बना हुआ है उससे लगता है कि कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है मुझे प्रसन्नता हुयी थी, जिस समय माननीय नेता विरोधी दल ने कहा था कि चाहे कोई व्यक्ति हो, किसी राजनीतिक दल का हो अगर वह अपराध करेगा तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। आपने उदाहरण भी दिये थे उससे हमारे मन में यह विश्वास जागृत हुआ था कि प्रदेश में सुधार होगा लेकिन खेद और दुःख के साथ कहना पड़ता है कि सत्तापक्ष के बहुत सारे लोग उन लोगों को संरक्षण दे रहे हैं जो अपराधों में लिप्त हैं। मुझे प्रसन्नता होगी कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जाय। अगर कार्यवाही होगी तो एक अच्छा संदेश जनता में जायेगा और बहुत सारे शरीफ और अच्छे लोग आपसे जुड़ेंगे। अगर गलत को गलत कहने का साहस नहीं करेंगे तो सुधार नहीं हो सकता। आपको अपनी पार्टी के बहुत लोगों को निकालना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो एक संदेश जायेगा कि सरकार की नीयत और नीति में कोई फर्क नहीं है।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

हमने निकाला है। भारत के प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि बुरे लोगों को पार्टी से निकाल देना चाहिये। हमने इंतजार किया कि शायद वह निकाल दें। लेकिन उसके फौरन बाद, हमारी पार्टी के मुखिया ने 3 लोक सभा सदस्यों को पार्टी से निकाल दिया था।

श्री सतीश महाना-

आपको बहुत बड़ी छंटनी करनी पड़ेगी। माननीय संसदीय कार्य मंत्री आप नगर विकास मंत्री भी हैं। आपने पिछली विधान सभा में मुख्य मंत्री जी की उपस्थिति में एक बात कही थी। तो मैं आपको देख रहा था कि नगरीय क्षेत्र में काम करने वाला एक मजबूत मंत्री हमें मिला है। आपने पूरे सदन के सामने मुख्य मंत्री जी से कहा था और मुख्य मंत्री जी ने आपको सहयोग करने की बात कही थी। 4 महीने का समय बीत गया है आज स्थिति यह है कि पिछले दिनों जो काम चल रहे थे वह सारे के सारे ठप्प हो गये हैं। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं। मैं जब भी आपके कार्यालय जाता हूं तो बड़े ही गर्व के साथ जाता हूं और सोचता हूं कि किसी मजबूत मंत्री के यहां जा रहा हूं। जब प्रदेश में डेंगू फैला हुआ था तो आपने कहा था कि जिसके यहां मरीजों की संख्या अधिक होगी वहां के अधिशासी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अधिकारी नगर पालिका प्रमुख और मेयर के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी लेकिन एक भी अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही नहीं की गई। आपको कार्यवाही करनी चाहिए थी। पूरे प्रदेश में सूडा के अन्तर्गत जो काम चल रहे थे वह रोक दिए गए जिस प्रकार के नियम बने हैं उनका उल्लंघन किया जा रहा है। स्वायत्तशासी परिषद की जो बैठक होती है उसमें अधिशासी अधिकारी होता है उस बैठक में जो निर्णय होता है वह प्रस्ताव बनता है वह शासन के पास आता है उसी हिसाब से काम होता है। विधायकों को अपने यहां से मत दीजिए नियम का पालन करवा दीजिए इसमें भेदभाव मत कीजिए। आप सारे के सारे विधायकों का ख्याल रखेंगे ऐसा विश्वास है। मैं अभी बजट पर नहीं बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष-

तो किस पर बोल रहे हैं ?

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, आप भी शहरी क्षेत्र से आते हैं। मंत्री जी को मैं कानपुर ले गया था। मैंने वहां स्वयं यह कहा था कि मंत्री जी मेरे निवेदन पर यहां आए हैं अभी तक यह होता था कि सत्तापक्ष के विधायक के आमंत्रण पर मंत्री जाते थे लेकिन आप मेरे निवेदन पर कानपुर गए थे। मैंने कहा था कि मंत्री जी जो कह रहे हैं वह पूरा करेंगे मैंने यह कहा था कि इस बात के लिए मैं मंत्री जी को सार्वजनिक रूप से धन्यवाद देता हूं। मेरे क्षेत्र में गंगा बैराज का काम रुका हुआ है जिसके लिए मैंने 300 करोड़ रुपए दिए थे लेकिन राजनीतिक कारणों से उस काम को बन्द करवा दिया गया। मेरा निवेदन है कि उस कार्य को प्रारम्भ करवा दीजिए। मैं इसके लिए आपको बधाई दूंगा और जब आप कानपुर आऐंगे तो आपको माल्यापर्ण करूंगा और सार्वजनिक रूप से स्वागत करूंगा। विकास के साथ किसी प्रकार की राजनीति नहीं करनी चाहिए। आपने इसी सदन में इस संबंध में कहा था कि इस बात की मुझे जानकारी नहीं है। मैं आपको जानकारी दे रहा हूं कि पिछले सात सालों से जो काम हुआ था वह पिछले पांच महीनों में डूबा हुआ पड़ा है। गंगा बैराज चालू होना चाहिए। आपसे प्रार्थना है कि अगर पैसा दिया गया है तो आप अधिकारियों से पूछें कि क्यों कार्य नहीं किया जा रहा है ? और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही करिए। अधिकारियों को उल्टा टांग दीजिए या तो मुझे इशारा कर दीजिए मैं ऐसे अधिकारियों को उल्टा टांग दूंगा। नगरीय क्षेत्रों के 19 विधायक हैं। मुख्य मंत्री जी द्वारा इस बात की घोषणा की गई थी कि प्रत्येक विधायक को 100-100 हैण्ड पम्प दिया जाएगा लेकिन पिछले वर्ष एक भी हैण्ड पम्प नगरीय क्षेत्र के विधायक को नहीं दिया गया। यह कहां से दिया जाएगा ? आप नगरीय क्षेत्र के मंत्री हैं, बतायें इसमें नगरीय क्षेत्र के लिये पैसे की व्यवस्था कहां से की जायेगी ? आज सारे के सारे विधायक, चाहे इधर बैठे हुए हों या उधर बैठे हुए हों। हो सकता है कि उधर बैठे हुए विधायक कुछ बोल न पायें आपकी इज्जत के मारे, आपके सम्मान और भय के मारे लेकिन वास्तविकता यह है कि सदन के सारे माननीय सदस्य मेरी बात से सहमत हैं और मन ही मन में कह रहे हैं कि इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। मान्यवर, आज बिजली की और पानी की समस्या बहुत बड़ी हो गयी है। कानपुर एक बहुत बड़ा नगरीय क्षेत्र है। हम यह नहीं कहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों का विकास न हो। गांवों के विकास के लिये 71 प्रतिशत लगे उससे कोई दो मत नहीं हो सकता है। ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर रहने वाले लोगों का विकास हो यह सही है लेकिन शहरी क्षेत्र को अपेक्षित कर दिया जाय। शहर में रहने वाली करोड़ों जनता की अनदेखी कर दी जाय उनको बिजली पानी सुविधा न मुहैया कराई जाय, यह भेद भाव ठीक नहीं है। अगर बिजली नहीं होगी तो पानी नहीं होगा। हमारे यहां कानपुर में नौबस्ता और पनकी में 160 एम0वी0 के ट्रांसफार्मर लगाने की आवश्यकता है। मान्यवर,

इसी तरह से बहुत सारी बातें कहना चाहता हूं। गंगा नदी के प्रदूषण के बारे में कहना चाहता हूं कि वहां क्या दुर्दशा है आप स्वयं देखकर आये हैं। मैंने आपसे निवेदन किया था और आप वहां आये थे। मेरा आपसे एक बार निवेदन है कि आप मेरे से एक बार निगाह मिला लीजिये प्लीज। क्या बात है ? मेरा आपसे निवेदन है कि आप एक बार मेरे निवेदन पर वहां आये थे। मेरे निवेदन पर दोबारा फिर चले आइये।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मैं तो जाने क्या-क्या मिला लूं पर आप ही नहीं मिलायेंगे।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा हूं कि कानपुर में गंगा बैंराज के रुके हुए काम को फिर से शुरू करवा दें तो मैं सार्वजनिक रूप से सबके सामने आपके गले में माला पहनाने का काम करूंगा। जनता की मेहनत की कमाई का पैसा है। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के अन्तर्गत अगर सरकार की भाषा और कथनी में फर्क नहीं होता, जो भाषा यह बोल रहे थे यदि वही भाषा उसमें लिखी होती तो मैं उसका समर्थन करता लेकिन भाषा और लिखे हुए में बहुत अन्तर है इसलिये समर्थन करने का कोई औचित्य नहीं होता। मैं धन्यवाद प्रस्ताव का विरोध प्रकट करता हूं।

(श्री नवाब सिंह नागर का नाम पुकारे जाने के बाद)

श्री उपाध्यक्ष-

किसी और पार्टी के सदस्यों के नाम नहीं आये हैं। आप भिजवा दें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, परम्परा यह है कि पहले दलीय नेताओं को सुनने के बाद दूसरे सदस्यों का सुना जाता है।

श्री उपाध्यक्ष-

माननीय नेता विरोधी दल की चर्चा अभी जारी है, खत्म नहीं हुई है। आप लोग अपने नाम भेज दीजिये। परम्परा की कोई बात नहीं है आप नाम भेज दीजिये। आपको ज्यादा समय मिल जायेगा। दो तीन घंटे दे देंगे। क्या दिक्कत है, बोलिये ?

*श्री नवाब सिंह नागर-

मान्यवर, राज्यपाल महोदय का अभिभाषण सरकार की भावी नीतियों का दस्तावेज होता है। इसमें मैं मुख्य रूप से औद्योगिक वातावरण की ओर जो सरकार ने कहा है, उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूं। सरकार ने घोषणा की है कि हम यहां पर ऐसा औद्योगिक वातावरण बनाना चाहते हैं जिससे पूंजी निवेश हो। देशी और विदेशी कम्पनियां यहां पर आयें। इस सरकार के 5 महीने के कार्य काल में कौन-कौन सी कम्पनियों ने यहां पर आने के लिये प्रस्ताव दिये हैं ? कौन-कौन सी कम्पनियां यहां पर अपना पूंजी निवेश करना चाहती हैं ? इसका इसमें कोई उल्लेख नहीं है। केवल एक औद्योगिक विकास परिषद् बनाने की बात कही गयी है जिसमें केवल दो तीन ग्रुप्स हैं और ऐसा लगता है कि सरकार केवल उनको लाभ पहुंचाने के लिये अपने कार्य काल में ऐसा काम कर रही है। एक इन्टीग्रेटेड टाउन शिप बनाने की बात कही गयी है और बताया गया है कि इससे बहुत लाभ होगा। यह वास्तव में एक

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बड़ी कालोनाइज़िंग का काम है। अगर इसको आप जनता के सामने ओपन रखें तो इसमें हजारों लोग इस तरह के टाउनशिप बनाने के लिये सामने आ सकते हैं। लेकिन बिना प्रतिस्पर्धा के टाउनशिप बनाने और वाह-वाही लूटने का काम सरकार कर रही है यह कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने का षडयन्त्र है यह पूंजी उद्योग और विकास के लिए सरकार ने नहीं किया है। दादरी विधान सभा क्षेत्र मेरा क्षेत्र है ग्रेटर नोएडा, नोएडा क्षेत्र देश के महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र हैं यहां पर औद्योगिक वातावरण बने वहां बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियां-हांडा कार, मोटर ट्रैक्टर की लगाई गई कई हजारों का पूंजी निवेश किया गया साफ्टवेयर में यह क्षेत्र दूसरे नम्बर पर है बंगलौर के बाद 42 करोड़ का उत्पादन हम कर रहे हैं यह पिछली सरकार जो बनी भी उसका परिणाम है। अब जो सरकार बनी है इसने इस औद्योगिक वातावरण को तहस-नहस कर दिया है, इस तरह का निर्णय इस सरकार ने लिया है। जिला बनाया गया था जिसके कारण राजस्व में बढ़ोत्तरी हो रही थी, लेकिन राजनीतिक द्वेश की भावना से, इसकी चमक-दमक न बनी रहे इसके कारण इस तरह का निर्णय लिया जिसके कारण लोगों में असुरक्षा की भावना पैदा हो गई। कानून व्यवस्था की स्थिति पूरे प्रदेश मे खराब चल रही है। असुरक्षा का माहौल पैदा हो गया है। पूंजी निवेश वहां पर ठप्प हो गया है। कम्पनियों ने कामकाज ठप करने का मन बना लिया है। सरकार बदनीयती से कार्य कर रही है। जिलों को समाप्त करके औद्योगिक विकास को खत्म करना चाहती है। मान्यवर, यह सरकार पूरी तरह से असंवेदनशील है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में पिछले एक साल से सरकार ने मुआवजा बढ़ाने का आश्वासन दिया है कि निराकरण करेंगे लेकिन सरकार किसानों के बारे में ध्यान नहीं देना चाहती है नोएडा ग्रेटर नोएडा को मुआवजा दिया जाए और नोएडा को जो बराबर करने का आश्वासन दिया था पिछले सत्र में उसको पूरा किया जाए। एक और बात सरकार की तरफ से कही गई कि जमीनों के रेट कम किए गए हैं। जब से जिला समाप्त किया गया है तब से तीन हजार प्रति मीटर रेट कम हो गया है। कल संसदीय कार्य मंत्री जी बड़े उत्साह से कह रहे थे कि बहुत अच्छा काम किया है लेकिन यह इस कारण से हुआ है यह क्षेत्र रहने लायक नहीं रह गया है। लोग भाग रहे हैं। असुरक्षित क्षेत्र हो गया है इसलिए रेट कम कर रहे हैं। सरकार इस तरह से उस क्षेत्र को उजाड़ने का काम कर रही है इस तरह से वह क्षेत्र खाली हो जाएगा। उसके बाद जो यह चाहते हैं सहारा और रिलायन्स का कब्जा कराना चाहते हैं वह कर लेंगें। वहां भ्रष्टाचार बहुत था यह कारण बताया गया लेकिन भ्रष्टाचार को रोकने की जिम्मेदारी किसकी है। पांच महीने में भ्रष्टाचार के कई मामले नोएडा के उद्घटित हुए हैं उसमें इन्होंने क्या कार्यवाही की है। सरकार ने एक भी कार्यवाही वहां नहीं की है। टी0 जार्ज जिला जोजेफ कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी ने एक महीनें में अपनी रिपोर्ट देनी थी क्योंकि इसमें बड़े अधिकारी फंस रहे थे। इसलिए एक माह पूरा होने से पहले ही इसको समाप्त कर दिया गया।...

(इस समय 3 बजकर 12 मिनट पर अधिष्ठाता डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी पीठासीन हुए।)

तो मान्यवर, यह सरकार घोटालों की जांच नहीं बल्कि अपनी संलिप्तता बनाने की कोशिश कर रही है। जोजफ कमेटी की जो रिर्पोट है, सरकार को उसे सदन के पटल पर रखना चाहिए जिससे साबित हो जाय कि यह सरकार घोटालों को उजागर करने में रुचि रखती है या उससे सांठ-गांठ करने में। मान्यवर, गौतम बुद्ध नगर में एक विश्वविद्यालय बना था, यह भी एक विकास का ही काम था, एक ऐसी संस्था बन रही थी जो अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का तकनीकी संस्थान बनती, उसकी भी जांच कराते हुए काम रोक दिया गया। 5 महीने हो गया है अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि इसमें कौन दोषी है, किसी के खिलाफ कार्यवाही नहीं हुई है, उसकी लागत बढ़ रही है। लेकिन दुर्भावना के कारण

काम रोक दिया गया क्योंकि उनको नाम पसन्द नहीं होगा, जिले का नाम भी पसन्द नहीं था इसलिए विश्वविद्यालय का काम रोक दिया गया। इससे जनता में आक्रोश है। मान्यवर, नोएडा की आबादी के मामले में पिछले काफी समय से यहां पर नियमावली लम्बित पड़ी है, बुल्डोजर किसानों को तंग करने का काम करते हैं। आप नोएडा विकास प्राधिकरण को निर्देश दें कि जो नियमावली पड़ी है, उसे फाइनल करें। मान्यवर, किसानों को जमीन देने की व्यवस्था है कि डेवलपमेन्ट करने के बाद उससे ली गयी जमीन का 10 प्रतिशत उसे दिया जायेगा, यह काम भी सरकार नहीं कर रही है। किसान भटक रहे हैं। मैं चाहता हूं कि सरकार नोएडा विकास प्राधिकरण को निर्देश दे कि जो 10 प्रतिशत जमीन का आवंटन किसानों को होना है, वह किया जाय। मान्यवर, यह सरकार उद्योग विरोधी, जनता विरोधी और अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकार है इसलिए मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण का विरोधी करता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर मैं धन्यवाद अवश्य देता यदि इस अभिभाषण में महामहिम राज्यपाल जी के विवेक का इस्तेमाल हुआ होता। महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण को मैंने पूरा पड़ा तो यह लगा कि यह सरकारी दस्तावेज है और सरकारी दस्तावेज को महामहिम राज्यपाल जी ने बिना विवेक का इस्तेमाल करते हुए उसको केवल पढ़ने की औपचारिकता पूरी की है। इसलिए धन्यवाद देने का कोई औचित्य नहीं उठता। मान्यवर, आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि महामहिम राज्यपाल जी ने जो अभिभाषण दिया है और अभिभाषण पुस्तिका दी गयी है, उसका मैंने पूरा का पूरा अवलोकन किया है। महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण सरकार की हताशा, निराशा, कुण्ठा और असफलता को जाहिर करता है। मान्यवर, इस पूरे अभिभाषण में शुरुआत ही होती है, सरकार की कुण्ठा से।

मान्यवर, जब सरकार कुंठित भावना से कहती है कि उनको डेढ़ वर्ष के राजनीतिक निर्वसन के बाद सेवा करने का मौका मिला, महामहिम राज्यपाल जी ने अपने अभिभाषण में कहा था। यह सर्वविदित है कि तोड़-फोड़ के बलबूते पर बनी यह सरकार अपनी हताशा को जाहिर करके प्रदेश की जनता को गुमराह करना चाहती है। घड़ियाली आंसू बहाकर के जनता की चाहत पाने का प्रयास करती है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यह जगजाहिर हो गया है। महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में लाइन दर लाइन एक ही चीज की झलक मिलती है कि कहीं, निराशा, कहीं कुंठा और बार-बार इस तरह रोने के माध्यम से महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर धन्यवाद देने का प्रश्न ही नहीं उठता। मान्यवर, महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में कहा गया है कि एक ऐसा प्रदेश, आदर्श प्रदेश बनाने का सपना है जिससे कि इस प्रदेश का हर नागरिक दूसरे प्रदेश में सीना तानकर खड़ा हो सके। कथनी और करनी में एका लाने, की कूबत होनी चाहिए। वह तो है नहीं केवल कह देने से उत्तर प्रदेश की जनता का सीना नहीं तन जाएगा बल्कि उत्तर प्रदेश के लोग अमन, चैन महसूस करें, लोग कानून के राज की स्थापना को समझें तब जाकर के इस प्रदेश की जनता को अपने प्रदेश में भी शान से खड़े होने का मौका मिलेगा। दूसरे प्रदेशों में सीना तानकर खड़े होने का मौका मिलेगा। लेकिन जब इस प्रदेश की जनता अपने ही प्रदेश मे सीना तानकर खड़े होने लायक नहीं है क्योंकि उसे डर है कि उसकी हत्या कर दी जायेगी, उसे डर है कि उसका अपहरण हो जाएगा, फिरौती होगी, लूट होगी, डकैती होगी। कोई भी व्यक्ति आज महफूज नहीं है क्योंकि पूरे प्रदेश में जंगलराज है। इसलिए

महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में यह कहने से कि हमारे प्रदेश की जनता का भला होने वाला नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में यह कहने के बजाये इस बात को सुनिश्चित करते कि इस उत्तर प्रदेश में कानून का राज होगा। दहशत पैदा करने वाले कानून के शिकंजे में होंगे। गुंडे, अपराधी, माफिया जेल की सलाखों के पीछे होंगे। मैं कहना चाहता हूं कि जब गुंडे, माफिया, अपराधी सरकार के संरक्षण में बाहर होंगे सरकार उनको हीरो बनाकर सम्मानित करेगी तो स्वाभाविक है कि कानून की धज्जियां उड़ेंगी। स्वाभाविक है कि गुण्डे, माफियाओं के चलते प्रदेश में कानून का राज स्थापित नहीं हो सकता। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहूंगा कि महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में जो परिकल्पना की गयी है उसको अमली जामा पहनाने के लिए सरकार में ताकत होनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश की जनता से बढ़कर गुण्डे, माफिया अपराधी नहीं हैं। लेकिन आज जो कुछ हो रहा है वह आप सभी देख रहे हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी का भतीजा भी अपहरण का शिकार हो गया। प्रधान मंत्री का नाती भी हमले का शिकार हो गया। यह अपराधी, गुण्डाराज के कारण हुआ यह कितनी शर्मनाक बात है।

इसलिए मैं यह चाहूंगा कि यह जो महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में कोरी कल्पना के रूप में चाहत रखी गयी है उसका अमली जामा देने के लिए गुण्डों, माफियाओं और अपराधियों पर शिकंजा कसना होगा। जब तक इन पर शिकंजा नहीं कसा जायेगा, जब तक इनके मन में कानून का भय नहीं होगा, जेल जाने का भय नहीं होगा तब तक केवल बात कह देने से अपराध नहीं रुकेगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि वाकई में अगर सरकार चाहती कि कानून का राज हो और हम सीना तानकर चल सके तो उसके लिए उसके लायक माहौल बनाना होगा, वातावरण बनाना होगा। मान्यवर, आज पूरे उत्तर प्रदेश में भय और दहशत का माहौल है। लोग भय और दहशत में जी रहे हैं और भय और दहशत में जीने वाला व्यक्ति कभी भी सीना तानकर नहीं चल सकता। मान्यवर, मैं आपके मांध्यम से यह कह देना चाहता हूं कि बार-बार यह सरकार कुंठित भावना को जाहिर कर रही है। पिछली सरकार पर बार-बार उंगलियां उठाने की कुचेष्टा की जाती है। मैं यह कहना चाहता हूं कि पूर्ववर्ती सरकार ने अगर गलती की है तो एक बार नहीं हजार बार उठाओ लेकिन अपने अन्दर भी टटोल कर देखो कि उस समय क्या कानून का राज था और आज क्या है ? आज अपराधी छुट्टा सांड़ की तरह घूम रहा है। आज उसने उत्तर प्रदेश को चारागाह बना रखा है।

(व्यवधान)

श्री वसीम अहमद-

मान्यवर, स्वामी प्रसाद मौर्य जी को बोलने दें। वह इतना अच्छा बोलते है कि इनके साथी इनको छोड़कर चले गये हैं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इनको सावधान कर देना चाहता हूं कि अभी भी समय है आप चेत जाइये लेकिन यह मेरी हर बात को मजाक में उड़ा देना चाहते हैं। तो मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण में बार-बार आर्थिक तंगी का रोना रोया गया है और वित्तीय खस्ता हालत को देखते हुये शिकार बना लिया गया पूर्व के नवसृजित जनपदों और मण्डलों को। पूर्ववर्ती सरकार ने उत्तर प्रदेश के अति पिछड़े के हितों को ध्यान में रखते हुये, विकास को ध्यान में रखते हुये, जनता के हितों को ध्यान में रखते हुये बनाने का काम किया और इन्होंने उसको समाप्त

कर दिया। मैं कह देना चाहता हूं कि यह महामहिम श्री राज्यपाल जी का अभिभाषण अपने आप में विरोधाभास जाहिर करता है। एक तरफ तो वह यह कहते हैं कि आर्थिक तंगी को देखते हुये प्रदेश के नवसृजित 9 जनपदों और चार मण्डलों को समाप्त करने की घोषणा की जाती है और दूसरी तरफ पेज-6 पर देखें यह कहा जाता है कि मण्डल और जिलों के समापन से जिस अनुमानित राशि की बचत होगी उस रकम को इन्हीं क्षेत्रों के विकास पर खर्च कर देने की वचनबद्धता है। अगर उस धन को वहीं विकास पर खर्च करने की वचनबद्धता है तो जनता के हितों को ध्यान में रखते हुये नये जिले बनाये गये थे, मण्डल बनाये गये थे उसी से उनका विकास करते तो पैसे की तंगी की बात कहां आती है आर्थिक तंगी का रोना आप क्यों रोते हैं आप अपनी ही बात को अपनी ही जुबान से पलट देते हैं, आपने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में कहा कि प्रदेश के लोगों के विकास में अनेकों कल्याणकारी कदम उठाये जायेंगे, लेकिन दूसरी तरफ जो नये जिलों का सृजन था, मण्डलों का सृजन था, उसे खत्म कर रहे हैं, आप खुद विरोधाभास में फंसे हुए हैं, आप एक तरफ अपनी बात कहते हैं और दूसरी तरफ उसे काटते हैं इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह सरकार किंकर्तव्यविमूढ़ सरकार है, यह सरकार असमन्जस की सरकार है, यह सरकार आज निर्णय लेने की स्थिति में है ? आज यह सरकार हताशा की शिकार है, जिसके कारण सरकार आज कोई भी अपना स्पष्ट नजरिया साफ नहीं कर पा रही है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, आज पूरे प्रदेश में कानून की सुरक्षा करने वालों की संवेदनशीलता खत्म हो गयी है। इसी महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के पेज नं0-07 में जो कुछ कहा गया है, ठीक उसके उल्टे आज हो रहा है, आज अधिकारी बे-लगाम हो गए हैं, वही अधिकारी जो कल तक 24 घण्टे दिन-रात उत्तर प्रदेश की जनता की भलाई के लिए उनके विकास के लिए, दिन-रात एक करके काम किया करते थे, गैस, मोमबत्ती जला कर काम किया करते थे, आज उन्हीं अधिकारियों पर सरकार का कोई अंकुश नहीं रहा है, सरकार के निर्देश रद्दी की टोकरी में जाते हैं। आज अधिकारी जनता से नहीं मिलते हैं न ही उनके विकास का कोई कार्य करते हैं। आज चारों तरफ अफरा-तफरी का माहौल है, क्यों है ? वह इसलिए है क्योंकि वह जानते हैं कि जब सरकार का ही कोई काम नहीं है तो हम पर कौन अंकुश लगाने वाला है, इसलिए मनमानापन हो गया है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि आज इसका शिकार केवल विपक्ष ही नहीं है सत्ता पक्ष के लोग भी हो रहे हैं, यहां जितने भी लोग आये हैं कि चाहे जिस पक्ष के हों, सब चुने हुए जन प्रतिनिधि हैं, वह अपने-अपने विधान सभा के लाखों मतदाताओं और वहां के लोगों को उनकी चाहत के मुताबिक कोई भी विकास का कार्य नहीं करा पा रहे हैं। वह इस प्रदेश में विकास का कार्य सुनिश्चित कराने के लिए ही यहां आते हैं लेकिन मान्यवर आज हीला-हवाली का राज चल रहा है, कानून के रक्षक, भक्षक बन गए हैं। हम पिछली बातों को दोहराना चाहते हैं, लेकिन जालौन के कोंच में जो भी हुआ है, वह ठीक नहीं हुआ है, लेकिन हम इतना जरूर कहना चाहते हैं कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार अपने समाजवादी पार्टी के नताओं की रक्षा नहीं कर सकती है, अपने दल और परिवार की रक्षा नहीं कर सकती है, अपने समाज की रक्षा नहीं कर सकती है, इस प्रदेश का मुखिया अपने घर, परिवार और समाज की रक्षा नहीं कर सकता है तो उत्तर प्रदेश की रक्षा कैसे होगी ? इस पर सवालिया निशान लगता है। मैं आपके माध्यम से कह देना चाहता हूं कि आज पूरे प्रदेश में जो इस सरकार ने संकल्प किया है कि हम उत्तर प्रदेश में डकैती, बलात्कार, राहजनी, अपराध में कमी लायेंगे, उनमें मात्र कह देने से ही कमी नहीं आयेगी। बल्कि इस पर आपको कठोर निर्णय लेने होंगे। मान्यवर, जब तक

सरकार अपराधियों की छाया में रहेगी, तब तक कठोर निर्णय नहीं लिये जा सकते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि कानून से ऊपर कोई नहीं होता है, कोई कितना बड़ा गुण्डा माफिया क्यों न हो, चाहे उसके साथ राजा महाराजा का कितना बड़ा तमगा क्यों न लगा हो ? चाहे उसके पास कितनी बड़ी हवेली क्यों न हो, जो कानून के साथ खिलवाड़ करता है वह अपराधी होता है। ऐसे लोगों को आप हीरों बनायेंगे तो फिर अपराधों पर कमी करना कभी भी सम्भव नहीं हो सकेगा। तो यह जो दिखावा है इसको बंद कीजिये। कहना कुछ और करना कुछ-इसको आप बंद कीजिये। जो आप कानून के शासन की हिमायत करते हैं उसमें आप कठोर निर्णय लेने की क्षमता पैदा कीजिये।

इस महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण में अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों की बेहतरी के लिये बहुत रोना रोया गया है, हम उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिये अच्छा काम करें, यह हम आपसे कामना करते हैं। काम करने की तमन्ना होनी चाहिये। यहीं बगल में हजरतगंज में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिये छात्रावास है वह एक आदर्श छात्रावास है प्रदेश का। आज वहां सारी सुख सुविधायें खत्म की जा रही हैं। यहां की लाइब्रेरी में जो पत्र-पत्रिकायें आती है उनको छात्रों को मुहैय्या नहीं कराया जा रहा है। जो छात्रों की ट्रेनिंग के लिये कम्प्यूटरों की व्यवस्था थी, उसको अधीक्षक अपने घर उठा कर ले गये हैं। मेरा कहना है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा जो व्यवस्थायें वहां उपलब्ध करायी गयी थी आज द्वेष की भावना से ग्रस्त होकर वहां के अधिकारी उसको अपने निजी प्रयोग में ला रहे हैं। अगर इस सरकार में हिम्मत है तो उसको गम्भीरता से लेने का काम करे। जो अधिकारी सरकार पर बदनुमा दाग लगा रहे हैं उन अधिकारियों के खिलाफ आप कड़ी कार्यवाही करें। यह हो सकता है कि आपकी मंशा साफ हो, लेकिन तब तक आपकी मंशा साफ नहीं हो सकती है जब तक गलत काम करने वाले अधिकारियों को आप सजा नहीं देंगे। अगर अधिकारी आपकी जानकारी में गलत काम करते रहेंगे और उन पर कोई कार्यवाही नहीं होगी तो वह और मनमाने तरीके से काम करते रहेंगे और आपको हंसी का पात्र बनायेंगे।

मान्यवर, इस महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में चिन्ता जाहिर की गयी है किसानों की और उनको लाभकारी मूल्य दिलाने की, लेकिन मान्यवर, इस पूरे महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण की मैंने एक-एक लाइन पढ़ी, रोना तो बहुत रोया गया है कि हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है, लेकिन उन किसानों के लिये उनकी बेहतरी के लिये इसमें कोई भी योजना सुनिश्चित नहीं की गयी है। इसमें उनको लाभकारी मूल्य दिलाने की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है, फसलों के दाम का कोई जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन केवल घड़ियाली आंसू बहा देने से किसानों की हितैषी सरकार हो सकेगी ऐसा कभी सम्भव नहीं है। आज हमें इन सारी चीजों की गहराइयों पर जाना होगा। इस अभिभाषण में समग्र ग्राम्य विकास योजना की बात आयी है। मैंने बार-बार इस बात को कहा है कि सरकार में काम करने का एक हौसला होना चाहिए और उस हौसले के साथ उसकी कोई एक ठोस नीति होनी चाहिये। हवा में तीर चला देने से काम होने वाला नहीं है। माननीय मुख्य मंत्री जी इस सदन में कह चुके हैं कि अम्बेडकर ग्राम योजना हमारी चलाई हुई थी, किसने आपत्ति जाहिर किया कि आपकी चलाई हुई नहीं थी, लेकिन आज अम्बेडकर ग्राम योजना आपने खत्म क्यों कर दी यह सवालिया निशान उठता है। अगर आपकी नीयत साफ है।

(व्यवधान होने पर)

श्री अधिष्ठाता-

कृपया शान्त रहें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं सत्ता पक्ष के अपने भाइयों को बता देना चाहता हूं कि मैं एक-एक लाइन पढ़ा हूं और मैं यह मानता हूं कि आपसे ज्यादा नहीं तो कम भी पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन अगर अम्बेडकर ग्राम योजना आपके द्वारा शुरू की गयी थी तो आपको चलाना चाहिए था। आप अम्बेडकर ग्राम विकास योजना का नाम बदल करके क्या संदेश देना चाहते हैं ? क्या इस देश के ऐसे महापुरुष जिसके द्वारा लिखे हुए संविधान से देश संचालित होता है यह उनके नाम पर था इसलिए बदल दिया गया। ग्राम का विकास तो उसमें भी हो रहा था और इसमें भी हो रहा है तो मैं कह देना चाहता हूं कि एक महापुरुष के नाम पर विकास कार्य चल रहा था तो उसको खत्म करने का प्रश्न क्यों पैदा हो गया ? यह आपके सोचने का विषय है। विशेष करके राम करन जी हमारे साथी हैं मैं उनका सम्मान करता हूं क्योंकि वह कभी-कभी डा0 अम्बेडकर के मिशन की बात करते हैं लेकिन कभी-कभी अपना विवेक खो देते हैं। मैं चाहूंगा कि भाई राम करन जी इस मामले में गम्भीर हो जाया करें।

इस महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में बड़ी प्रसन्नता जाहिर की गयी है उत्तर प्रदेश विकास परिषद् का गठन करके कि इसके तमाम अच्छे-अच्छे निर्णय सरकार के आ रहे हैं और जल्दी ही उत्तर प्रदेश की जनता इससे राहत महसूस करेगी। मान्यवर, महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर मैं धन्यवाद देता अगर ये अपने विवेक का इस्तेमाल किये होते। मान्यवर, यह उत्तर प्रदेश विकास परिषद् नहीं उत्तर प्रदेश बिक्री परिषद् बन गया है और उत्तर प्रदेश विकास परिषद् के नाम पर यह सरकार उत्तर प्रदेश के जाने माने पूंजीपतियों को उत्तर प्रदेश विकास परिषद् में रखकर उत्तर प्रदेश के जाने माने प्रतिष्ठानों को एक-एक करके पूंजीपतियों के हवाले कर दे रही है। इसलिए यह कहना बड़ी बात नहीं होगी कि उत्तर प्रदेश विकास परिषद् नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश बिक्री परिषद् है। अब एक-एक करके उत्तर प्रदेश के यह जो महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान हैं ऊर्जा का इसे आप अपने विकास परिषद् के किसी सदस्य के हवाले कर रहे हैं।

आवास उत्तर प्रदेश विकास परिषद् के किसी सदस्य के हवाले कर रहे हैं, पर्यटन उत्तर प्रदेश विकास परिषद् के किसी सदस्य के हवाले कर रहे हैं। आखिर आप क्या संदेश देना चाहते हैं ? मान्यवर, गुस्ताखी माफ हो एक हमारे दोस्त ने कहा कि वह सदस्य कौन हैं तो मैं सदस्य नाम बता दे रहा हूं आप अगर निर्देश दें ?

श्री अधिष्ठाता-

जो इस माननीय सदन के सदस्य नहीं हैं उनका नाम न लें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, आपने बता दिया इसलिए नाम नहीं लूंगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो उत्तर प्रदेश विकास परिषद् का गठन है। यह उत्तर प्रदेश विकास परिषद् का गठन उत्तर प्रदेश सरकार का बड़े-बड़े पूंजीपतियों के सामने आत्मसमर्पण है। इसका गठन इसलिये हुआ है कि जनता की गाढ़ी कमाई को मौजमस्ती में उड़ा डालो। यह प्रदेश सरकार ने बड़े-बड़े पूंजीपतियों के सामने घुटना टेक दिया है और यह घुटनाटेक सरकार इसी कारण कोई भी निर्णय नहीं ले पा रही है, इसलिये मैं कहना चाहता हूं जो राज्यपाल जी के अभिभाषण का अन्तिम सिरा है, वहां पर महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में आया है कि देश की आजादी के बाद यानि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रथम प्रदेश है, जिसने हिन्दी को देवनागरी लिपि के रूप में स्वीकार किया, यह तो अच्छी बात है,

लेकिन वह सरकार, जिस सरकार के मुखिया ने कभी अंग्रेजी हटाओ, अंग्रेजियत मिटाओ का नारा दिया था, आज हिन्दी को देवनागरी लिपि के रूप में पहला स्थान पाने का दम भरने वाले मुखिया आज उसी अंग्रेजी को वापस लाने का काम कर रहे हैं। मान्यवर, पूर्ववर्ती सरकार ने प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित किंग जार्ज मेडिकल कालेज का नाम बदलकर छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय बनाने का काम किया और उसे विश्वविद्यालय के रूप स्थापित करके प्रदेश का ही नहीं, अपितु देश का एक अच्छा चिकित्सा केन्द्र बनाने का प्रयास किया था, तो हिन्दी की दुहाई देने वाले लोहिया जी के आन्दोलन में अंग्रेजी को मिटाने वाले लोग आज अंग्रेजों की गुलामी करने के लिये तैयार हो गये हैं और फिर से किंग जार्ज का नाम वापस ला दिये हैं। इस सरकार में आज कोई निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, यह सरकार जो कहती है, वह कभी करती नहीं है। यानि सरकार का चरित्र दोगला है, यह दोगली सरकार है।

श्री अधिष्ठाता-

अब कृपया समाप्त करें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

इसलिये महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर वैसे तो मैं धन्यवाद देता, गर्व महसूस करता, लेकिन चूंकि महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण सरकारी दस्तावेज के रूप में आया है, इससे हमने देखा कि उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह करने वाला सन्देश यहां पर पढ़ा गया है। मान्यवर, यह इस सरकार की हताशा, निराशा, कुंठा को राज्यपाल के द्वारा व्यक्त किया गया, इसलिए धन्यवाद देने का प्रश्न नहीं उठता। मैं इस पर क्षोभ व्यक्त करता हूं, ऐसा अभिभाषण महामहिम राज्यपाल जी को इस माननीय सदन में नहीं रखना चाहिये था। मान्यवर, आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया, इसके लिये धन्यवाद।

श्री मदन चौहान-

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के वक्तव्य का स्वागत करते हुए कुछ बातों पर अपना सुझाव देना चाहूंगा। अभी हमारे एक वरिष्ठ सदस्य ने जो पूर्व में मंत्री भी रहे हैं, जिले समाप्त करने की आलोचना में कुछ बातें कही हैं। मैं पीठ के माध्यम से कहना चाहता हूं कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा, चूंकि मैं वहां का निवासी हूं और वहां से परिचित भी हूं। यदि हम नोएडा प्राधिकरण और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को वहां से हटा दें तो जिले की क्या मान्यता होगी ? यह चिन्तन का विषय है और इस बीच में आज भी बहुत सी सुविधाएं वहां जारी हैं वह चाहे एस0एस0पी0 की हो या डी0एम0 की। जब माननीय सदस्य मंत्री थे तब वहां पर क्या हाल था ? भ्रष्टाचार किस सीमा तक था, किसानों के साथ क्या-क्या नहीं हुआ, उनको आवंटित प्लाट, भूखण्ड निरस्तीकरण कर दिये गये और फिर पूर्व सरकार में मुख्य मंत्री के भाई ने एक-एक लाख रुपये ले करके उनको बहाल किया और जिसने पैसा नहीं दिया उसको बहाल आज तक नहीं किया गया, जांच चल रही है, जांच में दोषी भी पाये जाते हैं। नागर साहब उस समय आप मंत्री थे, आपने आवाज भी नहीं उठायी, यह बड़े दुःख की बात है। जिन माफियाओं का शिकंजा कसा हुआ था भूखण्डों को बेचने का, लूट-खसोट जो जारी थी उस पर अंकुश जरूर लगा है और यदि आपने उस वक्त का कहीं पर टी0वी0दृश्य देखा हो तो देखा होगा कि सरकार की नीति से नोएडा, ग्रेटर नोएडा के आदमी खुश थे। जो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे उन्होने

टी0वी0 पर अपना प्रदर्शन किया, आम आदमी उसमें कोई मौजूद नहीं था। उसमें एक रैकेट चल रहा था, लोग रैकेट के नाम पर माफियागीरी कर रहे थे। व्यापारियों को हास्टल में लड़कियों के साथ जो छेड़छाड़ की गयी उसका विरोध किया। इसलिए यह कार्य हमारे प्रदेश के हित में है। अभी विपक्ष में बैठे सदस्य श्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कई बातें कही हैं। कथनी और करनी में सरकार की बिल्कुल अन्तर नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में पूर्व सरकार ने शिक्षकों की कितनी कमी थी, कितना स्तर गिर गया था। आज भर्ती की पूरी योजना है और शिक्षा मित्रों के माध्यम से स्तर को उठाने का कार्य किया जा रहा है। शिक्षा का माध्यम ही ऐसा है जो समाज को एक अच्छी दिशा दे सकता है। अभी चिकित्सा के क्षेत्र में हमारे आदमी अस्पताल जाते थे उसकी क्या व्यवस्था थी और आज क्या व्यवस्था है, इस प्रकार से सरकार की मंशा जगजाहिर है। अभी चूंकि हमारे प्रदेश में बेरोजगारी का जो आलम है वास्तव में वह बहुत अधिक है। टाउनशिप विकसित होता है तो निश्चित रूप से बहुत से लोगों को रोजगार मिलेगा, सरकार का यह कदम भी स्वागत योग्य है। विद्युत आपूर्ति की बात थी, पिछली बार किसान और आम नागरिक को कितनी तंगी हुई है, उसके लिए सरकार ने 14 घण्टे की बिजली सुनिश्चित की है, यह भी स्वागत योग्य कदम है। जो औद्योगिक विकास परिषद् के माध्यम से 3500 मेगावाट का प्रोजेक्ट लाया जा रहा है, वह भी अपने आप में स्वागत योग्य है। इसमें मेरा एक सुझाव है माननीय अधिष्ठाता महोदय, अब इम्तहान का समय आ रहा है यदि ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति सायं 6.00 बजे से 9-10.00 बजे तक गांवों में कर दी जाय तो जो छात्र-छात्रायें हैं उनके लिये एक अच्छा कदम साबित होगा। मान्यवर, गन्ना किसानों का जो भुगतान हुआ है इस सरकार में, इससे पहले आज की तारीख तक इतना भुगतान नहीं हुआ करता था। आज पेराई 300 लाख टन है, पहले ये दो सौ से ढाई सौ टन हुआ करता था। इससे निश्चित रूप से किसानों को राहत मिली है। मेरा एक सुझाव है कि गन्ने की जो रिकवरी तय की जाती है जिससे उसका मूल्य निर्धारित किया जाता है तो प्रत्येक मिल में जन प्रतिनिधियों को शामिल करते हुये कड़ी निगरानी में उस रिकवरी को तय किया जाये क्योंकि इससे मूल्य में फर्क पड़ता है। किसी मिल में रिकवरी बढ़ जाती है, किसी में कम हो जाती है। जो उस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि हो उसकी भागीदारी सुनिश्चित की जाये। मान्यवर, गाजियाबाद जनपद की खोड़ा कालोनी जिसकी आबादी 5 लाख है, छोटा सा कस्बा है उसमें वे लोग ज्यादा हैं जो बेरोजगार हैं वहां की स्थिति बहुत जर्जर है। वहां पीने के पानी व जल निकासी की व्यवस्था की जाय तो खोड़ा निवासियों के लिये रामबाण का काम करेगा। हमारी सरकार ने पर्यावरण की तरफ भी ध्यान दिया है। मान्यवर, हमारे क्षेत्र में जो सिम्भावली चीनी मिल है, उसका पानी गंगा में गिरता है। गंगा को हम पवित्र मानते हैं। अगर अंकुश नहीं लगेगा तो गन्दा पानी मवेशियों और आम जनता के लिये भी हितकर नहीं है।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया समाप्त करें।

श्री मदन चौहान-

पर्यावरण को सुधारने के लिये मिल पर अंकुश लगाया जाना चाहिये। मान्यवर, इसी के साथ मैं इस सरकार की नीतियों के साथ अपने को सम्बद्ध करते हुये महामहिम राजयपाल जी के अभिभाषण का स्वागत करते हुये धन्यवाद देता हूं।

*डा0 सुशील चौधरी-

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। अभी मेरे से पूर्व बड़े लम्बे-चौड़े भाषण दिये जा रहे थे, किसानों की भलाई के ऊपर, कानून-व्यवस्था के ऊपर और प्रदेश की जनता की भलाई के लिये। लेकिन जब वे लोग सत्ता में थे तो इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। गन्ना किसानों का लगभग 1700 करोड़ रुपया बकाया था। पिछले 14-15 सालों में कोई सरकार ऐसी नहीं आयी जिसने विद्युत व्यवस्था को बढ़ाने का काम किया हो। मैं इस सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि कम से कम पूंजीपतियों के सहारे ही सही 3500 मेगावाट का उत्पादन बढ़ायेंगे। इसके अलावा इण्टर कालेज तक के छात्र-छात्राओं की फीस माफी की घोषणा इस सदन में की है। इससे भी मैं समझता हूं कि गरीब लोगों के बच्चों को पढ़ने का अवसर मिलेगा। वैसे भी हमारे प्रदेश के अन्दर मैं समझता हूं कि जो शिक्षा की दर है वह पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार के बाद तीसरे स्थान पर है। मान्यवर, कोई भी सरकार आये वह 6 महीनों में कायापलट नहीं कर सकती है। सरकार को 2-3 सालों का मौका मिलना चाहिये। आप सरकार को मौका दें उसके बाद देखें कि वह कितनी खरी उतरती है। सरकार को अभी 6 महीने भी बने नहीं हुये हैं उसकी इतनी आलोचना ठीक नहीं है। आपकी सरकार डेढ़ साल रही है उस दौरान जो जनता को घुटन महसूस हुयी है यहां तक कि विधान सभा के माननीय सदस्यों को भी बोलने का अधिकार नहीं था। आपने देखा होगा कि इलाहाबाद के विधायक का कोई दोष नहीं था लेकिन उन पर पोटा लगा दिया गया था। आपका लोकतंत्र भी मैंने देखा है। प्रदेश की जनता सारी चीजें देखती है और वह समय आने पर फैसला करेगी।

किसान खेती देखता है लेकिन वह खेती के साथ-साथ प्रदेश की राजनीति भी देखता है। किसान इतना बेवकूफ नहीं हैं कि उसको कोई सरकार बेवकूफ बना दें। जो भी आदमी किसान की बात करेगा, किसान का काम करेगा उसके बारे में किसान सोचेगा। इसलिये मेरा कहना है कि अभी सरकार को अवसर दीजिये यह सरकार निश्चित रूप से जनता का भला करेगी। जहां तक जनपदों और मंडलों को समाप्त करने की बात है यहां पर कहा गया कि 3750 करोड़ रुपये की बचत प्रदेश को हुयी है इनके खत्म करने से। मेरी समझ में नहीं आता है कि सारे जिलों के आई0 ए0 एस0 और अधिकारी में से किसी की नौकरी खत्म नहीं की गयी है तो बचत कहां से हो गयी ? बचत का यह कौन सा तरीका है ? अगर बचत का यही तरीका है तो 61 जिलों को भी खत्म कर दीजिये 10 हजार करोड़ रुपये की बचत हो जायेगी। मेरा सुझाव है कि जनपदों और मंडलों को समाप्त नहीं होना चाहिये था क्योंकि यह जनता की सुविधा के लिये बनाये गये हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। जयहिन्द।

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी'-

मान्यवर, मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद के प्रस्ताव का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं केवल 4 बिन्दुओं को स्पष्ट करना चाहता हूं। अभिभाषण में कहा गया है कि विकराल झंझावतों से गुजर कर मेरी सरकार पदारूढ़ हुयी है। मैं चाहता हूं कि यह समझ लिया जाय कि सरकार के पदारूढ़ होने के कारण क्या थे। विधायक के मन में यह भावना थी कि कहीं मायावती जी की सरकार विधान सभा को भंग न कर दे और विधान सभा भंग होने की मंशा

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जाहिर होते ही भा0 ज0 पा0 ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया। अगर मुलायम सिंह की सरकार बनी तो उसका कारण यह था कि विधान सभा भंग नहीं होगी यह अपना कार्यकाल पूरा करेगी। आज यह चर्चा गर्म है कि विधान सभा जल्द ही भंग कर दी जायेगी और लोक सभा के साथ ही विधान सभा के चुनाव होंगे। मैं केवल इतना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री इसी सदन में स्पष्ट घोषणा करें कि विधान सभा भंग की जायेगी अथवा नहीं यह आश्वस्त करना जरूरी है कि विधान सभा समय के पहले भंग नहीं की जायेगी। अभिभाषण में यह कहा गया है कि शान्ति व्यवस्था बनाये रखने में मेरी सरकार द्वारा प्रभावी कार्यवाही की गयी है। शान्ति व्यवस्था के बारे में नेता विरोधी दल और अन्य दलों के नेताओं ने बहुत सारी बातें कही हैं। आज अपराध की गति तेजी से बढ़ रही है। आज अपराध की एक नई शक्ल आजमगढ़, गाजीपुर, जौनपुर इन तीन जिलों की सीमा पर 25 कि0 मी0 क्षेत्र में पैदा हुई है। यहां पर एक अलग प्रकार का अपराध बढ़ रहा है। अपराधी मंदिरों में घुसकर मूर्तियों को लूट रहे हैं और साधु सन्तों का कत्ल कर रहे हैं। यह गोरी, गजनी और बाबर के कृत्यों को दोहराया जा रहा है। लूट-पाट करके साधु सन्तों को मार डालो ऐसा गोरी, गजनी द्वारा किया जाता था। यहां इन जिलों में चार हजार से ज्यादा पौराणिक महत्व के मंदिर और मठ है और यहां पौराणिक कब तक की मूर्तियां स्थापित हैं। इन मंदिरों के साधू सन्तों में भय व्याप्त है। इसी कारण जनता में भी एक प्रकार की भय की भावना उत्पन्न हो गई है। आतंकवादी घटनायें कर रहे हैं और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। एक जिले की पुलिस का दूसरे जिले से तालमेल नहीं है। एक थाने का दूसरे थाने से तालमेल नहीं है। घटना एक जिले में होती है और वारदात करने वाले वारदात करके दूसरे जिले में भाग जाते हैं। इन घटनाओं पर रोक के लिये पुलिस अधिकारियों की एक टीम बनानी चाहिये जो जिलों में जाकर देखे कि कौन-कौन लोग घटनायें कर रहे हैं। किस उद्देश्य से कर रहे हैं। अन्यथा तीनों जिलों में असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो गई है साधु सन्त भयभीत हैं। यह घटनायें बनारस तक बढ़ सकती हैं। गोरी, गजनी और बाबर ने साधु सन्तों को मारकर मंदिरों मठों को लूटा था लेकिन अब स्वतंत्र भारत में अपनी सरकार के नीचे यह कृत्य नहीं होना चाहिये। इसे रोका जाना चाहिये। गाजीपुर के सादात में एक ही पखवारे में दो मंदिरों के पुजारियों की हत्या कर दी गई और बहुमूल्य मूर्तियां लूट ली गईं। सबा में मठ के महन्त की हत्या की और लूट भी हुई। आजमगढ़ के मार्टिनगंज ब्लाक में 13 साधु मारे जाते हैं। तीन अक्टूबर में मंड़ियाहू कोतवाली जौनपुर सरनपुर में आश्रम में साधुओं की हत्या कर दी गई। 28 नवम्बर को बारा गांव के योगेश्वर कुटी में महन्त नन्हें महाराज और उनके दो शिष्यों राम आसरे निषाद और कन्हैया लाल को मार डाला गया। 22 दिसम्बर को जफराबाद क्षेत्र के रामनगर मडसरा गांव में स्थित राम जानकी मंदिर के बाबा बजरंगदास, बाबा रामपाल दास की हत्या कर दी गई। 24 दिसम्बर को जौनपुर के ही नेवढ़िया क्षेत्र के गुतवान गांव के बाबा भृगुदास की हत्या कर दी गई और मूर्तियों को लूटकर ले गये। यह कुछ घटनायें ऐसी हैं जिनका मैंने उल्लेख किया है। बीस मंदिरों की सूचना प्रकाश में आ गयी है जो कि अखबार में भी छपी है। इसी सन्दर्भ में मुझे आंवक की एक घटना याद आ गयी। जहां पर कि शादी ब्याह, त्यौहार पर्व कुछ भी नहीं मनाया जा पाता था। जमींनदारों का इतना ज्यादा आतंक था। उस गांव में एक बाबा अखड़ दास आ गये और वहीं कुटी बनाकर रहने लगे और पूजा पाट, शादी ब्याह, पर्व त्यौहार अवती कुटी पर करवाने लगे। गांव वालों ने उनसे कहा कि गांव छोड़कर चले जाओ लेकिन वे नहीं गये। लोगों ने उनकी कुटी को चारों तरफ से घेरकर बरछे भाले से घेर लिया और उनकी कुटी में आग लगा दी। बाबा अखड़दास उसी कुटी में जिन्दा जल गये। ऐसी घटनायें इन जिलों में हुई है। मैं चाहूंगा कि यह बहुत गम्भीर मामला है इसमें

एक टीम प्रदेश स्तर की होनी चाहिये जो इन तीन जिलों का व्यापक दौरा करके देखे और यहां की स्थिति को नियंत्रण में रखें और अपराधियों को पकड़ा जाय। तीसरा बिन्दु मैं यह कहना चाहता हूं कि अभिभाषण में यह कहा गया हे कि मेरी सरकार अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कल्याण के लिये प्रतिबद्ध है।

मैं समझता हूं कि इस नाते भी मैं इसको बहुत गलत मानता हूं। आज देश में गल्ला बहुत पैदा हो रहा है, दुनिया को हम दे रहे हैं। कोई कमी नहीं है। ऐसी हालत में बुन्देलखण्ड के बांदा और चित्रकूट जिलों में बनवासी और गिरीवासी क्षेत्रों में लोग भुखमरी से मर रहे हैं। भुखमरी से तंग आकर कोई ट्रेन के नीचे कटकर मर रहा है, कोई जहर खाकर मर रहा है ? कोई परिवार के लोगों की हत्या करके फिर खुद भी मर रहा है। मैं समझता हूं कि यह बहुत शर्मनाक स्थिति है। किसान अनाज पैदा कर रहा है, भारत सरकार भेज रही है और प्रदेश सरकार गरीबों तक अनाज नहीं पहुंचा पा रही है। ऐसी हालत में, जब भारत सरकार ने कहा है अति निर्धन को प्रतिमाह 24 किलो राशन और गरीबी की रेखा से नीचे वालों को 2 रुपये किलो गेहूं और 3 रुपये किलो चावल दे रही है परन्तु इसमें लोगों को क्यों नहीं मिल पा रहा है ? आप कम से कम लोगों को रोजगार देने के लिये भी जिलों में, क्षेत्र में कोई योजना नहीं चल रही है। भुखमरी से तंग आकर लोग घर छोड़कर पलायन कर जा रहे हैं। युद्ध स्तर पर कार्य योजनायें चलाई जायें ताकि वह सस्ता अनाज खरीद कर अपने प्राण बचा सके। गरीबों में बंटने वाला राशन ब्लैक हो रहा है। आश्चर्य है कि भारत सरकार भेज रही है और राज्य सरकार उसको वितरित नहीं कर पा रही है। माननीय मुख्य मंत्री जी बैठे नहीं है लेकिन और बहुत से मंत्री लोग बैठे हैं जो कि वरिष्ठ हैं। इलाहाबाद के पड़ोस में चित्रकूट और बांदा है वहां पर किसान भुखमरी की हालत में है। भारत सरकार मदद देने के लिये तैयार है आप उसको प्राप्त करके बांटिये। चौथा बिन्दु यह कहना चाहता हूं कि प्रदेश के विकास की बात चली तो राज्य सरकार के द्वारा एक समिति इसके लिये बना दी गई और समिति ने निर्णय किया है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि फिर यह मंत्री लोग क्या करेंगे ? यह पैरेलेल सरकार बनाने की क्या जरूरत थी ? प्रकाश में आया है कि मनोरंजन विभाग श्री अमिताभ बच्चन जी देखेंगे। बिजली विभाग श्री अम्बानी साहब देखेंगे। आवास एवं नगर विकास विभाग इसको सहारा के श्री सुब्रतो राय जी देखेंगे। आपने जब इस तरह से यह काम दे दिये हैं तो मैं समझता हूं कि मंत्री जी हमारे रेवती रमण जी, श्री माता प्रसाद पाण्डेय जी क्या करेंगे ? इन लोगों की जगह दूसरी सरकार खड़ी कर दी गई है। मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह से काम नहीं बनेगा। बात नहीं बनेगी। मैं डा0 राम मनोहर लोहिया जी के साथ बहुत समय रहा हूं। मेरी पार्टी दूसरी थी लेकिन मेरा उनसे सम्पर्क था। मैं उनके बहुत से विचारों से सहमत रहा हूं।

डा0 लोहिया ने लिखा है कि राम ने उत्तर दक्षिण तक श्री कृष्ण ने पश्चिम से पूरब तक देश को जोड़ा। शंकर ने कण-कण का विकास किया। उनके अनुसार शंकर कोई काल्पनिक देवता नहीं थे। उन्होंने ऐसा काम किया कि वह शिव कहलाए। लोहिया जी ने कहा था कि "कमाने वाला खाएगा और लूटने वाला जाएगा," लेकिन सपा सरकार ने किया है कि लूटने वाला खाएगा और कमाने वाला जाएगा सपा सरकार में लूटने वाला खा रहा है और कमाने वाला जा रहा है। बुन्देलखण्ड चित्रकूट में कमाने वाला जा रहा था और लखनऊ में लूटने वाला खा रहा है। मैंने चार बिन्दु रखे हैं इन चार बिन्दुओं पर शासन का ध्यान आकर्षित करता हूं और धन्यवाद का प्रस्ताव जो रखा गया है उसका विरोध करता हूं।

श्री सलिल विशनोई-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के विरोध में बोलने के लिए मौका दिया। इस सदन के माध्यम से बार-बार अपने उद्बोधन में कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश को औद्योगिक क्षेत्र बनाने की इच्छा है। सरकार की जो नीतियां चल रही हैं उससे जो उद्योग लगे हैं वह कम हो रहे हैं। कानपुर को उद्योग की राजधानी कहा जाता है। उद्योग की कोई बात होती है तो वह कानपुर से प्रारम्भ होती है। कानपुर की सूती मिलें बन्द हो चुकी हैं जो चल रही हैं वह आखिरी सांस पर चल रही है। मान्यवर, डंकन की खाद फैक्ट्री बन्द हो गई है उसके ऊपर बिजली का करोड़ों रुपया बाकी है। एल0एम0एल0 की एन्सोलरी यूनिटें बन्दी के कगार पर है शासन की ओर से कोई प्रोत्साहन बन्द इकाइयों को नहीं दिया जा रहा है जिससे वहां काम करने वाले मजबूर होकर बेरोजगारी की कगार पर हैं। भूखे मर रहे हैं मेहनत मजदूरी करके या फिर अपराध की दुनिया में प्रवेश करके जीवन यापन कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में यू0पी0एस0आई0डी0सी0 उद्योगों के विकास का कार्य करता है। यू0पी0एस0आई0डी0सी0 से उद्यमियों को जमीन दी जाती है लेकिन इसमें तमाम शर्तें होती हैं पूरा पैसा अदा करने के बाद भी वह उसका प्रयोग सुविधानुसार नहीं कर पाता है जब बीमार इकाईयां जो होती हैं उसका छोटा हिस्सा भी किराए पर नहीं दे सकते हैं जमीन लीज पर दी गई होती हैं। इस कारण तमाम शर्तें लाद दी जाती है। मेरा सरकार को सुझाव है कि यू0पी0एस0आई0डी0सी0 को निर्देशित किया जाए कि दस साल से अधिक समय जो उत्पादन ईकाइयां हों, वह उद्योग बदल सकते हैं अगर वह उद्योग बदलना चाहते हैं तो उनको अनुमति दी जाए। फ्री होल्ड कर दिया जाए। कानपुर एक महानगर है यहां के शहरी क्षेत्र के 19 विधायक हैं उनको 100 हैण्डपम्प नहीं दिए जायेंगे। पांच गांवों के विद्युतीकरण के बराबर की राशि विद्युत व्यवस्था को सुधारने के लिए नहीं दी जाएगी। जबकि ऐसी घोषणा की गई थी। इसके अलावा जो पी0डब्लू0डी0 की सड़क लोक निर्माण मंत्री जी ने जो घोषणा की थी वह नहीं दी जाएगी। जो शहरी 19 विधायक हैं उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है या तो 19 विधायकों की सदस्यता ही समाप्त कर दें अन्यथा उनके क्षेत्रों को समान रूप से विकसित किया जाये। सरकार ने जिला मण्डल कम कर दिए कि खर्चा कम हो जाएगा। 19 विधायकों की सदस्यता भी समाप्त कर देनी चाहिए जिससे सरकार का खर्च भी कम हो जायेगा। शहरी क्षेत्रों के विधायक अपनी जनता को क्या सुविधा दे पायेंगे। एक ओर आप 100 हैण्ड पम्प देने की घोषणा करते हैं, जब हम जनता के बीच में जाते हैं तो वह पूछती है कि हैण्डपम्प कहां लग रहे हैं। यह व्यवस्था आपने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए की है। हम गांवों के विकास के विरोध में नहीं हैं। 25 हैण्डपम्प मुख्य मंत्री जी ने विशेष अनुकम्पा के आधार पर ग्राम्य विकास विभाग से दिए थे, जब सूची जल निगम पहुंची तो कहा गया कि यह ग्राम्य विकास विभाग से आये हैं, आप शहर के विधायक हैं, आपकी सूची नगर विकास विभाग से आनी चाहिए। यह शहरी क्षेत्र के विधायकों के साथ भेदभाव हो रहा है। मुझे लग रहा है कि यह सरकार गांवों के उत्थान की अपेक्षा शहरों को देहात बनाने की ओर ज्यादा अग्रसर है, इसके लिए इनकी एक सुनियोजित योजना चल रही है। मान्यवर, कानपुर में बिजली व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है, उद्योग बन्द हो रहे हैं सीवर व्यवस्था बहुत पुरानी है यातायात व्यवस्था भी ध्वस्त है। इस सरकार की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। राज्यपाल जी का अभिभाषण तो मात्र औपचारिकता है, इसलिए धन्यवाद देने का औचित्य नहीं रह जाता है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं। कानपुर शहर उद्योग के क्षेत्र में शिरमौर था लेकिन आज प्रदूषण के क्षेत्र में शिरमौर है। वहां पर जो टेनरियां चल रही हैं, उनका

अवशेष रिसाइकिलिंग होकर बहना चाहिए लेकिन वह सीधे-सीधे गंगा में बहाया जा रहा है, इस उत्प्रवाह को रोकने के लिए सरकार को आप निर्देशित करें जिससे बीमारियों को रोका जा सके। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जो 9 जिले और मण्डल समाप्त किए गये हैं, उसमें औरैया जिले के साथ बड़ा अन्याय हुआ है। औरैया की ओर अनाज की बहुत बड़ी मण्डी है, जो जिले समाप्त किए गये हैं उसमें नोएडा को छोड़कर सबसे ज्यादा राजस्व औरैया देता था। कन्नौज और बागपत की आबादी औरैया से बहुत कम है लेकिन औरैया का दोष केवल इतना है कि वहां की जनता ने पिछले विधान सभा चुनाव में किसी भी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को विधायक चुनकर नहीं भेजा है। मान्यवर, औरैया का केवल यह दोष है उसके पास अखिलेश सिंह और अजीत सिंह जैसे सांसद नहीं है। मैं मांग करता हूं कि कन्नौज और बागपत की तरह ही औरैया को भी बहाल किया जाए। मान्यवर, अपहरण उद्योग की तरह फैल रहा है, कानपुर में अपहरण की कई घटनाएं हुई हैं, बड़ी चिन्ताजनक स्थिति हो रही है। इसे रोका जाए और सरकार की कथनी और करनी में जो अन्तर है उसको दूर किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर विरोध व्यक्त करता हूं।

श्रम मंत्री (श्री माता प्रसाद पाण्डेय)-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जब महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर चर्चा चल रही थी तो माननीय सदस्यों ने अपने विचार जिन रूपों में व्यक्त किए उससे यह लग रहा था कि किसी न किसी प्रकार इस अभिभाषण पर सब सहमत हैं। इस अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव गिरि जी ने प्रस्तुत किया है, उसके पक्ष मे मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

मान्यवर, जो प्रदेश में ठहराव था, जो कुंठा थी उस कुंठा को समझ करके प्रवाह को गति देते हुये यह अभिभाषण है। अगर इसको आप गम्भीरता से देखेंगे तो इसमें सारी नीतियों को जिससे इस प्रदेश का विकास हो, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में व्यक्त किया गया है। अभी कानून व्यवस्था की बात हो, चाहे विकास की बात हो, चाहे बेरोजगारी की बात हो इस बात पर कुछ न कुछ इसमें निर्देश हुए हैं। आप स्वतः जानते हैं कि यह जो महामहिम का अभिभाषण है यह सरकार के आने वाले दिनों में क्या दृष्टि है उसका प्रतिबिम्ब भी है। बड़ी चर्चा हुयी कि आतंक का राज नहीं बल्कि यह कहा गया कि अराजकता का वातावरण बन गया है। मान्यवर, जब आतंक का राज खत्म होता है और अनुशासन का राज आता है तो जो आतंकराज वाले होते हैं उनको अनुशासन पसन्द नहीं होता इसलिए अराजकता की बात करते हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से उन सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं जो यह बार-बार कहते हैं कि अराजकता कायम हो गयी है। आतंक से जब अनुशासन की तरफ बढ़ेंगे तो उस गति का जो ठहराव था वह गति को स्वयं विकास की दिशा देते हुए हमें अनुशासन की उपादेयता को बतायेगा। इसलिए मैं मौर्या जी से निवेदन करूंगा कि आतंक का राज और अनुशासन का राज में फर्क करें तो आपको स्वतः अहसास हो जाएगा कि महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में जो बातें कही गयी हैं वह तर्कपूर्ण हैं। मैं एक बात यह कहना चाहूंगा कि विकास परिषद् की बात बार-बार की जाती है। विकास परिषद् के बारे में जो बातें लेकर विपक्ष के लोग कह रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी बात आप उठा रहे हैं कि आप चीनी मिलें बेच रहे हैं। आपको पता होगा

वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कि प्रदेश के वित्तीय संसाधन को बढ़ाने के उद्देश्य से यह उद्योग धन्धे स्थापित किये गये थे लेकिन बीच में प्रबन्धन व्यवस्था या अन्य किन्हीं कारणों से यह हमारे विकास के पैसे को जो हम टैक्स से पैसा लेते थे जिस पैसे को हम सड़क, शिक्षा, चिकित्सा के मद में खर्च करते उन सारे पैसों को इन उद्यमियों को घाटा पूरा करने में देना पड़ता था। इसलिए यह अनिवार्य था। इसका जो मूल उद्देश्य था इस पर आप गंभीरता से विचार करें। वित्तीय साधन बढ़े नहीं बल्कि हमारे आय के स्रोतों से पैसा निकालकर इन उद्योगों को बढ़ाने की बात हुयी वह निष्फल हो गया। अगर ऐसा नहीं करते तो क्या होता। यह प्रदेश गरीबी की मार झेल रहा है। हमारे यहां पढ़े-लिखे नौजवान है। नौजवानों को रोजगार नहीं है। सरकारी खजाने से सबको रोजगार देना संभव नहीं है। इसलिए अगर बेरोजगारी मिटानी है जैसा हमारे डा0 राम मनोहर लोहिया जी कहते थे और इस सरकार का और माननीय मुख्य मंत्री जी का कहना है कि जब तक बेरोजगारी दूर नहीं होगी तब तक गरीबी दूर नहीं होगी। इसलिए हमने उत्तर प्रदेश विकास परिषद् का गठन किया। हम गुजरात जाते हैं। एक बार तमिलनाडु में लोगों ने कहा कि आपके प्रदेश से लोग हमारे यहां मजदूरी करने आते हैं। गुजरात में उत्तर भारत के लोग मजदूरी करने जाते हैं। वह लोग सवाल करते हैं कि आपके यहाँ क्यों नहीं रोजगार है ? हमारे यहाँ यह लोग क्यों आते हैं ? इसीलिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि अगर विकास परिषद् के माध्यम से माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने औद्योगीकरण का निर्णय लिया है तो क्या गलत किया। औद्योगीकरण होगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा और उनके रोजगार से जो हमारा लक्ष्य है गरीबी हटाने का, पिछड़ेपन को दूर करने का उससे लाभ मिलेगा। इस पर गम्भीरता से सोचना है कि औद्योगीकरण से क्या फायदा होगा। इसलिए औद्योगीकरण करने की बात कही गयी है। सघन औद्योगीकरण से लोगों को रोजगार मिलेगा जिससे जिनके पेट खाली हैं, जिनके हाथ खाली हैं, जिनके चेहरों की मुस्कान चली गयी है ऐसे लोगों को विकास परिषद् के माध्यम से अगर औद्योगीकरण करने का निर्णय लिया है तो मैं यह समझता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी बात यह कहना चाहता हूँ कि यहां पर काफी देर से चर्चा हो रही है कि जो जिले और मण्डल तोड़े गये उसमें मैं बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहता हूँ उसके बारे में काफी चर्चा हो चुकी है।

अभी माननीय मौर्या जी ने एक बात कही कि जो सरकार अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं की रक्षा नहीं कर सकती है वह प्रदेश की रक्षा क्या करेगी ? तो मैं उनसे यह कहना चाहता हूँ कि केवल पार्टी के कार्यकर्ताओं की रक्षा के लिए यह सरकार नहीं बनी है। यह सरकार प्रदेश के 17 करोड़ लोगों की सुरक्षा उनके विकास उनकी सुख सुविधा को ध्यान में रखने वाली सरकार है। एक और बात अम्बेडकर गांव की कही गयी। आपको पता है कि अम्बेडकर गाँवों की कल्पना, उस समय मैं सदन में था इससे पहले कोई नाम नहीं था, 89 से पहले उसकी कल्पना नहीं थी। जब मुलायम सिंह जी की सरकार बनी तो उन्होंने इसकी कल्पना की थी। उन्होंने गाँवों को चिन्हित करके उसके समग्र विकास की कल्पना की थी। आपकी कल्पना तो दलितों के टोलों को बनाने की थी उनका विकास करने की थी। आपने सवर्ण और पिछड़े के टोलों का विकास नहीं किया। माननीय मुलायम सिंह जी ने समग्र विकास योजना बनायी थी, जिसमें अम्बेडकर गाँव में समस्त मजरे, टोले और नगले का विकास करना था। तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो कुछ आज की स्थिति है उस स्थिति में यह सरकार काम कर रही है। हम पुरानी पुनरावृत्ति नहीं करना चाहते हैं। कानून व्यवस्था की बड़ी चर्चा हो रही थी। माननीय मुख्य मंत्री जी ने जवाब दिया कि कलेजे पर हाथ रखकर बताइये कि क्या सब मुकदमे लिखे जाते थे। मैं खुद पूर्व माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के पास गया था और मैंने आपसे कई बार कहा

कि घटनाएं हो रही हैं लेकिन वह लिखी नहीं जाती हैं। अगर घटनाओं से आंकलन करेंगे तो यह कोई बात नहीं है। आज छोटे-छोटे मुकदमे लिखे जाते हैं, लोग थानों में जाते हैं। आंकड़े मिलाकर देख लें कि 323 और 506 के मुकदमे कितने लिखे जा रहे हैं ?

श्री सुखदेव राजभर-

302 का क्या हुआ ?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

आप अपनी सरकार में छिपाते थे लेकिन फिर भी छिपा नहीं पाते थे। मैं ज्यादा भाषण न करके आपसे यह निवेदन करना चाहता हूँ कि विकास की गति का प्रतीक है महामहिम श्री राज्यपाल जी का अभिभाषण और जो यह ठहराव था जो कुंठा थी उसको मिटाकर प्रगति के रास्ते पर लाने का प्रयास यह सरकार कर रही है और आपको इसका समर्थन करना चाहिए। मैं आंकड़े नहीं देना चाहता हूँ। मान्यवर, अब आपने छेड़ ही दिया है तो मैं श्रम विभाग के बारे में भी कुछ कह ही दूँ। आपने बुनकरों के बारे में जानना चाहा था तो मान्यवर, जल्द ही एक महीने के अन्दर जैसे ही वाइफर से आ जायेगा, वह चला जायेगा। हमने बुनकरों के लिए किया, विद्यार्थियों के लिए किया। आपके समय में जो परीक्षा प्रणाली थी उसमें बदलाव किया। आई0टी0आई0 में भी परिवर्तन हो रहा है।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें। आपका समय हो गया है।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

मान्यवर, आपने हमें बोलने का मौका दिया, हमारी बात को सुना, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

मान्यवर, आपने हमें बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, यह महामहिम राज्यपाल जी का जो अभिभाषण है, यह ऐतिहासिक है और ऐतिहासिक इसलिए है श्रीमन् कि यही महामहिम राज्यपाल पूर्ववर्ती सरकार का भी अभिभाषण इसी सदन में पढ़े थे और आपको याद होगा श्रीमन् यह तो लोकतंत्र का तरीका है, आज हम इधर हैं, कल उधर थे। जब हम लोग इस बात को कहते थे कि महामहिम राज्यपाल ने बहुमत विधायक दल को सरकार बनाने से वंचित रख दिया तो भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के लोग ललकार बांध कर उस बात का विरोध करते थे, श्रीमन् इसलिए हमने इस बात को ऐतिहासिक कहा कि महामहिम राज्यपाल ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि जो दल बहुत बड़ा था, वह सरकार बनाने से वंचित रह गया और छोटे-छोटे दल जो थे वह अपना गठबन्धन बनाकर के जिनका वैचारिक मतभेद [illegible] था, उन्होंने सरकार बना ली, जब वह सरकार बन गयी, मत भिन्नता के आधार पर [illegible] हुयी तो प्रदेश में अराजकता का वातावरण उस समय बन गया था। माननीय नेता विपक्ष लालजी टण्डन, मा0 नेता बसपा माननीय मौर्या जी या नेता बसपा माननीय सुखदेव राजभर जी, जिस कानून व्यवस्था के लिए चिन्तित हैं, तो यह सिर्फ चिन्तित हैं उनके राज में तो हम लोग रो रहे थे, विधायक माननीय सदस्य इस विधान सभा का इतिहास है कि सदस्य विधान सभा, रो-रो करके माननीय अध्यक्ष जी से अपनी सुरक्षा की बात कह रहे थे, यही सदन है, जिसमें रो-रो करके माननीय सदस्यों ने अपनी जान की गुहार की आपकी पीठ से, यही सदन है जिसमें माननीय सदन के सदस्य रो-रो करके अपने घर ढहाये जाने से रोकने के

लिए आपसे गुहार की, वही कानून व्यवस्था को चलाने वाली पूर्ववर्ती सरकार के लोग आज इस सरकार में कानून व्यवस्था की बात उठा रहे हैं, यह हँसी लगती है चूँकि आप पीठ पर हैं इसलिए मैं आपसे इस बात को कह देना चाहता हूँ। दूसरा इसलिए ऐतिहासिक है श्रीमन् कि अभी सदन में आ रहे हैं, इसमें बहुत माननीय सदस्य वरिष्ठ हैं, जो इस सदन में आ रहे हैं जहां तक मैं जान रहा हूँ और देखा हूँ कि जनहित के जितने काम इस सरकार ने इतने कम समय में किए हैं किसी सरकार के बूते की बात नहीं है और माननीय मुलायम सिंह यादव जी जब प्रदेश के मुख्य मंत्री की कुर्सी सम्भालते हैं, गरीब, असहाय, किसान, बेसहारा लोगों की उन्नति के विषय में हमेशा कार्यक्रम घोषित करते हैं, उनका काम करते हैं। मान्यवर, इसमें तो चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, चाहे सिंचाई का क्षेत्र हो, चाहे बेरोजगारों को रोजगार देने की बात हो और चाहे असहाय अपंग और निर्बल लोगों को तथा गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वालों के लिए उत्थान की बात हो, उत्तर प्रदेश की पूरी जनता इस सरकार के कार्यों से संतुष्ट है और इस सरकार के कार्यों की वाहवाही कर रही है और इस सरकार को जनता का पूरा समर्थन प्राप्त है। मान्यवर, आप देखें चन्द माननीय सदस्य राजनीतिक द्वेष के कारण से सरकार पर गलत आरोप लगाते हैं परन्तु उसका जनता पर कोई असर नहीं है। यह इस बात से साक्षी है कि अभी माननीय मुख्य मंत्री जी विधान सभा के उप चुनाव में रिकार्ड तोड़ मतों से विजयी हुए हैं। मान्यवर, सहारनपुर में चुनाव हुआ, महसी में चुनाव हुआ और विधान परिषद के लिए निर्वाचन हुए उसमें हम लोग विजयी हुए। अभी आगे लोक सभा का चुनाव होगा उसमें भी आप परिणाम से देखेंगे कि जनता के कामों को करने का काम इस सरकार ने किया है।

मान्यवर, बहुत से लोगों ने यहां पर सरकारें बनायी हैं चाहे माननीय गोविन्द बल्लभ पन्त जी रहे हों, चाहे चन्द्रभानु गुप्त जी रहे हों और चाहे माननीय कमलापति त्रिपाठी जी रहे हों और चाहे कोई भी सरकार रही हो, आज के पहले किसी सरकार ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया जिसमें यदि कोई गरीब वर्ग की छात्रा ने इण्टर की परीक्षा पास कर ली हो तो उसको हम बीस हजार रुपये की राशि देकर उसकी आगे पढ़ाई के लिए रास्ता प्रशस्त करेंगे।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, आप पीछे देखें कोई ग्रुप बनाकर संगीन कार्य हो रहा है।

श्री अधिष्ठाता-

मैंने इसका संज्ञान ले लिया है, पीछे के आसनों पर माननीय विधायक एक ग्रुप बनाकर बातें कर रहे हैं जिससे व्यवधान हो रहा है। मैंने इसके लिए डिप्टी मार्शल को बुलाया है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, कुछ लोग अब आगे आ गये हैं।

मान्यवर, मैं कह रहा था कि विपक्ष का काम केवल आलोचना करना नहीं है बल्कि सरकार को सुझाव देना भी है। अगर सरकार अपनी नीतियों से हटती है तो उसे नीति पर लाने का काम भी विपक्ष करता है। केवल विधान सभा में चीत्कार करके किसी गलत बात को सही ठहराना संसदीय परम्परा के विपरीत है। क्या माननीय मौर्या जी, क्या माननीय लालजी वर्मा जी एक भी कोई काम अपनी पूरी सरकार में किया हुआ बतायेंगे, जो जनहित का कार्य आपने किया हो ?

मान्यवर, अभी आपने हरिजन छात्रावास की बात कही है वह हरिजन छात्रावास कहां बन रहा है, विधायक निवास में। क्या वह हरिजन छात्रावास दूसरी जगह नहीं बन सकता था ?

हरिजन शब्द के प्रयोग पर आपत्ति

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, हरिजन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, मैं अनुसूचित जाति कह रहा हूं। मैं कह रहा था कि जहां-जहां सरकारी जमीन मिली वहीं पर कब्जा करके फिर काम करवा दिया।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, क्या यहां माननीय सदस्य 'हरिजन' शब्द का प्रयोग कर सकते हैं ? चमार शब्द तो कहा जा सकता है।

परिवहन मंत्री (कुंवर रेवती रमण सिंह)-

मान्यवर, क्या 'हरिजन' शब्द कहना कोई गाली है आपको जो बड़ा असंसदीय लग रहा है।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, पूर्व की सरकारों में यह प्रस्ताव आया था उस समय समाज कल्याण मंत्री श्री रमापति शास्त्री जी थे तो उस समय 'हरिजन' कल्याण विभाग को नाम बदलकर समाज कल्याण विभाग कर दिया गया था और यह तय हुआ था कि अब ऐसे शब्द का सम्बोधन नहीं होगा।

श्री अधिष्ठाता-

अब माननीय राम गोविन्द चौधरी जी ने स्वयं इसे संशोधित करके अनुसूचित जाति कर दिया है।

कुंवर रेवती रमण सिंह-

मान्यवर, हरिजन एक्ट लगता है। इसमें संसदीय मर्यादा के विरुद्ध कौन सी बात है इसमें हमें बता दें ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, अभी एक वरिष्ठ मंत्री जी ने कहा कि हरिजन एक्ट भी लगता है तो मैं बताना चाहता हूं कि वह एस0सी0एस0टी0 एक्ट लगता है हरिजन एक्ट नहीं लगता है।

माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में इसे संशोधित कर दिया है इसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपनी गलती को जल्दी महसूस कर लिया। माननीय कुंवर साहब ने जो कहा है मैं कहना चाहता हूं कि जब वह शब्द आपत्तिजनक है संवैधानिक नहीं है तो उसका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। [x x x]

कुंवर रेवती रमण सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि हरिजन शब्द संसदीय है या नहीं है।

नोट :- [× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, ये सरकार के वरिष्ठ मंत्री हैं और इनको इसका ज्ञान नहीं है।

कुंवर रेवती रमण सिंह-

मान्यवर, हरिजन शब्द संसदीय है या नहीं, मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

पूर्व दृष्टांत है हरिजन शब्द का प्रयोग बन्द कर अनुसूचित जाति शब्द की व्यवस्था कर दी गयी है।

कुंवर रेवती रमण सिंह-

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि यह शब्द संसदीय है या नहीं।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

माननीय राम गोविन्द चौधरी जी बोल रहे थे एक शब्द का आपके द्वारा इंगित किये जाने पर उन्होंने उसको वापस ले लिया। इसलिए अब मेरा आग्रह है कि इसको समाप्त कर कार्यवाही को आगे चलने दें।

(श्री अम्बिका चौधरी के खड़े होने पर व्यवधान)

*राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से खड़ा हुआ हूं।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

मान्यवर, मैं इनके डाटने से नहीं बैठूंगा। मान्यवर, इनकी चीख से डरकर बैठने का सवाल नहीं है।

मैं पीठ की गरिमा, पीठ की अनुमति और पीठ को संबोधित कर अपनी बात कहना चाहता हूं इसमें किसी की चीख की आवश्यकता नहीं है। यह पूरा आडियो सिस्टम बहुत परफेक्ट है।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

आप दोनों आसन ग्रहण कर लें।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर[x x x] को शैतान की औलाद कहने वाले शैतान हैं, शैतान की औलाद हैं। [× × ×] वह कौन है यह मैं नहीं जानता, लेकिन जिस किसी ने [×××] को शैतान की औलाद कहा वह शैतान की औलाद कहने वाला शैतान की औलाद है। चूंकि मौर्य जी ने पूछा था इसलिए उनको बता दिया कि [×××] को शैतान की औलाद कहने वाला शैतान है। मान्यवर, मेरी बात सुन लें आपकी व्यवस्था चाहता हूं। मैं सरकार का मंत्री हूं, और आपकी अनुमति से खड़ा हूं। टेक्नीकल तौर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :- [× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

पर किसी एक्ट का क्या नाम है, यह गलत हो सकता है, लेकिन हरिजन शब्द असंसदीय है या संसदीय है, इस पर आपकी व्यवस्था आ जाय।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

[illegible] अपनी मानसिकता खो बैठे हैं। [illegible] को डायन कहने वाले, लोग, यह कोई अच्छी बात नहीं है।

श्री अधिष्ठाता-

हरिजन शब्द असंसदीय तो नहीं है, लेकिन [illegible] परम्परा समाप्त हो गई है, इसलिए मैं अब इस प्रकरण को समाप्त कर रहा हूं।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर चर्चा (क्रमागत)

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मुझे कष्ट है कि एक छोटी सी बात पर [illegible] हमारे बोलने पर कभी विवाद तो होता नहीं है, पता नहीं बसपा को क्या हो गया है? श्रीमन् ने कह रहा था कि यह वर्तमान सरकार, जनआकांक्षाओं के अनुरूप कार्य कर रही है। यह सरकार जनता के हितों की रक्षा कर रही है। वर्तमान सरकार कानून व्यवस्था को बिल्कुल अपने काबू में [illegible] कर रही है कहीं कानून बिगड़ा नहीं है। केवल इनका दिमाग बिगड़ा है, इसलिए [illegible] जनता ने हमारे कार्यों पर अपनी मुहर लगा दी है। जनता ने विधान सभा और विधान परिषद् का चुनाव [illegible] अपनी मुहर लगा दी है। आगे जो लोक सभा के चुनाव होंगे, उसमें भी यह ऐतिहासिक जीत समाजवादी पार्टी की होगी, उसे भी आप देखेंगे। श्रीमन् जहां तक विकास परिषद् का सवाल है, एक बात समझ में नहीं आती कि इससे इन्हें क्या परेशानी है। विकास परिषद का गठन माननीय मुख्य मंत्री और सरकार की सहमति से हुआ है और कलेजा इनका फट रहा है। इसलिए फट रहा है कि इन्होंने अपने जीवनकाल में कुछ किया नहीं। न कोई उद्योग लगाये, न कोई यूनिट लगाये, न कोई बिजली संयंत्र लगाये, न कोई कारखाना लगाये और माननीय मुख्य मंत्री के प्रयास से एक ऐसा विकास परिषद जो विकास परिषद प्रदेश के विकास के लिए कटिबद्ध है, जो विकास परिषद् उत्तर प्रदेश सरकार से एक भी पैसा अपने आने जाने, चाय पानी का न लेती हो, ऐसी विकास परिषद और महान विकास परिषद् जो उत्तर प्रदेश के विकास के लिए कटिबद्ध है, ऐसी विकास परिषद् की आलोचना करना इनके दिवालिये मानसिकता का द्योतक है।

एशिया में सबसे बड़ा गैस पर आधारित बिजली संयंत्र अगर कोई पूंजीपति नहीं लगायेगा तो क्या राम गोविन्द चौधरी, डा0 बाजपेयी जी, लाल जी टण्डन जी और मौर्या जी का पुश्ताहाल है कि हम लोग लगा सकते हैं। मार्डन सिटी पूंजीपति नहीं तो क्या भीख मांगने वाला बनायेगा ? पूंजीपति बिजली का कारखाना नहीं लगायेगा, बेरोजगारी को दूर करने का काम नहीं करेगा तो क्या गरीब किसान करेगा ? विकास परिषद् से इन्हें डर है कि हम तो कुछ कर नहीं सके और अब उत्तर प्रदेश, विकास परिषद् के माध्यम से विकास की ओर जा रहा है, इसलिए इनकी आत्मा कांप रही है। यह लोग सोच रहे हैं कि हम लोगों ने जो सरकारी धन का दुरुपयोग किया है, आज दूसरी सरकार हमारे मुंह पर तमाचा मार रही है। नौकरी देने की बात, नारी को स्वावलम्बन बनाने की बात, शिक्षा जगत की बात, इस सरकार ने की है, गन्ने का भुगतान, क्या-क्या नहीं किया इस सरकार ने और आप क्या चाहते हैं ? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि विपक्ष नकारात्मक सोच को न प्रदर्शित करे। राजभर साहब

ने लोकतांत्रिक व्यवस्था तथा अनुशासन की बात उठायी, हमारे जैसा आदमी चाहता है कि अनुशासन बने और ऐसा लगे कि विधान सभा की गरिमा वापस आ गयी है और यह सभी लोगों के एकजुट प्रयास से ही संभव होगा। उत्तर प्रदेश का उदाहरण लोक सभा में दिया जाता है। हिन्दुस्तान में दूसरी कोई विधान सभा नहीं है। जिसका उदाहरण लोक सभा में पेश हुआ हो। उत्तर प्रदेश विधान सभा के उदाहरण लोक सभा में पेश हुए हैं। लोकतांत्रिक तरीका जो तहस-नहस हो गया है आइये उसे ठीक करने का प्रयास हम करें।

महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण उत्तम है, जनआकांक्षाओं को पूरा करने वाला है, सरकार की नीतियों को जनता के बीच में फैलाने वाली है, सरकार के कामों को इसमें दर्शाया गया है। इसलिए यह अभिभाषण जनता के हितों की रक्षा करने वाला है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विपक्ष के साथियों से कहूंगा कि वह नकारात्मक सोच को दिमाग से हटा दें और विकास के रास्ते को अपने विवेक से बल प्रदान करें और विकास में सहयोग करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। अधिष्ठाता महोदय को, कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। धन्यवाद।

श्री लालजी वर्मा-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए धन्यवाद। मान्यवर, महामहिम श्री राज्यपाल जी का अभिभाषण किसी भी सरकार की नीतियों का दस्तावेज होता है। मैंने भी उसे पढ़ने का कार्य किया है। (श्री राजेन्द्र सिंह राणा द्वारा बैठे-बैठे कुछ कहने पर)

माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय राणा जी इधर से जाकर दल-बदल पाठ कुछ पढ़ा दिये है, जिससे मुझे भी कुछ जानकारी हुई है। बार-बार चौधरी साहब ने कहा कि जनाकांक्षाओं के अनुरूप सरकार बनी है। जनाकांक्षायें 2002 के चुनाव में प्रदर्शित हुआ था। उत्तर प्रदेश में सरकार बहुमत के बल पर बनती है। अगर बहुमत होती तो निश्चित रूप से उस समय आपकी सरकार बनी होती लेकिन बहुमत न होते हुये केवल अराजकता के आधार पर, केवल दादागिरी के आधार पर अनैतिकता का आवरण ओढ़ने के कारण, थोक में दल-बदल कराकर आपने सरकार बनायी है, उसके बाद भी नैतिकता का पाठ पढ़ाते हो। मान्यवर, [× × ×]

श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

माननीय अधिष्ठाता जी, [x x x] शब्द का जो प्रयोग किया गया है, क्या वह संसदीय है ? इस शब्द के इन्टेंशन और कोनोटेशन को समझना होगा। मेरा अनुरोध है कि इस शब्द को निकलवा दिया जाये।

श्री अधिष्ठाता-

इसको दिखवा लिया जायेगा।

(सत्ता पक्ष के अनेक मा0 सदस्यों द्वारा टोका-टाकी करने पर)

श्री अधिष्ठाता-

कृपया बीच में टोका-टाकी न करें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, महामहिम श्री राज्यपाल का अभिभाषण सरकार की नीतियों का एक दस्तावेज होता है और वह इसके माध्यम से सरकार की नीतियों को प्रदेश के सामने रखते हैं कि वह क्या करना

वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :- [× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

चाहते हैं। लेकिन इस दस्तावेज में केवल पिछली सरकार के कार्यों की आलोचना मात्र है और जिस भाषा से आलोचना किया गया है, वह निश्चित रूप से निन्दनीय है। मान्यवर, आज अनैतिकता के आवरण को ओढ़कर सरकार नैतिकता की हामी भर रही है। हमारे चौधरी साहब ने, पाण्डेय जी ने जब शपथ लिया होगा तो इस बात का शपथ लिया होगा कि बिना किसी राग-द्वेष और पक्षपात से अलग हटकर पूरे प्रदेश के हित में काम करने का काम करेंगे। लेकिन आज पक्षपात, राग-द्वेष यह सब इनके आभूषण बन गये हैं। इनको प्रदेश की जनता की चिन्ता नहीं है। प्रदेश की जनता अपराधियों से पीड़ित है। माननीय हरीश जी जैसे वरिष्ठ सदस्य को कहना पड़ा कि जैसे बाबर ने आक्रमण किया था उसी तरह से लूटपाट हो रही है पूरे पूर्वांचल को लूटने का काम किया जा रहा है। मान्यवर, अपराध पूरे प्रदेश में बढ़ा है। पिछली सरकार में कुछ अपराधी थे, अपराधी कितना भी सक्षम व बड़ा व सशक्त क्यों न रहा हो उस अपराधी को बिना किसी भेदभाव के दण्डित करने का काम किया गया था। उसको जेलों में ठूसने का काम किया गया था। हमने परवाह नहीं किया कि अपराधी की सीमा कहां तक जाती है। अगर कोई अपराधी था तो सजा दिलाने का काम किया गया लेकिन आज अपराधी मौज कर रहे हैं। विभिन्न दफ्तरों में, अधिकारियों को धमकाकर पूरे प्रदेश में अपराध का वातावरण बनाने का काम कर रहे हैं। जनता पीड़ित हो रही है, अपराधी मौज-मस्ती कर रहे हैं। माननीय चौधरी साहब को लग रहा है कि जनता मौज-मस्ती कर रही है। अपराधियों से इतना प्रेम न रखिये। अपराधियों से प्रेम रखने वाले लोग जब सत्ता के बाद जाते हैं, माननीय पाण्डेय जी भी बैठे हैं 1989 की जिस सरकार की बखान कर रहे थे 1991 में जब चुनाव हुये थे तो क्या हश्र हुआ था ? जितने भी मंत्री थे उनमें से कुछ को छोड़कर अधिकांश की जमानत जब्त हो गयी थी। मान्यवर, यह इसलिये हुआ था कि आम जनता के दर्द को भूल गये थे केवल चन्द अपराधियों के दर्द को अपना दर्द बनाकर उन्हें लाभ पहुंचाने का काम कर रहे थे। आज वही स्थिति है आज आम जनता दुखी है। अधिकारी निरंकुश हो गये हैं। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि प्रशासनिक इकाइयां बनती हैं जनता का भला करने के लिये। यह इकाइयां जनता को सुविधा देने के लिये बनायी जाती हैं। पिछली सरकार ने जनता के दुख.दर्द को दूर करने के लिए प्रशासनिक इकाइयों का गठन किया था और कुछ जिले तथा मण्डल बनाये गये थे लेकिन इस सरकार ने निरंकुशता के आधार पर द्वेष, पक्षपात के आधार पर वहशीपन का निर्णय लेकर जिले समाप्त करने का काम किया है। माननीय चौधरी साहब चले गये हैं। माननीय मंत्री जी यह चर्चा कर रहे थे कि मैं तो जवाब देने के लिये खड़ा था लेकिन कोई बोल नहीं पाया। मैं पूछना चाहता हूं कि अम्बेडकर नगर ढाई हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, उसकी आबादी साढ़े 20 लाख है। वहां पर 4 तहसीलें हैं और 15 थाने हैं। केवल 13 जिले प्रदेश मे ऐसे हैं जो अम्बेडकर नगर से ज्यादा मानक रखते हैं लेकिन उसके बावजूद क्यों आपने उस जिले को तोड़ दिया। महोबा की आबादी साढ़े 7 लाख है उसको क्यों नहीं तोडा ? आपने जो काम किये उसका हमने विरोध नहीं किया लेकिन आपने अम्बेडकर नगर जिले को खत्म कर दिया। उन महापुरुषों जिन्होंने सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने इस देश के लोगों को कुछ देने का काम किया था चाहे वह महामानव गौतम बुद्ध हों, क्षत्रपति शाहू जी महराज हों, चाहे महात्मा ज्योतिबा फुले हों या चाहे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर हों, उनके नाम का जिला आपको पच नहीं पाया।

श्री वसीम अहमद-

आप अकबरपुर का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं ?

(शोर)

श्री लालजी वर्मा-

आप कह रहे हैं कि जिलों को इसलिए खत्म किया क्योंकि खजाना नहीं है। तो आपने महोबा, बलरामपुर, कन्नौज को क्यों नहीं खत्म किया, क्या उनके लिये खजाने की जरूरत नहीं है ? आपको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम से चोट लगती है इसलिए आपने उनके नाम पर बनाये गये अम्बेडकर नगर जिले को समाप्त किया। मान्यवर, हमने 12625 गांवों को बिजली पहुंचाने का काम किया है और उन गांवों में लेपन सड़कें पहुंचाने का काम किया है। आपको यह बात खल गयी कि अम्बेडकर जी के नाम पर जिला क्यों बनाया गया ?

(अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री राजेन्द्र सिंह राणा-

मान्यवर, सदन में कोई भी बात तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए।

श्री लालजी वर्मा-

सूप बोले तो बोले चलनी क्या बोले जिसमें 72 छेद हैं। हमारी सरकार के समय 12,625 गांवों के चहुमुंखी विकास का काम किया गया जो आज तक नहीं हुआ था। आजादी के बाद 95 तक के कार्यों को एक तरफ रख लीजिए और 95 के बाद के समय के कार्य दूसरी तरफ रख लीजिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 1995 के बाद उत्तर प्रदेश में विकास का कार्य बहुत ही तेजी से हुआ।

श्री जियाउद्दीन रिजवी-

[× × ×]

(अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

आप लोग शान्त रहें। जियाउद्दीन जी जो बोल रहे हैं वह लिखा नहीं जाएगा। यह बिना अनुमति के बोल रहे हैं।

(व्यवधान जारी)

श्री जियाउद्दीन रिजवी-

[× × ×]

श्री लालजी वर्मा-

[× × ×]

(व्यवधान जारी)

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, मैं आग्रह करूंगा कि जो कुछ हो गया है उसको यहीं रोक दिया जाए। मान्यवर, अभी सभी दलों के नेताओं की बैठक है उपवेशन के बाद मेरा आग्रह है कि इनका भाषण खत्म करके बैठक स्थगित कर दें।

श्री अधिष्ठाता-

लालजी वर्मा जी के भाषण के बाद चर्चा जारी रहेगी। उसके बाद अगली मद ले ली जायेगी।

श्री लालजी वर्मा-

मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

नोट :- [× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री अधिष्ठाता-

दो मिनट में खत्म कर दीजियेगा।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं चर्चा कर रहा था हमारे पाण्डेय जी बोल रहे थे। इन्होंने कहा कि अम्बेडकर गांव के नाम पर एक जाति और वर्ग के लोगों को ही फायदा दिया गया है। पिछले साल आपने भी 10-10 गांव दिये होंगे। माननीय सदस्यों से उनकी सहमति पर ही गांवों का चयन किया गया था उसमें न तो आबादी की कोई सीमा थी, न किसी जाति की कितनी आबादी है, इसकी कोई सीमा थी। अगर इसके बाद इन लोगों के गांवों का चयन हो गया उनके गांवों में बिजली चली गई, उनके आने जाने के लिये कोई रास्ते बन गये तो आपको दर्द काहे को हो रहा है। इस अभिभाषण में कहा गया है कि जिन जनपदों और मण्डलों को हमने तोड़ा है उनके विकास के लिये 10-10 करोड़ रुपये देंगे। अम्बेडकर नगर एक जिला है, जिसका मैंने पहले ही जिक्र किया है। केवल 13 जनपद ऐसे हैं तो मानक में उससे ज्यादा हैं। मान्यवर, उस जिले में जितने विकास के काम किये जा रहे थे सब रुक गये हैं। एक ओवर ब्रिज बन रहा था। हमारे राज्य मंत्री नहीं हैं वे भी कभी-कभी उधर से जाते हैं और जाम में फंसते हैं उस रेलवे ओवर ब्रिज का काम रोक दिया गया है। वहां पर जो गिट्टी पड़ी थी वह दूसरी जगह भिजवा दी गयी। इसी तरह से 132 के0वी0ए0 का एक स्टेशन अकबरपुर में अम्बेडकर नगर में बन रहा था, उस स्टेशन का जो सामान आया था, पाइलिंग हो गयी थी, तो सामान बचा था वह दूसरी जगह भिजवा दिया गया। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा नहीं तो रिजवी साहब को फिर कष्ट हो जायेगा।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें। चर्चा जारी रहेगी।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, एक मिनट। पूर्वांचल विकास निधि के अन्तर्गत, राज्य योजना के अन्तर्गत जितने विकास कार्य हो रहे थे सब रोक दिये गये। टाण्डा मार्ग के चौड़ीकरण का कार्य हो रहा था, रुक गया। 300 बेड का अस्पताल बनकर तैयार हो गया था केवल उसमें डाक्टर्स को बैठना था थोड़ी बहुत फिनिशिंग बाकी रह गई थी, सब काम रोक दिया गया। सारे विकास कार्य रोककर यह क्या संकेत देना चाहते हैं ? इसी के माध्यम से मैं यह कहना चाहता हूं कि महामहिम राज्यपाल का जो अभिभाषण है, वह प्रदेश को अपराध की श्रेणी में ले जाने वाला है। इस प्रदेश को बर्बादी के कगार पर ले जाने वाला है। मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

श्री राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा जारी रहेगी।

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता-

आज दिनांक 11 फरवरी, 2004 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 20 सूचनायें प्राप्त हुई। पहली सूचना डा0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी की जो प्रदेश के स्थानीय निकाय के कमेले (पशुवध शाला) का ठेका उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 के अन्तर्गत दिये जाने के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। दूसरी सूचना श्री नवाब सिंह नागर की जो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र के अन्तर्गत अधिग्रहीत होने वाली जमीन का प्रतिकर नोएडा क्षेत्र के बराबर बढ़ाकर किये जाने के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। तीसरी सूचना श्री प्रागीलाल अहिरवार की, जो जनपद झांसी की मऊरानीपुर

तहसील परिसर में अवैध निर्माणाधीन दुकानों को हटवाने के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। चौथी सूचना कुंवर भारतेन्द्र सिंह की जो जनपद बिजनौर तहसील अन्तर्गत गंगा नदी की दिशा परिवर्तन के कारण अनेकों गांवों पर आई दैवीय आपदा के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। पांचवीं सूचना श्री सुखदेव राजभर, श्री जयराम विमल की जो जनपद आजमगढ़ के थाना देवगांव अन्तर्गत श्री राजेन्द्र गुप्त एवं उनकी पत्नी की हत्या किये जाने के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई छठी सूचना श्री राजेश कुमार की जो जनपद लखीमपुर खीरी अन्तर्गत ग्राम रहमतनगर में नहर के पानी से हजारों एकड़ किसानों की फसलें बरबाद होने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। सातवीं सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की जो शाहजहांपुर नगर की विद्युत व्यवस्था के खराब होने के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। आठवीं सूचना श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह 'मोतीसिंह' की जो जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पूर्वांचल विकास निधि द्वारा क्षतिग्रस्त सड़कों को ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। नवीं सूचना श्री घनश्याम शुक्ला की, जो जनपद गोण्डा में भारत सरकार की योजनान्तर्गत आये हजारों क्विंटल सरकारी खाद्यान माफियाओं द्वारा गोदाम से उठाकर बाजार में बेच दिये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। दसवीं सूचना श्री सत्यप्रकाश अग्रवाल की जो नगर निगम मेरठ द्वारा पशुवध शाला का ठेका नियम विरुद्ध दिये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। ग्यारहवीं सूचना श्री काशीराम की जो जनपद फैजाबाद के तहसील जलालपुर के अन्तर्गत श्री राम किशोर यादव को प्रताड़ित किये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। बारहवीं सूचना श्री आर0 एस0 कुशवाहा की, जो जनपद लखीमपुर खीरी में शारदा नदी द्वारा बड़े पैमाने पर कटान किये जाने से किसानों के फसलों के हो रहे नुकसान के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। तेरहवीं सूचना श्रीमती विद्या चौधरी की, जो जनपद आजमगढ़ स्थित मेहनगर में कोटा तितरा बेसो नदी पर अधूरे पड़े पुल निर्माण को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। चौदहवीं सूचना श्री हरिप्रताप सिंह की, जो जनपद बलिया स्थित रसड़ा थानान्तर्गत श्री शिवनाथ पुत्र रामवृक्ष की जमीन पर माफियाओं द्वारा कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकृत हुई श्री मुन्शीलाल गौतम, श्री उदयराज यादव, श्रीमती विमला राकेश, श्री सुखदेव राजभर, श्री घूराराम, श्री वीरेश्वर।

अब हम उठते हैं कल 11.00 बजे पुनः बैठेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 5 बजकर 20 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ :

दिनांक 11 फरवरी, 2004

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,

प्रमुख सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश।

पी0एस0यू0पी0-एल0 47 विधान सभा (97)-9-7-04-813 (कम्प्यूटर)।